खण्ड-264, अंक-7
सोमवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(14 मार्च, 1966 ई0)

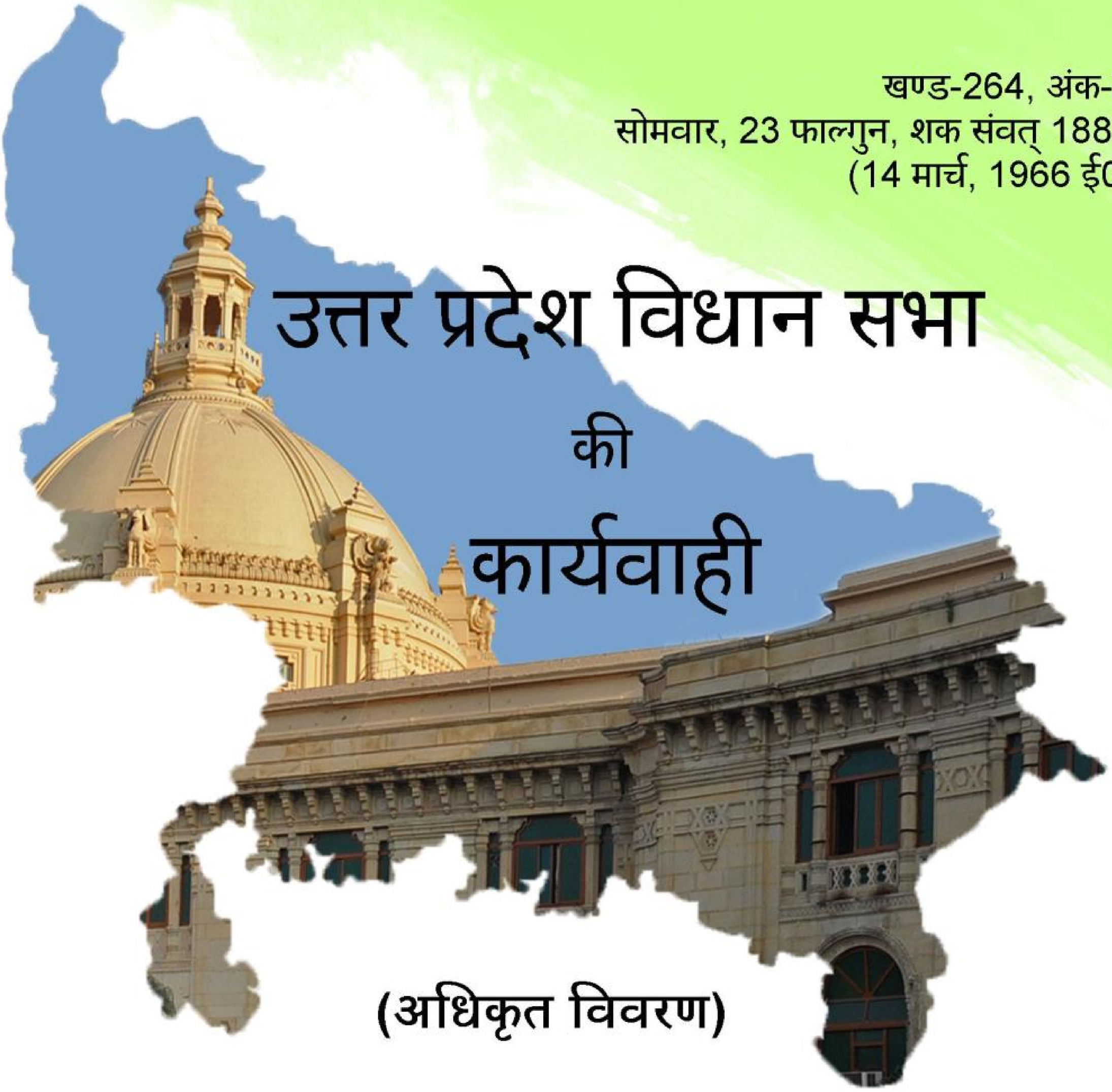

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
AUG 1966
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(सोमवार, १४ मार्च, १९६६)

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३०४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइत, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन

बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यज्ञपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीराज, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखासिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री

विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जायसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमन्त्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश रोडवेज कार्यालय में होने वाली परीक्षा को स्थगित करने तथा परीक्षा पुनः लेने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय उग्रसेन और माननीय गिरजा प्रसाद तथा माननीय मुकुटबिहारीलाल और माननीय राजेन्द्र सिंह द्वारा दी गई सूचना स्वीकार की गई है। वह इस प्रकार है—दिनांक १३-३-६६ को उत्तर प्रदेश रोडवेज के लखनऊ सम्भाग में कुछ कार्यालय सहायक ग्रेड दो, बुकिंग क्लर्क एवं जूनियर क्लर्क की भरती के लिए विभागीय परीक्षा गोरखपुर,

मेरठ, आगरा, लखनऊ आदि स्थानों पर होने वाली थी जिसमें लगभग १० हजार अभ्यर्थी बैठने वाले थे। वरन् १३-३-१९६६ को प्रातः लखनऊ के दैनिक समाचार पत्रों में परीक्षा स्थगित होने की सूचना प्रधान प्रबन्धक यू० पी० राजकीय रोडवेज, लखनऊ द्वारा प्रकाशित करवाई गई। यह भी पता चला है कि गोरखपुर, आगरा, मेरठ आदि स्थानों पर परीक्षा स्थगित करने की सूचना टेलीफोन द्वारा भेजी गई थी जिससे वहां पर परीक्षायें न हो सकीं। लखनऊ के परीक्षा केन्द्र स्टेडियम के दरवाजे पर परीक्षा स्थगित होने की सूचना लिखकर प्रातः ही लगा दी गई।

जब लखनऊ परीक्षा स्थल पर प्रातः आठ, साढ़े आठ बजे परीक्षार्थियों की भीड़ हजारों में एकत्रित हुई तो लखनऊ के प्रधान प्रबन्धक एवं सहायक प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) ने परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित करने की सूचना देते हुए उन्हें वापस जाने का आदेश दिया जिससे हजारों लोग वापस चले गए लेकिन लगभग साढ़े दस बजे प्रधान प्रबन्धक एकाएक परीक्षा लेने का प्रबन्ध करने लगे और साढ़े बारह बजे से परीक्षा प्रारम्भ कर दी। बहुत कम लोग परीक्षा में सम्मिलित हो सके तथा हजारों लोग परीक्षा देने से वंचित कर दिए गए।

माननीय मुकुटबिहारीलाल और माननीय राजेन्द्रसिंह की सूचना इससे कुछ भिन्न है। उसमें ३ हजार की बात कही गयी है। वह इस प्रकार से है कि कल राज्य सरकार की सूचना पर लगभग ३ हजार प्रत्याशी राजकीय रोडवेज के कार्यालय सहायक, द्वितीय बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्कों के पदों के लिए परीक्षा देने के लिए परिवहन विभाग के प्रान्तीय कार्यालय पर उपस्थित हुए। जब सभी प्रत्याशी उत्सुकता से परीक्षा प्रारम्भ होने की घंटी बजने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि १० बजे उन्हें यह बताया गया कि उक्त परीक्षा स्थगित कर दी गई है।

इस बेरोजगारी के युग में लगभग ३ हजार नवयुवक प्रान्त के विभिन्न जिलों से अपना मार्ग व्यय आदि खर्च करके लखनऊ आए और यहां पर उन्हें स्थमन सूचना दी गई जिससे धन तथा समय की नाहक बरबादी हुई। इस बरबादी की जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार पर ही है परन्तु क्षतिपूर्ति, किराया आदि सरकार द्वारा न देने से प्रत्याशियों एवं राज्य की जनता में बड़ी उत्तेजना व्याप्त है। सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है?

इस पर मन्त्री जी कब वक्तव्य दीजिएगा।

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

इस पर परसों १६-३-६६ को वक्तव्य दे दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, कानपुर में म्योर मिल में सरकार का नियन्त्रण हुए २।। मास के लगभग हो रहा है, परन्तु अभी तक उसके चालू होने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसको महत्वपूर्ण विषय समझकर माननीय श्रम मन्त्री के पास भेजा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैंने भी नियम ५२ के अन्दर एक नोटिस भेजी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता राघव पांडेय रहे हैं। श्रीमन्, पार्टी के मन्त्री और मैंने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस अधीक्षक से यह प्रार्थना की थी कि कमालुद्दीन

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

की बन्दूक का लाइसेन्स जब्त होना चाहिए क्योंकि इनका असामाजिक तत्वों से सम्बन्ध है। उनका लाइसेन्स जब्त नहीं किया गया परिणामस्वरूप होनहार और नौजवान कार्यकर्त की हत्या हो गई।

श्री अध्यक्ष---

मैंने माननीय दौलतलाल जी की सूचना पर लिख दिया है कि यह प्रश्नों का विषय है। वह प्रश्न करें तो हम उसको स्वीकार कर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, हमने पुलिस के वहां जो अधीक्षक हैं, उनसे प्रार्थना की थी। असेम्बली के मेम्बर ने भी प्रार्थना की थी लेकिन उनकी बन्दूक का लाइसेन्स जब्त नहीं किया गया। इससे वहां पर बड़ा असन्तोष व्याप्त है। मैं चाहता था कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो यह गुन्डागर्दी हो रही है, उस को कम किया जाय अन्यथा गृह मन्त्री जी का पद बदला जाय।

हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के बोर्ड द्वारा इन्टर की कुछ लड़कियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत मन्त्री का वक्तव्य

शिक्षा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, नेकराम शर्मा तथा ऊदल ने विधान सभा के नियम ५२ के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह सूचना दी है कि गत सप्ताह में हाई स्कूल तथा इन्टर मीडिएट परीक्षाओं के बोर्ड के सचिव ने एक आदेश द्वारा प्रदेश के हजारों लड़कियों को इन्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया है। इन छात्राओं में कुछ बोर्ड की गृह विज्ञान आदि की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुकी हैं। छात्राओं को इस आधार पर रोका गया है कि उन्होंने विद्याविनोदिनी परीक्षा एक ऐसे केन्द्र से पास किया है जिसकी परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। ये छात्रायें दो वर्ष तक इन्टर कालिजों में विधिवत् पढ़ चुकी हैं और इस आदेश से इनका तीसरा वर्ष व्यर्थ जायगा जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद, द्वारा संचालित विद्या विनोदिनी परीक्षाओं के सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन में पहले भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है और माननीय सदस्यों को विदित है कि कैसी स्थिति में विद्याविनोदनी परीक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गई है। लगभग १० वर्ष का मौका विद्याविनोदनी परीक्षा की त्रुटियों को दूर करने के लिए दिया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जब प्रयाग महिला विद्यापीठ नाम की तीन चार संस्थाए इलाहाबाद में खुल गईं, तब भी शासन ने हीवेट रोड तथा दारागंज स्थित विद्यापीठों की मान्यता कायम रखी। व जब यह भी नहीं चल सका, तो विद्याविनोदनी परीक्षा की मान्यता पूर्णतः समाप्त कर दी गई। अब स्थिति यह है कि अंग्रेजी सहित विद्याविनोदिनी परीक्षा पास, यदि यह परीक्षा १९६४ तक पास की गई है, तो वह हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य है और इसको पास करने वाला इन्टर-मीडिएट परीक्षा में दो वर्ष उपरान्त सम्मिलित हो सकता है। यह मान्यता केवल हीवेट रोड तथा दारागंज स्थित विद्यापीठों की विद्याविनोदिनी परीक्षा पर ही लागू है। इसके अतिरिक्त जो अन्य अमान्य विद्यापीठ खुल गई हैं और जो विद्याविनोदनी परीक्षा का प्रमाण पत्र दे रही हैं, वे मान्य नहीं हैं और उनमें उत्तीर्ण विद्यार्थी इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किए जाते। पिछले दो वर्षों से यही प्रथा चल रही है और इससे असन्तुष्ट कुछ परीक्षार्थियों ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में समादेश (रिट पेटीशन) भी लगाये, किन्तु वे सफल नहीं हुए और उच्च न्यायालय ने सदा के लिए यह निर्णय दे दिया कि अमान्य विद्याविनोदिनी परीक्षा पास विद्यार्थी इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी है।

इसकी सूचना समय-समय पर विनियमों में परिवर्तन कर परिषद् के कैलेन्डर तथा प्रासपेक्टस में छपा दी गई। साथ ही साथ सरकारी विज्ञप्तियों द्वारा गजट में भी इसका प्रकाशन किया गया। बोर्ड ने अपने कई परिपत्रों द्वारा प्रदेश के समस्त शिक्षा अधिकारियों, विद्यालयों, इत्यादि को इसकी सूचना दी। अन्तिम सूचना सितम्बर, १९६५ में जारी की गई थी। इस प्रकार सर्वसाधारण को इस बात की पर्याप्त सूचना दी जा चुकी है कि अमान्य संस्थाओं द्वारा दी हुई विद्याविनोदिनी परीक्षा का प्रमाण पत्र इन्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्वीकार नहीं किया जायगा।

उपर्युक्त वर्णित सभी कारणों से प्रयाग महिला विद्यापीठ के हीवेट रोड तथा दारागंज, इलाहाबाद में स्थित कार्यालयों द्वारा प्रदत्त विद्याविनोदनी के (उच्च अंग्रेजी सहित) उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र प्राप्त परीक्षार्थियों को ही इन्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति इस वर्ष १९६६ में भी गत वर्षों की भांति दी गई है तथा अमान्य विद्यापीठों द्वारा जारी किए गए विद्याविनोदिनी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को १९६६ की इन्टर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है।

प्रश्न में जहां यह कहा गया है कि गत सप्ताह परिषद् के सचिव ने कोई आज्ञा अमान्य संस्थाओं द्वारा विद्याविनोदिनी परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को इन्टर परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के बारे में जारी की है यह सत्य नहीं है। इस प्रकार का कोई परिपत्र निष्क्रान्त नहीं हुआ है, वरन् जिन छात्राओं ने हीवेट रोड तथा दारागंज स्थित शाखाओं के अतिरिक्त अन्य शाखाओं से प्रदत्त विद्याविनोदिनी परीक्षा के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे, उन सभी के आवेदन-पत्र रद्द कर उसकी सूचना संबंधित व्यक्तियों को दी गई है।

ऐसी परीक्षार्थिनियों की संख्या १८९ है। संस्थागत ३० तथा व्यक्तिगत १५९ है। इनमें कानपुर तथा लखनऊ जिलों से सम्मिलित होने वाली छात्राओं की संख्या क्रमशः २० तथा ३८ है। शेष जिलों की छात्राओं की संख्या १३१ है। जहां तक गृह विज्ञान आदि की प्रेक्टिकल परीक्षा में सम्मिलित हो चुकने का प्रश्न है यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रेक्टिकल परीक्षा में प्रवेश से किसी छात्र या छात्रा को इस बात का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है कि उसे मुख्य परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जायगा। प्रैक्टिकल परीक्षायें जनवरी फरवरी में होती हैं और उसके लिये भेजी गई सूचना में यह स्पष्ट उल्लेख रहता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की इससे अनुमति प्राप्त नहीं होती। वह अनुमति बाद में मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बोर्ड द्वारा भेजी जाती है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संबंध में इन्टरमीडिएट बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही बिल्कुल सही तथा नियमानुकूल है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो समय निर्धारित किया था कि अप्रैल, १९६४ तक जो अंग्रेजी विषय के साथ विद्याविनोदिनी सार्टिफिकेट कुछ सेंटरों ने प्रदान किये हैं, उनको मान्यता प्रदान की जायगी और अन्य को नहीं प्रदान की? इस संबंध में प्रयाग महिला विद्यापीठ के नाम से कुछ प्रमाण-पत्र दिये गये जिनमें सेंटर का नाम नहीं है बल्कि प्रयाग महिला विद्यापीठ को चूंकि मान्यता प्राप्त थी और इसी कारण से वहां से पास हुई लड़कियां सरकारी सेवाओं में थीं और आगे की परीक्षाओं में भी शामिल की गयीं तो इन लड़कियों को भी चूंकि जानकारी नहीं थी कि मान्यता समाप्त हो गयी है और यदि है भी तो किस सेंटर से है और कुछ लोगों ने अगर इस तरह का षड़यन्त्र करके फर्जी सेंटर कायम किये थे तो लड़कियों को उसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने प्रमाण-पत्र भी प्राप्त किये और उनके

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आधार पर विधिवत् इण्टर में कालिजों में उनका ऐडमीशन भी किया गया और उन्होंने फार्म भी सबमिट किये और प्रवेशपत्र मिला। इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए और जबकि लड़कियों की संख्या शिक्षा में कम है, क्या सरकार उनके प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि केवल दो सेंटरों को ही मान्यता दी गयी थी और यह मान्यता सन् ६४ से ही समाप्त नहीं की गयी, उसके बाद भी केवल उन दो के लिये यह पूर्व मान्यता कायम रही १०६ हिवेट रोड और ५५६ दारागंज। अन्य कई संस्थाओं ने ऐसे ही सार्टिफिकेट देने शुरू कर दिये। उसमें भी तरह-तरह की शिकायतें आयीं और उनकी जांच करने पर पता लगा कि बहुत ही गड़बड़ घोटाला है। यहांतक भी चार्जेज आये कि ये तो बिना परीक्षा लिये ही प्रमाण-पत्र बेच देते हैं।

जहांतक वैधानिक प्रश्न की बात है तो पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि बराबर इस घोषणा को गजट कर दिया गया, मान्यता मिट चुकी, रिट हो चुका, फैसला हो चुका। उसके बाद अब और कोई विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जिन सेंटरों को सरकार ने मान्यता प्रदान की, उनके ऊपर भी यह चार्जेज हैं कि वह भी इस तरह के फर्जी सार्टिफिकेट ईश्यू करते थे। तो यदि दूसरे सेंटरों ने भी परीक्षायें ली हैं और सार्टिफिकेट ईश्यू किये हैं तो इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि लड़कियों ने २-३ साल कालेज में नाम लिखाकर पढ़ा है और परीक्षा में पास हुई हैं और उनको पता भी न था कि वह धोखे में हैं तो जिस तरह से आपने उन दो सेंटरों को छूट दी है इस साल उनको भी परीक्षा में बैठने देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह संभव नहीं होगा। इस प्रकार की छूट पहले भी नहीं दी है अमान्यता-प्राप्त संस्थाओं के लिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यता छीनते समय शिक्षा मंत्री और उपशिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था पहले कि जो लड़कियां पास हो चुकी हैं उनको इम्तहान में बैठने का अधिकार होगा तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जिस दिन से मान्यता छीनी गयी है, उससे पहले जिन्होंने वह परीक्षा पास की है उनको इसमें बैठने की आज्ञा दे दी जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिस समय तक मान्यता थी तब तक जिन्होंने इसे पास किया है उनको तो हमने परमीशन दे रखी है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि मान्यता छीनने से पहले जिन लड़कियों ने उस परीक्षा को पास कर लिया था उन्हें भी इन्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

दारागंज और हिवेट रोड पर जो संस्थायें थीं श्रीमन्, उनकी मान्यता हमने स्वीकार की है और हमने वहां से जिन लड़कियों ने वह परीक्षा पास की थी उनको इसमें बैठने की

परमीशन दी। जब तक मान्यता स्वीकार की, तब तक जिन्होंने भी पास किया है उनको परमीशन दी है। जिन संस्थाओं को हमने मान्यता नहीं दी थी, उन संस्थाओं ने जो सार्टिफिकेट दिये हैं, उनको हमने परमीशन नहीं दी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी लड़कियां इनमें ऐसी हैं जो रेगुलर स्कूल में पढ़ती रही हैं और कितनी ऐसी हैं जो रेगुलर नहीं रही हैं, जिनको कि आपने परमीशन नहीं दी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो मैंने बताया है कि संस्थागत ३० हैं, १८९ कुल हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन लड़कियों ने इन्टर का प्रथम वर्ष पास कर लिया है और जो फाइनल में बैठने की योग्यता रखती हैं, उनको इन्टर की परीक्षा में बैठने की परमीशन न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नियमों के अनुसार जो भी बैठ सकती हैं उनको परमीशन दी गयी है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जब इन परीक्षार्थियों ने अपने आवेदन-पत्र भरे थे तो वहां के प्रिन्सिपल्स ने उन आवेदन पत्रों को भेजने से पहले यह देख लिया था कि वे इन्टर में बैठ सकती हैं या नहीं। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि भर्ती के समय इन परीक्षाओं को मान्यता थी या नहीं, दूसरी बात यह कि अगर इसमें कोई कमी थी तो सेक्रेटरी बोर्ड आफ एजूकेशन ने उसे उसी समय रेजेक्ट करके उसकी सूचना परीक्षार्थियों को क्यों नहीं दे दी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

असावधानी तो उन प्रिन्सिपल्स की ओर से हुई है, उनको पहले देख लेना चाहिये था।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो एक्जामिनेशन लड़कियों ने दिये हैं, अगर वे मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं हैं तो माना जायेगा कि ये प्राइवेट स्कूल्स हैं और यह भी माना जा सकता है कि उन लड़कियों ने कोई एक्जामिनेशन पास नहीं किया। कोई आदमी दो साल तक रेगुलरली किसी स्कूल में जो मान्यता प्राप्त है शिक्षा प्राप्त किया हो और उसके बाद उस एक्जामिनेशन में अपीयर होने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें इनको क्या एतराज है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह नियमानुकूल नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, जिसको सरकार आज फर्जी सर्टिफिकेट्स मानती हो और जिसमें बाकायदा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र मिले हुए हों और सैकड़ों लड़कियों की जिन्दगी इस तरह बरबाद की गई हो, तो क्या सरकार ने इसकी कोई जांच की है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके बारे में मैं पहिले ही निवेदन कर चुका हूं कि केवल दो संस्थायें मान्य हैं और बाकी अमान्य हैं। जांच होने के बाद ही निवेदन किया गया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्रिन्सिपलों की असावधानी से हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रिन्सिपलों की असावधानी का दुष्परिणाम परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों को ही भुगतना चाहिये, अच्छा होता कि सरकार उनकी गलती का दंड इनके सिर न आने दे।

श्री अध्यक्ष—

यह बहस है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अब श्रीमन्, गलती तो प्रधानाचार्यों की है। उनसे ही पूछ लिया जायेगा। पर जो नियमानुकूल न हो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री ऊदल—

प्रश्न यह उठता है कि यह प्रयाग महिला विद्यापीठ जिसकी मान्यता सन् ६४ के बाद छीनी गई है और उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि इस वक्त जितनी लड़कियां पास हो गई हैं और जिनको सर्टिफिकेट दे दिये गये थे उनको वे सारे अधिकार हैं आगे पढ़ाई करने के लिये और आगे इम्तहान में बैठने के लिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी पुनः जांच करायेगी कि जो लड़कियां इम्तहान में बैठती हैं ये ६४ के पहिले की पास हैं या बाद की?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

माननीय सदस्य पता भूल जाते हैं। पते के साथ पढ़ लें तो पता चल जायेगा कि वे बाद की होंगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ फर्जी संस्थायें हो गई थीं। मेरा निश्चित सवाल यह है कि सन् ६४ से पहिले कितनी संस्थायें ऐसी थीं जिन्हें मान्यता प्राप्त थी और सन् ६४ के बाद भी दो संस्थाओं का नाम बताया कि ये मान्यता प्राप्त थीं। तो इस भेदभाव का कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष—

सन् ६४ के पहिले जितनी भी विनोदिनी परीक्षा उत्तीर्ण बालिकायें थीं वे तो इम्तहान दे सकती हैं और सन् ६४ के बाद केवल दो संस्थायें ही मान्यता प्राप्त हैं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सन ६४ के पहिले वाले जितनी हैं उनमें दो ही संस्थायें मान्य हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा मतलब संस्थाओं से है लड़कियों से नहीं है। सन् ६४ से पहिले कितनी संस्थायें थीं जिनकी कि डिग्री को मान्यता प्राप्त थी और सन् ६४ के बाद केवल दो मंत्री जी ने बतलाई कि मान्यता प्राप्त थीं, क्या दो से ज्यादा.....

श्री अध्यक्ष—

अब वे तो कह रहे हैं कि दो ही संस्थाओं को मान्यता प्राप्त थी सन ६४ के पहिले भी। बाद में किसी को नहीं रह गई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

जब सदन में विद्यार्थिनीदिनी परीक्षा के सिलसिले में बहस हो रही थी और प्रदेश के सभी शिक्षा संस्थाओं को पता लग गया था कि ये परीक्षा मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ने उनको परीक्षार्थी स्वीकार किया और जब परीक्षा होने जा रही है, तब उनको निकाल दिया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ये फार्म भर कर जाते हैं, उनकी स्क्रुटिनी होती है। प्रेक्टिकल परीक्षा पूर्व ही हो जाती और उस परीक्षा में ऊपर से ही गड़बड़ी नहीं मालूम पड़ती। कोई भी रोका नहीं जाता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह तो विरोधाभास है।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

लड़कियों के २ वर्ष का समय नष्ट होने तथा उनके खर्चे का लिये सरकार कम्पेनसेट कराने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो सिविल मामला होगा।

कालागढ़, जिला बिजनौर के मजदूरों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री जी का मेरे पास प्रार्थना-पत्र आया है कि आज वह वक्तव्य न दे सकेंगे। परसों तक का समय उन्होंने मांगा है।

श्री पादमेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

अभी हमारे कार्यालय में वहां से फोन आया और कार्यकर्त्ता भी आये हैं कि वहां भी स्थिति बड़ी भीषण हो गई है। आपने इसे केवल वक्तव्य के लिये भेजा है। वहां गोली चली है और लाठी-चार्ज हुआ है और कम्युनिकेसन्स सब कट गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस स्थिति पर भी वक्तव्य आ जाय, केवल इस्ट्राइक पर ही नहीं। नियम ५२ में आप इसे ले लें।

श्री अध्यक्ष--

आप मेरे पास सूचना भेज दीजिये, मैं विचार कर लूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

१२ तारीख से १० आदमियों ने फास्ट-अनटू-डेथ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं सबसे कहता हूं कि अगर कोई सूचना देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा।

लोक, लेखा-प्राक्कलन तथा विभिन्न स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन का परिवर्तित कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

लोक–लेखा, प्राक्कलन तथा स्थायी समितियों के लिये नामजदगी की अंतिम तिथि १४ मार्च थी। अब उसे बढ़ाकर २२ मार्च कर दिया जाय, इस आवेदन पर सब ही के हस्ताक्षर हैं। तो क्या इसे स्वीकार किया जावे ?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो अब १४ के बजाय नामजदगी की तिथि २२ मार्च हो गई। निर्वाचन संबंधी शेष कार्यों की तिथियां बाद में निश्चित की जायंगी।

करछना व मेजा तहसीलों में तथा कथित अकाल

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, राजस्व मंत्री की ओर के कृषि मंत्री श्री गेंदासिंहजी करछना और मेजा तहसीलों में अकाल की स्थिति देखने के लिये गये थे। अगर उनकी रिपोर्ट आगई है, तो माननीय राजस्व मंत्री जी सदन को बतावें कि वहां की क्या हालत है और सरकार क्या व्यवस्था कर रही है।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अभी मेरे पास उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन व अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनायें

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

अध्यक्ष महोदय, क्या दोनों अनुदानों को एक साथ मूव कर दूं ?

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५–खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,३७,७५,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय तथा अनुदान संख्या ५४–राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ७२,५६,४९,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सर्वविदित है कि गत २, ३ वर्षों में खाद्यान्न के संबंध में हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि समस्त देश और इस पृथ्वी के अधिकांश भूभागों में बड़ी विषम परिस्थिति रही है। उपभोक्ताओं को और विशेषकर गरीब तबके के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने देश में इस विषय को लेकर कुछ गड़बड़ियां भी हुईं।

एक सदस्य—

गड़बड़ी कैसी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी:—

परन्तु चूंकि उत्तर प्रदेश में नहीं हुई इसलिये आपका यह प्रश्न है कि किस प्रकार की गड़बड़ी। खैर, यहां की जनता और उसके प्रतिनिधि इसके लिये बधाई के पात्र हैं। (कुछ सदस्यों के कुछ बोलने पर)

अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी व्यवस्था की बात नहीं उठाई लेकिन अगर माननीय सदस्य कोई हल्ला करें और मैं बैठ जाऊं तो मेरा समय जितना इनके हल्ला करने में जाय वह मुझे पूरा करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, ये हल्ला नहीं करेंगे। आज का गम्भीर विषय है।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्रीजी ने इसी प्रदेश की बात न कहकर दूसरे प्रदेशों की बात भी कही। वह जो चाहें अपने मन की बात कहें लेकिन जब आपने अपील कर दी कि गम्भीर विषय है तो उन्हें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये था और खासकर हल्ला शब्द का प्रयोग बिलकुल अशोभनीय है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

केशरीप्रसादजी को शायद भ्रम हो गया है। (कम्युनिस्ट दल की ओर संकेत करके) उन्होंने कहा था कि भविष्य में गड़बड़ी होगी, शायद आपने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, अब यह बात समाप्त।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं यहां की जनता और उनके प्रतिनिधियों को बधाई दे रहा था कि इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए उन्होंने बड़े संयम से काम किया। जैसा मैंने कहा, अन्य प्रदेशों में कुछ गड़बड़ी हुई भी, मगर हमारे प्रदेश में शान्ति रही और इसमें हम सभी सफल रहे। अगर विफल होते तो हम सब होते और सफल रहे तो हम सब रहे। इसलिये, जहां तक मेरा खयाल है, हमारे प्रदेश की स्थिति कीमत के लिहाज से और उपलब्धि के लिहाज से, सारे देश के मुकाबले में उत्तम रही। यद्यपि मैं खास तौर से उन पार्टियों का नाम नहीं लेता लेकिन उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कानपुर की अपनी एक बैठक में कि केवल उत्तर प्रदेश का और एक भाग पंजाब का छोड़कर बाकी सर्वत्र अन्न की अवस्था बड़ी शोचनीय और दयनीय है। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख इस विषय पर बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि यह सम्भवतः पूरे बजट पर वाद विवाद करने का इस असेम्बली के जीवन काल में यह अन्तिम वर्ष है और इस के बाद जो सन् ६७ का बजट प्रस्तुत होगा वह तो काम चलाऊ बजट प्रस्तुत होगा और पूरे बजट पर वाद-विवाद का यही एक मौका है। कम से कम आज जो समस्यायें देश और प्रदेश के सामने हैं और जो बहुत गम्भीर हैं, उस पर हमें किसी न किसी बात को सोचकर कोई न कोई निर्णय अवश्य लेना चाहिये। मुझे करीब-करीब आधा दर्जन वर्षों से ज्यादा से इस विभाग को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और जैसा मैंने कहा हस्बमामूल तरीके पर हमने अपनी गाड़ी को चलाया लेकिन बहुत सी मौलिक बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कोई न कोई निर्णय लेना ही चाहिये और यह जो निर्णय नहीं लिया जा रहा है जिसकी शिकायत विरोधी दल को रही है, वह अब भी हैं और बराबर रहेंगी क्योंकि कोई स्थिर खाद्यनीति हमारी या केन्द्रीय सरकार की है नहीं। खाद्य नीति पर कोई स्थिर नीति बनाने के लिये बहुत सी चीजों को हमें अपने ध्यान में रखना होगा।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

एक तरफ तो हम यह आशा करते हैं कि चीजें सस्ती हों, कोई कंट्रोल न हो, फ़्री ट्रेड हो जैसा कि स्वर्गीय रफी साहब ने कंट्रोलों को हटाया, देश को बड़ी राहत दी लेकिन इससे स्थिर नीति तो नहीं हो सकती। मौलिक दिक्कत यह है कि अगर कहीं कीमतें ऊंची जाती हैं तब भी सरकार को आलोचना का टारगेट बनना पड़ता है और लोगों को शिकायत होती है कि कीमतें बहुत ज्यादा हो रही हैं और अगर कीमत किसी चीज की गिर जाती है जैसे आलू की इस साल गिरी तो लोग कहते हैं कि किसान मर गया। उपभोक्ताओं को आलू सस्ता होने से लाभ है लेकिन उत्पादक की हानि है, लेकिन जब हम इस बात को लेकर चलते हैं कि न तो उपभोक्ता के हितों की हानि हो और न उत्पादक के हित सफर करें तो फिर नियंत्रण की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है और मुश्किल यह है कि नियंत्रण शब्द के आते ही चारों तरफ शोर मच जाता है।

सीमेंट पर से नियंत्रण जैसे हट गया तो कोई कहता है बुराई हो गई कोई कहता है ठीक हुआ इसलिये बगैर कंट्रोल के नीति स्थिर नहीं हो सकती और सदन में जो दल हैं उनके भिन्न भिन्न विचार हैं कन्ट्रोल के बारे में, कुछ फ़्री ट्रेड वाले हैं, कुछ स्टेट ट्रेडिंग वाले हैं। हमें जनतन्त्र में बहुमत के साथ चलना पड़ता है और जो भी स्थिर नीति बनेगी वह डेमोक्रेटिक तरीके पर ही बनेगी और जब प्रजातन्त्रीय प्रणाली से बनेगी तो बहुमत का साथ देखना पड़ेगा। बहुमत में विरोधी पक्ष के लोग भी आते हैं और अपनी पार्टी के सदस्य भी आते हैं। यह हो सकता है कि विरोधी दल की कुछ देर तक उपेक्षा करें लेकिन अपनी पार्टी के बहुमत की उपेक्षा तो नहीं कर सकते।

कुछ लोग कहते हैं कि जोन नहीं रहने चाहिये, यह तो विवाद का विषय है, लेकिन स्टेट ट्रेडिंग जब होगी तो या तो सीधे उत्पादक से खरीदना पड़ेगा या जोन बना करके इंटर-मीडियरीज से खरीदना पड़ेगा। उत्पादक से सीधे खरीदने के लिये कोई भी तैयार नहीं है, डेमोक्रेसी में मानना पड़ता है और मध्यवर्ती के जरिये लिया जाय और जोन न बनें तो यह सम्भव नहीं है। फिर आप ही बतायें कि कैसे कोई स्थिर नीति हो सकती है।

यद्यपि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था लाना है मगर क्रान्ति से हमारा स्वाराज्य नहीं हुआ और चूंकि आमूलचूल परिवर्तन इस में नहीं हो पाया कि विरोधियों की अवहेलना करके आगे बढ़ें इसलिये वह तरीका अख्तियार नहीं किया गया। इसलिये, मैंने जैसा अनुपूरक अनुदान के समय कहा था, हमारे यहां मिक्स्ड इकोनोमी, चाहे खेती की मद हो या उद्योगों की हो, सब में मिली जुली नीति चल रही है। दूसरी बात यह है कि मान लें हमने प्राइसेज को अपने प्रदेश में रेगुलेटरी मेजर्स चेक किया मगर मैं देख रहा था कि अन्य वस्तुओं की कीमतें एक ही साल में खाद्यान्न की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ी हैं। अन्य वस्तुओं की कीमतों में पिछले साल की अपेक्षा जब कि १० का, फर्क है तो खाद्यान्नों में ३ का फर्क है। इसलिये इन रेगुलेटरी मेजर्स से जब किसान के उपयोग के अन्य वस्तुयें महंगी मिलेंगी तो फिर उसके उत्पादन की कीमतों को घटा करके कैसे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये जब तक अन्ततोगत्वा सारे उद्योगों को नेशनेलाइज नहीं किया जायगा, खाद्यान्नों में स्टेट ट्रेडिंग नहीं की जायगी, कोई स्थिर नीति नहीं चल सकती, और तब तक मिक्स्ड इकोनामी चलानी पड़ेगी। यह नीति सारे देश से संबंधित है इसलिये प्रदेश में कोई अलग नीति हम नहीं चला सकते। जोन्स अगर नहीं रहेंगे तो जहां ज्यादा कीमत मिलेगी वहां माल चला जायगा। माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हम लोगों ने इन हालात में सरकस के जलते हुए लोहे के रिंग में से निकलने का प्रयत्न किया है। खाद्यान्न के साथ-साथ और कमोडिटीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ कैश क्राप आप के यहां बढ़ रही है। क्राप प्लानिंग करने के लिये क्या आप काश्तकार को मजबूर कर सके हैं कि वह इतने रकबे पर गन्ना बोये? इतने रकबे पर गेहूं बोये, इसके लिये अभी हमारा देश तैयार नहीं है। यहां तो भिन्न भिन्न विचार धारायें हैं। मैंने देखा कि फूड आर्टिकिल्स में जितना उत्पादन है, उससे ज्यादा कैश क्राप्स का उत्पादन है। हम उनको रोक भी नहीं सकते हैं। आपका उत्पादन पिछले साल ११६ लाख

टन हुआ था। इस साल अन्दाजा है कि यह १५० लाख टन होगा। यह पिछले सालों में १३८ से १४० लाख टन के बीच में वेरी करता रहा है। १९५२ में यह १००–११२ लाख टन हुआ। तो प्रगति नहीं हुयी, यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। हमारा प्रोडक्शन गिरा भी, तब भी पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है लेकिन आप जरा पापुलेशन को भी देखिये। आपकी पापुलेशन इस साल में लगभग १६ लाख बढ़ी है तो अगले साल यह १७ लाख और उससे अगले साल यह १८ लाख हो सकती है। बाद में यह १९ लाख तक बढ़ सकती है। हमने १९७१ तक का अन्दाजा लगा रखा है। मैं माननीय चन्द्रसिंह रा त जी से इत्तिफाक करता हूं कि विदेशों में झोली लेकर फिरना और गल्ले की मांग करना बड़े शर्म की बात है। हमें चाहिये कि हम आलू खायें। आज क्या कारण है कि हम मद्रास के आगे हाथ जोड़ रहे हैं ? अगर गेहूं खाना बन्द कर दें तो क्या हर्ज है ? तो मैं समझता हूं कि हमको अपनी फूड हैबिट्स को बदलना भी पड़े, तो बदलना चाहिये। आपका फर्ज, धर्म और कर्त्तव्य भी यही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने आलू खाने के लिये कहा है तो क्या वे भी दो वक्त में से एक वक्त आलू का से न करते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

वैसे तो विरोधी दल को हमारी आलोचना करने का धर्म है, लेकिन साथ ही साथ उनका यह भी धर्म है कि वे उस पर विवेचना भी करें। उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें डायबेटीज की बीमारी है, यदि प्रत्येक व्यक्ति १० औंस के हिसाब से, हांलाकि पेट तो १० में नहीं भरता, १०–२० औंस में ही भरता है, भी खाये तो भी बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे साफ-साफ बतायें कि क्या वे दो वक्त में से एक वक्त में आलू खा कर रहते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––

हमने तो कहा है कि डायबेटीज वालों को नहीं। चूंकि मुझे डायबेटीज है इसलिये मुझे आलू नहीं खाना चाहिये लेकिन फिर भी डाक्टर की हिदायत के विरुद्ध भी मैं थोड़ा बहुत खा रहा हूं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त आपकी पैदावार १५० लाख टन ज्यादा इस साल हुयी है। हम चाहते थे कि जितनी कमी पड़ी है, अर्थात् १०–१२ लाख टन की, उतनी पूर्ति हम अपने यहां से उपलब्ध कर लेते। जब अमेरिकन गेहूं आ ही गया है तो यही सोचा गया कि उसे ले लिया जाय। अब केंद्रीय सरकार ने ५० हजार टन के बजाय ७० हजार टन कर दिया है और १०, १२ लाख टन में से ८ लाख की क्षति केंद्र से और पूरी हो जायगी। बाकी क्षति को हम अपने यहां मोटे आनज से पूरी करने की सोच रहे हैं। हर साल परिस्थितियों को देखते हुये कि कितना बाहर से मिलेगा और कितना यहां से उपलब्ध होगा और जोड़ तोड़ मिलाकर हम अपनी गाड़ी खींचते चले जाते हैं लेकिन यथार्थ में हमें अपने देश में स्वावलम्बी बनना है तो उसके लिये हमें निश्चित नीति अपनानी होगी। कभी प्राइस सपोर्ट देने की बात होती है तो कभी कीमतों को ऊंचा उठा कर राशन के तरीके पर देने की बात होती है। एक न एक रास्ता जरूर निकालना होगा। लेकिन कुछ लोग इन रास्तों के खिलाफ भी हैं और वे यह समझते हैं कि इन रास्तों को अपनाने में भ्रष्टाचार बहुत फैला है और लोगों को कष्ट बहुत होता है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के लिये या बुराई के लिये अगर आप हमें जिम्मेदार समझते हैं तो हमें प्रतिवाद करने का भी साहस होना चाहिये या नहीं, यह भी विचार करने की बात है। जितने सर्विस में हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी हैं, पुरानी सर्विस के लोग निकल गये और नई के बराबर जारी हैं तो ये सब रेक्रूट हो कर इंग्लैन्ड से नहीं आये हैं। हमारे और आपके परिवारों के ही शख्स हैं। अगर आप उनके रवैये के लिये अपने को बिलकुल तटस्थ करलें और सारी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर डाल दें तो मेरी समझ में यह आप हमारे ऊपर ज्यादती करते हैं। हमारा तो सरकार में रहने के नाते ही उन पर अधिकार है लेकिन आपके वे बच्चे व भाई हैं जिसके नाते आपको ज्यादा अधिकार है। अगर कोई अफसर भ्रष्ट है, खराब है, बुराई करता है, तो उस लांछन तथा कलंक के लिये हम सब जिम्मेदार होंगे और सभी को उसे बरदाश्त करना होगा। मैं यह बात सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक बालकाल से ट्रेनिंग नहीं होगी उनकी शिक्षा दीक्षा तथा रहन-सहन में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक यह कोढ़ दूर नहीं हो सकता। (व्यवधान) आप कैलाश प्रकाश जी की तरफ इशारे करते हैं, तो वह एक हैं, कुल एक और अध्यापक, सरकारी नौकर अनेक हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या पास करेंगे। आपकी सद्बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। मगर मैं तो यह कह रहा था चूंकि यह आखिरी समय है इसलिये सही बात बता दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

डाइंग डिक्लेरेशन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह डाइंग डिक्लेरेशन मेरा नहीं, सारी असेम्बली का है। अगर हम चाहते हैं कि यू०पी० में कोई नीति चले सभी पार्टियां मिल कर एक नीति अपनायें और कहें कि स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये, अलग-अलग बातें मत कहिये....

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हम सब लोगों ने कहा कि जो सवा गुना मालगुजारी बढ़ायी है, उसको वापस लो, भूमि-भवन कर वापस लो मगर सरकार ने वापस नहीं लिया। यह तो सिर्फ कहने की बात है कि सब अपोजीशन के लोग एक राय हो कर कहें तो सरकार मान लेगी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं रामसुन्दर जी की बात का स्वागत करता हूं। मगर यह तो बता दीजिये कि क्या किया जाय। इसके एवज में कोई दूसरा टैक्स बता दीजिये तो हम जरूर हटा देंगे। आप जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहें तो हम उसे जरूर मानेंगे। कोई वजह है कि आपकी बात ठुकरा दें, बशर्ते कि आप उन सब पहलुओं को समझते हुये अपनी जिम्मेदारी को मानते हुये कोई बात कहें ? गवर्नमेंट तो हमें चलानी है। आपका क्या बिगड़ता है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आपकी इच्छा स्टेट ट्रेडिंग करने की है या नहीं, और अगर है तो क्यों नहीं करते ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मेरी राय है, मगर मेरी राय नहीं चल सकती। डेमोक्रेसी में बहुमत की राय चलेगी। मिक्स्ड एकोनामी बहुमत की राय है। पिछले साल इतनी कमी हुई कि इस साल सभी सोचते थे कि भाव बहुत बढ़ेगा और हमारी प्रधान मंत्री रोज कहती हैं कि न जाने आगे क्या हो जाय। मगर उत्तर प्रदेश में उल्टा होता चला जा रहा है। पिछले साल गेहूं का भाव ९० रुपये प्रति क्विंटल था आजकल के दिनों में मगर इस साल ७० ही रुपये का भाव है और अभी भी डाउनवर्ड

ट्रेंड है। (व्यवधान) आप परेशान हो रहे हैं। इलाहाबाद में मैंने यह कह दिया कि जितना गल्ला चाहिये लो, ६ हजार टन हमारा रखा है। आर० एफ० सी० को कह दिया है कि भेजते चले जाओ। ३४ दुकानें खुल गयी हैं। १४ में बंटवारा शुरू हो गया है और ३४ खोल दी गई हैं, बाकी मैं नहीं जानता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, गल्ला पहुंचाया नहीं और दुकान कैसे खोल दीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि १४ में गल्ला बांटा जा रहा है। जहां स्टाक है वहां से गल्ला जा रहा है। मैं मानता हूं कि किसी पाकिट की हालत कुछ खराब हो सकती है। लेकिन मेरा ऐलान है कि जिस जिले में जितना चाहें उतना गल्ला देंगे। हम इंकार कब कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

क्या यह तय हो गया है कि और कोई नहीं बोलेगा और मंत्री जी ही बोलते रहेंगे और आप बीच-बीच में पूछते रहेंगे ? अगर बीच-बीच में आप सवाल पूछते रहेंगे तो वह दिन भर बोलते रहेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि गेहूं और चावल का जहां तक संबंध है....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मंत्री जी यह बता दें कि कितनी दुकानें इनकी फंक्शन कर रही हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, रूरल एरिया में २०६३ और अरबन एरिया में तीन हजार के करीब दुकानें हैं। जबरदस्ती थोड़े ही खोल देंगे। मैंने कहा न कि ज्वार, बाजरा, मक्का और चना जितना चाहें उतना लीजिए। लेकिन आपको तो चावल और गेहूं का स्वाद पड़ गया है। मैंने इशारे से बता दिया है और आप समझ भी गये हैं। अब सीमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं है और लोहे पर भी केवल टिन शीट्स पर है। चीनी की हालत यह है कि कोई उठाता नहीं है और हम उसकी मात्रा बढ़ाने वाले हैं और खांडसारी को खोलने वाले हैं। इसलिये कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) जबर्दस्ती आप तिल का ताड़ बनाना चाहते हैं तो बना लें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, दो बातों का जवाब दिला दें कि जितनी दुकानों के लिये कहा है....

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में बोल लें।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

कमी करने का उद्देश्य: विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों मांगों के अधीन प्रस्ताव पेश कर दिया है । मैंने ढपोरशंख सुना था, देखा नहीं था और यह भी अनुभव नहीं हुआ कि वह ६ साल तक अपने साथ ही बैठते थे । लेकिन आज जो उनका भाषण हुआ उससे ढपोरशंख असली रूप में प्रगट हो गये थे ।

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के पूरे भाषण में विरोधाभाष था और जिस समय उन्होंने....

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गौरव गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे सदन की मर्यादा भंग न हो । माननीय सदस्य ने ढपोरशंख शब्द का प्रयोग किया है, यद्यपि वह असंसदीय तो नहीं है फिर भी वह शब्द सदन की गौरव, गरिमा के प्रतिकूल है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैंने मंत्री जी के भाषण से मुख्यत: दो बातों को जानने का प्रयास किया और वह ये हैं कि पहला कि क्या यह सरकार कोई नीति निर्धारित करने की दिशा में जाना चाहती है । और दूसरे क्या यह सरकार हमारी खाद्य की समस्यायों को हल करने के लिये कोई पग उठाना चाहती है । इन दो बातों में से किसी की ओर भी सरकार ने अपना समान रूप से ध्यान नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सर्वविदित है कि आज जो केन्द्र की 'जोन्स' की नीति है, उसके विरुद्ध जनता में व्यापक असन्तोष है और उसका कारण है कि केन्द्र के विभिन्न भागों में आज अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । उसी का कारण यह है कि केरल प्रदेश में जो स्वभावत: चावल पहुंच जाता वह जनता के तमाम बवन्डर और सरकार द्वारा किये गये गोलीकांड के बाद सम्भव हुआ है । यह सारा हाहाकार और बवन्डर केरल में केन्द्रीय सरकार की दोषपूर्ण नीति जो जोन की है उसके कारण हुआ है ।

मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से नहीं, छिपे तौर से कहने की कोशिश की है कि वह केन्द्र की नीतियों के जिम्मेदारी नहीं है । लेकिन यह कहने से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती । कांग्रेस सरकार का एक आदमी यहां पर बैठकर कह दे कि वह केन्द्र की नीतियों का जिम्मेदार नहीं है । लेकिन सरकार तो जब वह अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से नहीं कहती है और केन्द्र द्वारा किये गये नीतियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती है और उनसे अपनी सहमति प्रकट करती है तो जरूर वह उन नीतियों के प्रति जिम्मेदार है । यदि वह किन्हीं नीतियों के विरुद्ध है तो उसे उसका अवश्य ही विरोध करना चाहिये तभी समझा जा सकता है कि वह उसके समर्थन में नहीं है । ६ या ७ वर्ष से जब से मंत्रीजी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, तब से हम विरोधी दल के लोग सरकार की दोषपूर्ण अर्थनितियों की तरफ इंगित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं । सन् ५८ में आन्दोलन हुआ था, सैकड़ों आदमी जेल में गये थे और सरकार को स्थिति से अवगत कराया था ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज मंत्री जी ने सदन में चर्चा करते हुए कहा कि 'भाव गिर गये' । भाव गिरना उठना क्या, वह तो होते ही रहते हैं । प्रति वर्ष गेहूं के भावों में वृद्धि होती गयी है, आज भाव १६ रुपये से ४० रुपया तक चढ़ गया है और जब ३५ रुपये हो गये तो वह कहते हैं कि गिर गये । जब काश्तकार को उस भाव में देने की बात होती है तो भाव २० रुपया के ही रह जाते हैं । मैंने बजट के आकंड़े इस वर्ष की दृष्टि से ही नहीं पिछले वर्षों के बजटों के दृष्टि से भी देखे हैं । १८ करोड़ रुपया जो इस हेतु रखा था गल्ला खरीदने के हेतु, उसमें से केवल ७ करोड़ रुपए का गल्ला खरीदा गया था और शेष रुपया अनुपयोगी पड़ा रहा । यह रुपया अब बढ़कर ६० करोड़ हो गया है, इससे अनुमान लगता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी कमी होगी । मंत्री जी कहते नहीं थकते

कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे भोजन प्राप्त करने वाले जो मुंह हैं वह भी बढ़ रहे हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का प्रश्न है जब तक वह दूनी रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे तब तक राहत नहीं मिल सकती है। दो लाख एकड़ भूमि कृषि में अधिक आ गयी और उससे हमारे उत्पादन में कुछ वृद्धि हो गयी तो क्या उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है?

माननीय गेंदासिंह जी से प्रश्न यहां पर हुआ लेकिन माननीय गेंदासिंह जी यह आंकड़े नहीं दे सके कि रबी के आन्दोलन के अन्तर्गत जो प्रयास किया गया पिछले वर्ष या इस वर्ष उसके अन्तर्गत कितनी डबल क्रापिंग हो सकी है। उन्हें पता नहीं है। मैंने कोशिश की खाद्य उत्पादन की योजना के बारे में कुछ जानने की। कृषि मंत्री, उनके सचिव, उनके नीचे के लोग कोई यह नहीं बता सके कि ये आंकड़े कहां से प्रकट होते हैं। मैंने इसलिये जानने की कोशिश की थी कि जब आंकड़ों में वास्तविकता नहीं होती है तो उन आंकड़ों में वास्तविक उत्पादन भी नहीं होता है। जैसा कि सीरियल का उत्पादन होता है। सीरियल का उत्पादन जितना आपके यहां रहता है वह इस प्रदेश में लगभग ४० लाख टन रहता है। १११ लाख टन इस प्रदेश में अन्न पैदा होता है। अगर आप सरकारी आंकड़ों को ही लेलें तो लगभग ९ लाख ३९ हजार टन बीज के लिये जाता है। ६ लाख टन ऐसा रहता है जो कि रखरखाव में खराब जाता है और करीब ११ लाख ९४ हजार टन ऐसा रहता है जो कि इस प्रदेश से दूसरे प्रदेशों को भेजा जाता है। मैं इसलिये इन आंकड़ों को माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं कि अगर १११ लाख टन में से ये निकाल दिये जायं तो ८४ लाख टन यहां बचता है। एक बात मंत्री जी ने यह कही कि अगर १९ औंस प्रति व्यक्ति को प्रति दिन दिया जाय तो १५२ लाख टन की आवश्यकता है। १४ औंस प्रति दिन के हिसाब से प्रति व्यक्ति हम खिलायें तो १४८ लाख टन चाहिये। उन्होंने कहा कि अगर १० औंस प्रति व्यक्ति खिला दें तो हमको खाद्यान्न की कमी पूरी हो जायगी और जो इसमें कमी पड़े वह आलू खा लें।

श्रीमन्, आज बाजार में आलू इसलिये है कि १० औंस अन्न और ९ औंस आलू हर एक आदमी नहीं खाता है। अगर ९ औंस आलू खाया जायगा तो फिर १३२ लाख टन आलू की आवश्यकता होगी। तब फिर आलू की बाजार में क्या स्थिति होगी? आज आलू बाजार में इसलिये दिखाई पड़ता है कि जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और जिस मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसका उत्पादन कुछ अधिक हो गया है और तरकारी कुछ अधिक पैदा हो गई है। इसलिये भी है कि सरकार में अक्षमता है अपने कृषकों को उत्पादन का मूल्य समान देने में और उस माल का वह उस तरह से इन्तजाम नहीं कर पाती है जिस प्रकार कृषकों के लिये होना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और इससे समस्या और उलझेगी। माननीय मंत्री जी ने एक बड़ी मजेदार बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो स्थिति हमारे सूबे की है उसका कारण यह है कि वह कोई बात निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इस देश में आज से नहीं बल्कि सदियों से यह स्थिति रही है। जो वस्तुस्थिति है उस वस्तुस्थिति को देखना चाहिये और सरकार को इन्तजाम करना चाहिये। वह वस्तुस्थिति उनकी नीति के कारण है। वह कोई आसमान से नहीं आई है। आज सरकार उन कुर्सियों के ऊपर बैठकर उन नीतियों का निर्धारण करती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने सरकार की किसी भी खाद्यान्न नीति में कोई योगदान न किया हो, ऐसी बात नहीं है। खाद्यान्न बढ़ाने में सरकार को योगदान दिया है। हां, एक बात जरूर है, यदि आप इलाहाबाद के लोगों को भूखा मारें, उनके लिये गल्ले का प्रबन्ध न करें, देवरिया के लोग भूखों मरें या पहाड़ के लोग भूखों मरें तो विरोधी दल वहां पहुंचता है और आपसे आग्रह करता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी आदमी भूखों नहीं मरा है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं समझता हूं कि १० अगस्त की प्रोसीडिंग निकाल कर देख सकते हैं कि देवरिया में खाद्यान्न की दुकानें लूटी गई हैं। क्या उन्हें पेट भरे लोगों ने लूटा था, भूखे लोगों ने नहीं लूटा था? यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि विरोधी दल के लोग सरकार की उन कमजोरियों को हमेशा सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन सरकार सर्वथा इस समस्या का समाधान करने में असफल रही है, यह कोई छिपाने की बात नहीं है। माननीय मंत्री द्वारा ऐसे वक्तव्य देने से कतई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो राज्य व्यापार योजना सप्लाई विभाग की ओर से चल रही है उसके अन्तर्गत माननीय मंत्री जी ने एक बात बड़े जोर की कही और वह बात थी करप्शन की। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शंका यह है कि राज्य व्यापार योजना इससे प्रभावी रहेगी और उसमें करप्शन रहेगा। मैं कहता हूं कि इस सदन के चारों तरफ हमारी सरकार, सरकारी दूकानों का वातावरण उत्पन्न कर रही है। महंगाई भत्ता न बढ़ाने के नाम पर सरकार दूकानों का वातावरण उत्पन्न कर रही है। मैं तो कहता हूं कि इस सदन की एक समिति नियुक्त की जाय जो इस बात को देखे कि सरकारी दूकानों पर जो माल मिलता है वह बाजार में मिलने वाले माल से महंगा है या नहीं। मेरा तो यहां तक कहना है कि सरकारी दूकानों पर जो अन्न मिलता है वह बाजार के मुकाबले सड़ा हुआ होता है। स्वयं मेरे नगर की बात ले लीजिये, अरहर का भाव बाजार में जब कि २८ रु० रहा, सरकारी दूकानों से जबरदस्ती उसे ४० रु० मन पर दिया गया। इससे बढ़ कर सरकार की अक्षमता का उदाहरण और क्या हो सकता है। मान लीजिये कि सरकार ने ७० करोड़ रुपये के गेहूं खरीदने की योजना बनायी है और अगर माननीय मंत्री जी के भाषण पर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि राज्य व्यापार योजना के लिये कई सौ करोड़ की पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी जो मेरी समझ से सरकार के वश की बात नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार अगर इस योजना को छोड़ दे तो बहुत अच्छा हो और उसके कारण कोई भ्रम लोगों में उत्पन्न न हो।

माननीय मंत्री जी ने कानपुर में जो राशनिंग की योजना चालू की है उसके लिये पिछले सप्लीमेंटरी बजट में ही हमने १४ करोड़ ८० लाख रुपये पास किये थे। माननीय मंत्री जी ने जिन मोटे अनाज के मिलने की बात कही है वे आज सरकारी दूकानों पर उपलब्ध नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में भी जो माननीय मंत्री ने खाद्य संबंधी वक्तव्य दिया था, उसके बावजूद भी वहां कोई मोटा अनाज उपलब्ध नहीं है। केवल इतनी लम्बी लम्बी बातें कहने से कुछ होने वाला नहीं है। विभाग द्वारा जो पुस्तिका हम लोगों को मिली है उससे मालूम होता है कि सरकार ने कितना गल्ला खरीदा है। गेहूं ९९५१ टन, चना ६२७६ टन, जौ ३४०० टन, अरहर ४३५७ टन, मटर ११०० टन, सवाई गेहूं जो कृषि विभाग से प्राप्त हुआ वह २२ हजार टन, वह खरीदा नहीं गया, बाजरा ३ हजार टन, ज्वार ४ हजार टन, मक्का १० हजार टन। इस तरह से ९० हजार टन गल्ला खरीदने की घोषणा सरकार ने की। मैं कहता हूं कि कानपुर की दूकानों पर बिना राशनिंग के ही इतना गल्ला खतम हो जायेगा जिसका कि माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया। इस तरह से खाद्यान्न के मामले में जनता को किसी भ्रम में रखना इस देश या प्रदेश के हित में नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर यही हालत रही तो इसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला है और उसी का नतीजा होता है कि अराजकता फैलती है। केवल सरकारी दूकानें खोल देने से और ८ औंस गल्ला सप्लाई कर देने से ही लोगों का पेट भर जायगा। सरकारी कर्मचारियों के जहां तक गल्ला खरीदने की बात है, मैं कहता हूं कि चुरा चुरा कर सब मोटरों पर लाद कर गल्ला ले जायेंगे अगर आप लोगों को पेट भरने लायक गल्ला नहीं देंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह राशनिंग के साथ ही साथ लोगों को पेट भरने लायक गल्ला दे।

माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य उत्पादन के आंकड़े इस सरकार ने दिये हैं। उन खाद्य उत्पादन के आंकड़ों से प्रकट होता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११६ लाख टन गल्ले का उत्पादन हुआ, ४७ करोड़ रुपया खर्च करके हमने जो गल्ले का उत्पादन किया, यह लगभग ११६ लाख टन हुआ। मंत्री जी ने यह बताया। उस समय हमने टार्गेट १८२ लाख टन का बनाया

था। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि १५२ लाख टन पैदा होगा जो नयी योजना बनायी है है करीब-करीब ६० करोड़ रुपये की उसमें हमने ४५ लाख टन गल्ले का उत्पादन फिर किया है जो गल्ला उत्पन्न होकर १८३ लाख टन पहुंचने वाला है। १० वर्ष में इतनी जनसंख्या बढ़ जायगी और हमारा गल्ले का उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीययोजना में जो था वह होने वाला है। दोनों तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से जब खाद्य का सवाल आता है तो वह छुट्टी पा जाते हैं वक्तव्य दे कर। खाद्य मंत्री की तरफ से जब प्रश्न उठता है तो वह केंद्रीय सरकार की आलोचना करके छुट्टी पा जाते हैं। खाद्य के सवाल को इस प्रकार न लीजिये वरना जिस संतोष के वातावरण में आप प्रदेश में बात कर रहे हैं वह बहुत दिन रहने वाला नहीं है। इसलिए माननीय मन्त्री जी इन बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करें।

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारा सप्लाई विभाग है यह मात्र खाद्यान्न सप्लाई नहीं करता। यह विभाग खाद्यान्न उस समय सप्लाई करता है जिस समय कमी हो जाती है। खाद्यान्न की समस्या प्रमुख रूप से है और वह सप्लाई विभाग की है। सप्लाई विभाग ने अपने जिम्मे सारी पूर्तियां ले रखी हैं। व्यक्ति के जीवन का सारा ढांचा सप्लाई विभाग के हाथ में है। जितनी उत्पादन वस्तुयें हैं सब का दाम सप्लाई विभाग निर्धारित करता है। उसके साथ-साथ मकान का कंट्रोल है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे हाथ से सीमेंट निकल गयी। लेकिन सीमेंट किस मूल्य पर बेची जाय यह किसका उत्तरदायित्व है। मान लिया सप्लाई आफिसर परमिट नहीं काटेगा लेकिन आज उस माल को सस्ते मूल्य पर बाजार में बेचा जाय उसके बिकवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सप्लाई विभाग जिनको लाइसेंस देता है वही सीमेंट उपभोक्ता को बेच सकते हैं। फर्क इतना है कि आज सप्लाई विभाग का जो गैर जिम्मेदारीपूर्ण तरीका था उसमें और वृद्धि हो गयी है आज वह परमिट तो नहीं काटता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारे गल्ले का नियंत्रण करता है। कोयले की दूकानें बिना लाइसेंस नहीं खुल सकतीं। कोयला बिना रेल के वैगन के नहीं मिल सकता। रेल के वैगन बिना उनको नहीं मिल सकती रेल के वैगन जिसे सप्लाई विभाग चाहेंगे उसे मिलेंगे। कोयला रेल के वैगन से ही आता है, ट्रक से वह नहीं आ सकता। और प्रत्यक्ष रूप से सप्लाई विभाग का नियंत्रण न होन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसका यह कंट्रोल और भीषण हो गया है। उसमें बढ़े हुये दामों और वितरण की अव्यवस्था के लिये क्या सप्लाई विभाग जिम्मेदार नहीं है? वह अप्रत्यक्ष रूप से सोलहों आना जिम्मेदार है। और इसी कारण सप्लाई विभाग में करप्शन की बढ़ोतरी हुई है। मैं चाहता था और सोचता था कि मंत्री जी अपने भाषण में ऐसे आंकड़े देंगे कि सप्लाई विभाग में जितने करप्शन के मामले पकड़े गये हैं, उसके लिये उन कर्मचारियों को क्या सजा दी गयी। इस सदन में पचासों सूचनायें ऐसी आयीं लेकिन आज तक शायद एक भी सप्लाई विभाग के व्यक्ति को सजा नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सप्लाई विभाग में जिस गैरजिम्मेदार तरीके से काम हुआ है उसका सबसे प्रत्यक्ष नमूना हमारे दैनिक जीवन में देखने को आता है। आप चाहे सरकार का वितरण ले लें, चाहे सरकार की उस घोषणा को लें कि सारे प्रदेश में खाद्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी साधनों से जिनका काम चलता है वे लोग भी दूने दामों पर भी बाजार में चीजें उपलब्ध कर पाते हैं और इससे बड़ा करप्शन का और दूसरा नमूना क्या हो सकता है। मंत्री जी यहां घोषणा करते हैं कि शक्कर चाहे कितनी ले लो, रवा जितना चाहे ले लो, लेकिन दारुलशफा में ही रहने वाले लोगों को ड्योढ़े दामों पर रवा और शक्कर खरीदनी पड़ती है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूर्ति विभाग है। उचित मूल्य पर वस्तु बिकवाना आपका काम है, लेकिन उसे आप करते नहीं। जब से विभाग ने एक लाख लोगों से कम वाले नगरों में अपनी सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द की हैं, वहां आपके इंस्पेक्टर टहल रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन वे हैं विभाग में ही। इसलिये कि वे आपके कृपापात्र हैं। उसकी महीने की इनकम ६,००० रुपया है। मेरा यह कहना है कि इसकी मिसाल आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी आप चले जाइये, किसी भी इंस्पेक्टर का मकान देख लीजिये। अगर उसकी २०० रुपये तनख्वाह है तो वह १५० रुपये महीने का मकान किराये

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

का लिये होगा । सप्लाई विभाग ने ही देश में बेईमानी को जन्म दिया है । इसलिये जब मंत्री जी ने स्वयं यह कहा, करप्शन की बात कही और फिर उन्होंने कहा कि उसका राज्य व्यापार की योजनाओं से संबंध हो जायगा, तो मुझे बड़ी शर्म लगी । मैं जानता हूं कि उनके साथियों ने भी अगर उनके विभाग के करप्ट अधिकारियों को पकड़ा होगा तो वह भी छूट गये होंगे । (व्यवधान) माननीय हरीसिंह जी को, मैं आपके द्वारा निवेदन कर दूं कि इस में शर्म लगने का कोई कारण नहीं है । मैंने यह इसलिये भी कहा कि सप्लाई विभाग के सहयोगियों ने भी अपने सहयोगियों को अगर करप्शन के सिलसिले में पकड़ा होगा तो भी उनको सजा नहीं मिली होगी । माननीय मंत्री जी ने एक बात यह भी कही कि अगर आप लोग हमारे पास मिलने न आयें तो यह करप्शन एक दिन में ही मिट जायगा । मैं कहता हूं कि सप्लाई मंत्री जी को दृढ़ता से काम करना होगा । यह तो उनके कांशस की बात है । सिफारिश करने के लिये तो उनको मंत्री नहीं, मुख्य मंत्री तक मिल जायंगे और वे करेंगे भी, दूसरे लोग भी मिल जायंगे, लेकिन फिर प्रदेश की खाद्य जैसी वस्तु को लेकर उनको प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये । आज खाद्य को उस मूल्य पर ले जाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, जिस मूल्य पर हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय है । इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रति व्यक्ति औसत २ रुपया आय है और ग्रामीण सेक्टर में १.५०–१.६० रुपया प्रति व्यक्ति आय है । जो भी आपका मूल्य नियंत्रण द्वारा व्यवस्था हो, आपको सबको पेट भर अन्न देना पड़ेगा ।

मैं करप्शन की बात कह रहा था। इस करप्शन को निकालने का केवल एक मात्र तरीका जिसपर माननीय मंत्री जी को विचार करना पड़ेगा वह यह है कि जो नीतियां आपने निर्धारित की हैं अगर कोई आपका अफसर, आपका सहयोगी उन मूल्यों से अधिक पर बेचे तो तुरन्त उसकी बन्द कर दीजिये, जेल भेज दीजिये । यह सामाजिक जुर्म है, व्यक्तिगत जुर्म नहीं है । आज की जो नीति है उससे जनसंघ को असहयोग करने का कोई कारण नहीं है । मंत्री जी ने अपोजीशन के सहयोग की बात कही थी । यहां से लेकर केन्द्रीय सरकार तक हमने बहुत से सुझाव दिये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । आज जो लेवी लगा रखी है, उसके वसूल करने का क्या तरीका है ? मैं जानना चाहता हूं कि जो शार्टेज वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जहां उत्पादन की कमी है, वहां लेवी लगाना कोई न्याय है । अगर अन्याय है, तो फिर क्यों लेवी लगायी ? यहीं तक नहीं कि लेवी लगाई, प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारियों ने गैर-जिम्मेदारी से ४०–४० हजार मन चावल दूसरे प्रदेशों को भिजवा दिया और यह कहा कि यह चावल हम महंगे वाला दे रहे हैं ताकि सस्ते वाला आ जाय । लेकिन महंगे वाला चला गया, सस्ता वाला आया नहीं और सस्ता वाला चावल महंगे मूल्य पर बिकने लगा । स्वयं मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा कि उन्होंने सवा लाख टन मोटा अनाज प्रदेश से बाहर भेज दिया । अध्यक्ष, महोदय, जोनल सिस्टम है, सारा सिस्टम उनके अन्तर्गत है । तो उसको अपने अन्तर्गत रखने के बाद जब प्रदेश में इतनी महंगाई है तो उनको बाहर गल्ला भेजने का क्या अधिकार है ? जबकि वहां से मंगा भी नहीं सकते ?

एक और पहलू है । मैंने हिसाब लगाया । ८ करोड़ टन गल्ला खरीदने में किसी सूरत से ५० करोड़ रुपये से कम पूंजी नहीं लगेगी । आज ५० करोड़ रुपये से हम जो विदेशी अन्न खरीदेंगे तो वह किसको देंगे ? उनका बजट तो यों बैलेंस हो जाता है, बड़ी सफाई से दिखा दिया कि ७० करोड़ का खर्चा, ७० करोड़ की आमदनी क्योंकि वह बिकता है । लेकिन जितने का अन्न खरीदते हैं वह तो इस प्रदेश की पूंजी में से चला जाता है, वह करीब ४० करोड़ रुपया है । अगर उसको हम कृषि उत्पादन में लगा दें तो खाद्यान्न की कमी यहां नहीं रह सकती है । यह आपके विनियोजन और आपकी नीतियों की कमजोरी का सब परिणाम है कि प्रदेश का इतना पैसा बाहर चला जा रहा है ।

मंत्री जी ने कहा कि शक्कर का उत्पादन बढ़ गया है और उसका प्रभाव गल्ले के उत्पादन पर पड़ा है । माननीय मंत्री जी की इस सूचना का आधार सही नहीं है । जब से केन एकरेज

बढ़ा है तब से करीब-करीब २० परसेंट जमीन की भी बढ़ोत्तरी हुई है और २० परसेंट जमीन के बढ़ जाने के बाद भी आपका कुल क्राप्ड एरिया का उत्पादन कम हुआ । वह २० परसेंट क्या, ८ परसेंट भी नहीं बढ़ा है । यह स्थिति किसी भी सरकार के लिये शर्मनाक स्थिति है । इस सबको सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री जी अपने पूर्ति विभाग को सुधारें, उसको ठीक करें । यह सबसे जरूरी चीज है । सरकार की लापरवाही का नमूना इसी से देखा जा सकता है कि उसने मिट्टी का तेल भी ले लिया, उसकी व्यवस्था भी अपने हाथों में ले ली, और जब से सरकार ने इसे अपने हाथों में लिया तब से १५ आदमी तो जल कर मर गये, स्थान-स्थान पर जो अभाव की स्थिति है वह सबको मालूम है । विद्यार्थियों को पढ़ने तक के लिये तेल नहीं मिल पा रहा है । इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं । मैं चाहता हूं माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें और माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करें । इस समस्या का मखौल नहीं उड़ाया जा सकता । इसके लिये अगर केन्द्र कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित नहीं करती है, तो प्रदेश को ही अपनी नीति निर्धारित करना चाहिये ताकि जनता को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें आसानी से उपलब्ध हो सकें ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

अध्यक्ष महोदय, माननीय रसद मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये, कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये, खड़ा हुआ हूं । सर्व प्रथम तो मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय में भी, जब कि भीषण संकट आया हुआ था, पानी इतना कम बरसा था, उस समय में भी सिर्फ अन्न के अभाव के कारण ही एक भी व्यक्ति काल के गाल में नहीं जाने दिया । (व्यवधान) इसमें शक नहीं कि इस ओर जितना प्रयास होना चाहिये था, जो सफलता मिलनी चाहिये थी, उतनी प्राप्त नहीं हुई । किन्तु जो हमारे सामने आंकड़े हैं वह यह कहते हैं कि हमको सफलता मिली है । यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिये थी । अगर मैं यह कहूं कि प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं थी, यह सबसे बड़ा कारण था, तो अनुपयुक्त न होगा, हमने प्रयास किया लेकिन प्रकृति की सहायता न होने के कारण हम उसमें सफल नहीं हो सके । लेकिन फिर भी जो हमारे सामने वस्तुस्थिति है और जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमने खाद्य समस्या के सुलझाने में प्रगति की है ।

श्रीमन्, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस गम्भीर विषय पर न तो हमारे विरोधी दल के सदस्य और न हमारी सरकार कोई ऐसी निश्चित नीति बना सकी जिससे सबको सन्तोष हो जाता और समस्या हल हो जाती । राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के शब्दों को मैं दोहराना चाहता हूं कि "कन्ट्रोल भ्रष्टाचार की जननी है" और एक वक्त दुःखी होकर उन्होंने कहा था कि "इट इज सिन टु कीप कन्ट्रोल्स" । उसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि कन्ट्रोल ढीला हुआ और एक समय आया जब स्वर्गीय किदवई ने कन्ट्रोल हटा दिया । कन्ट्रोल लगाने के बाद हमारे मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया यह होती है कि हम वस्तुओं का अनावश्यक संकलन करने लगते हैं । हम समझने लगते हैं कि अभाव की स्थिति हो गई है । अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुओं का संग्रह होता है और बाजार से वस्तुयें लुप्त हो जाती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमारे मंत्री जी में साहस है और हमारे मित्र सहमत हों तो पूर्ण डिकन्ट्रोल कर देना चाहिये और सारे प्रदेश के अन्दर अन्न का और दूसरी वस्तुओं का भी यातायात कर देना चाहिये । हो सकता है कि हम सफल हों और मेरा आत्मविश्वास है कि हम सफल होंगे । लेकिन यदि सफल न हों तो भी परीक्षण के लिये एक प्रयास करके देखिये कि क्या होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो आलोचना प्रस्तुत की है उस आलोचना में बहुत सी बातें तो वैसी थीं जैसी एक विरोधी राजनैतिक व्यक्ति को करनी चाहिये क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और वे कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहते हैं जिससे वे जनता के सामने आ जायं । इसके अलावा जो उन्होंने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है वह एक तरफा

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

दृष्टिकोण है । बुद्धिमान राजनैतिक का दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये कि वह वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करे । आज उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कह डालीं जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिये थीं, जो बातें गैरजिम्मेदाराना हैं । जैसा उन्होंने कहा कि गल्ले की कमी से लोग मर रहे हैं, यह बात गलत है । उनका यह कहना है कि उत्पादन में इतना रुपया खर्च हुआ और इतना कम उत्पादन हुआ । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया साधन जुटाये । हमने राष्ट्र के नाम में सन्देश प्रसारित किया और राष्ट्र ने उसका सुन्दर जवाब दिया लोग उसमें लग गये । लेकिन यदि प्रकृति प्रतिकूल है, पाला पड़ता है, ओले पड़ते हैं और हम टार्गेट अचीव नहीं कर सकते हैं तो दोष किसका है ? हमारे प्रयास में कमी नहीं है । मैं इससे सहमत हूं कि आज कन्ट्रोल के जमाने में बहुत हो भ्रष्टाचार फैल गया है । आज वस्तुस्थिति यह है कि इस भ्रष्टाचार से हम ऊब गये हैं । आज हालत यह है कि आपके सप्लाईज विभाग में . . . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, सदन में कोरम का अभाव है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोगों की वजह से है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

श्रीमन् मैं निवेदन कर रहा था कि यदि हम सप्लाई विभाग के कार्यों की आर्थिक स्थिति को देखें, और यदि मंत्री जी के पास ऐसे साधन हों, और अगर वे उनकी संपत्ति का मूल्यांकन करायें, जांच करायें तो मैं समझता हूं कि ९० प्रतिशत उसमें भ्रष्ट आदमी मिलेंगे । यह दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसा वायुमंडल बन गया है कि हर चीज लाइटली ली जाती है, किसी चीज पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता है । आज टम्बेश्वर प्रसाद जी की इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है कि एक मामूली इन्स्पेक्टर जिसकी तनख्वाह सौ रुपया है उसकी ऊपर की आमदनी एक हजार रुपये से कम नहीं है । आज डी० एस० ओ० माला माल हो गये हैं, उनका रहन सहन देखिये, जिनका सम्बन्ध उनसे है वह जानते हैं कि वह आज लाट साहब बने फिरते हैं और बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने फिरते हैं और उनका रहन-सहन इतना ऊंचा हो गया है कि चार चार सौ की घड़ियां वह बांधे फिरते हैं । उनके पास यह रकमें और यह साधन कहां से आते हैं ? उन के पास लोगों को ओबलाइज करने के साधन हैं और वह जिले के बड़े से बड़े अधिकारियों को ओबलाइज करते हैं और उनके मुंह बन्द किये रहते हैं । मैं अपने यहां इटावा की बात करता हूं कि हमारे यहां सप्लाई आफिस है । उसके पास रोज एक बाजार सा लगता है और वहां हर वक्त उन के दलाल घूमते रहते हैं । मैं जानता हूं कि वह लोग घूमते रहते हैं और लोगों के सौदे दफ्तर में तय कराते हैं । किसी शायर ने कहा है कि :

"महफिल उनकी साकी उनका,
आंखें अपनी बाकी उनका ।"

मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मंत्री जी जांच भी शिकायतों की कराते हैं लेकिन जिनकी जांच कराई जाती है शिकायत उनके ही पास पहुंच जाती है और वह उनसे सटे होते हैं और लीपापोती करके मामले खत्म कर दिये जाते हैं । मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने मंत्री जी के सामने इटावा के सप्लाई आफिस की बढ़ती हुई भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायत रखी और उन का मशकूर हूं कि उन्होंने ऐक्शन लिया, जांच कराई लेकिन अन्त में मामला समाप्त कर दिया गया । मैं बताऊं कि जिस वक्त खंडसारी का डिकंट्रोल हुआ और १५०० बोरा रिलीज हुये तो हमारे यहां एक सप्लाई अफसर श्रीवास्तव बड़ा चलता पुर्जा है, उसने दस रुपया बोरा लेकर १५००० रुपया बना लिया और हम और यह सरकार कुछ नहीं कर सकी । इसी तरह से शक्कर मिलों से रेल से न आकर ट्रकों से आती हैं तो उसमें भी वह किराया बढ़ा कर लेता है, उसमें से कुछ

तो खुद खा जाता है और कुछ कन्ज्यूमर्स के हिसाब में डाल देता है, पैसा दो पैसा कन्ज्यूमर्स पर फी किलो दाम बढ़ जाते हैं । जांच में होता यह है कि वह जिन लोगों को पहले से राजी किये रहता है उनके हृदय उसके प्रति जांच के वक्त कोमल हो जाते हैं और मामले की लीपापोती होकर आ जाती है । यह बात तो इटावे की है लेकिन मेरी सूचना यह है कि सारे प्रदेश में यह सप्लाई विभाग के जो दफ्तर हैं वे भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये हैं । मैं कोई माननीय मंत्री जी पर आक्षेप नहीं करता लेकिन किन्हीं कारणों से या कानून की पेचीदगी से कुछ ऐसे मंत्री जी के हाथ बंध से गये हैं कि भावना रखते हुये भी वह कुछ नहीं कर पाते, इससे हमें बड़ा आश्चर्य है और दुःख है ।

इसके अलावा यह खाद्य नियंत्रण का प्रश्न बड़ा पेचीदा है, यह आसान चीज नहीं है । मने इतना सब कहा लेकिन कभी मैं भी सोचता हूं कि एक मिनट के लिये अगर मैं मंत्री जी की जगह होता तो क्या करता, व्यावहारिक दिक्कतें उनकी भी हैं । वस्तुस्थिति यह है कि आज तक हमारी कोई स्थिर खाद्य नीति नहीं बन सकी है । स्टेट ट्रेडिंग की बात कही जाती है लेकिन उसके जो परिणाम निकलने वाले हैं उन पर जब हम निगाह डालते हैं तो यह समझ में आता है कि उससे भी भ्रष्टाचार और चौगुना हो जायगा । हमारे यही अधिकारी नियंत्रण करने वाले हैं और आज इत्तिफाक से जैसा देश में हमारा नैतिक स्तर है जहां से ही हमारे अधिकारी, जनसेवक आते हैं वह जैसा है ैसा ही आदमी हमारे विभागों में आते हैं, उनसे ही हमें काम चलाना है । मैं जानता हूं कि उन की दिक्कतें क्या हैं । स्टेट ट्रेडिंग की पालिसी भी कामयाब नहीं हो सकती है । जब उन्हीं लोगों से काम लेना है । बड़ा वावैला होता है विदेशों से अनाज मंगाना अपमान-जनक है । हमारी खाद्य समस्या, हमारा उत्पादन बढ़ नहीं रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा कोई रास्ता बनाइये, यह मजाक की बात नहीं है, जिससे कोई ऐसा हल निकल आये जिससे हम सभी संतुष्ट हो सकें ।

एक बात मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह गल्ला फराहम करते हैं, मुझे सुन कर ताज्जब हुआ उन्होंने कभी क्षेत्र कोटद्वार वगैरह में जहां चावल बहुत कम पैदा होता है, तो उन्होंने वहां पर भी प्राइवेट लोगों को चावल कुटाने से मना कर दिया है । पहले वह यह करते थे । इस की प्रतिक्रिया यह होती है कि कोई आदमी अपने खर्चे के लिये भी नहीं कुटा सकता है । माननीय मंत्री जी के यहां होता यह है कि यह अपने अफसरों की रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, और जो मंत्री जी करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते । उन्होंने कहा कि लोहे पर कंट्रोल बराहनाम रह गया, सरकार शकर को भी डीकन्ट्रोल करने जा रही है, बड़ी अच्छी बात है । लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि जिस काम को वह खुद कर सकते हैं उसे करें और जिसको डीकन्ट्रोल करना चाहें उसे डीकन्ट्रोल करें और जो खुद नहीं कर सकते ह उसके लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें । यह मेरा निवेदन है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे दुःख इस बात का है कि आज सम्पूर्ण प्रदेश और सारे देश में अकाल की छाया है, इस १८ साल के कांग्रेसी शासन में देश अकाल के कगार पर पहुंच चुका है, तब जिस वातावरण में यहां मंत्री महोदय ने अपनी मांग प्रस्तुत की है और हंसी में सारी बातें टाल गये ऐसा उचित नहीं था । मंत्री जी कहते हैं कि हम बड़े सफल हैं, पालीवाल जी ने कहा कि हमने एक को भी नहीं मरने दिया । मालूम होता है भगवान विष्णु का अवतार नेगी जी हैं । आज इस राज्य में सफल खाद्य मंत्री कौन माना जाता है ? जो विदेशों से अधिक गल्ला ले आये । सफल रक्षा मंत्री वह माना जाता है जो विदेशों से हथियार ले आये, सफल वित्त मंत्री वह माना जाता है जो विदेशों से कर्जा ले आये । यह सरकार की बुनियादी गलती है जिसके कारण आज अकाल की स्थिति है । इसने अपने को भारत की धरती पर निर्भर नहीं किया, बल्कि विदेशों पर निर्भर किया, चाहे खाद्य का मामला हो, चाहे प्लान के लिये धन का मामला हो, चाहे देश की रक्षा के लिये हथियारों का मामला हो, सब मामलों में इसने विदेशों पर

[श्री सत्यनारायण पांडेय]

निर्भर किया। इसलिये आज देश की यह भयावह स्थिति है। जिस देश की २५ फीसदी भूमि सिंचित हो, ७५ फीसदी असिंचित हो वह देश भूखा नहीं मरेगा तो क्या होगा? १८ वर्षों में आपने महिला मंगल केन्द्र और जवाहरलाल क्रीड़ा केन्द्र देहातों में खोले हैं। आप देख लें किसी में खेल कूद का सामान नहीं रह गया आपने जो झांझ, मजीरा आदि कीर्तन के लिये दिये इन सारी चीजों के लिये आपने देश का धन अपव्यय किया लेकिन सिंचाई की तरफ आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं क्योंकि मंत्री जी, जिनका काम केवल वितरण का है, उन्होंने अपने को वितरण पर सीमित न करके कृषि पर भी बोले। मालूम होता है कि माननीय गेंदा सिंह का विभाग उनको मिला हो, इसलिये मैं सरकार की बुनियादी नीति पर कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप ७५ फीसदी भूमि को जल दीजिये जो भारत भूमि वह है जो आस पास के देशों को भी खिला सकती है। इसलिये आप को योजना की प्राथमिकता में बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि खाद्य में हम आत्म निर्भर हों।

हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें इलाहाबाद जिले के बारे में कही हैं। इनका कहना "अहं ढपोरशंखोस्मि वदामि अहं ददामि न" के समान है। श्रीमन्, यह कोई असंसदीय भाषा नहीं है। यह तो एक संस्कृत की कहावत है। वास्तव में माननीय मंत्री जी की कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। राज्य सभा में जब माननीय चन्द्र शेखर जी ने इलाहाबाद की स्थिति का जिक्र किया तो माननीय सुब्रामनियम साहब ने ३१ अगस्त को यह कहा कि हम वहां पर गल्ला भेज रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि वह गल्ला कहां पर वितरित किया गया। वहां पर उस समय एक भी दुकान नहीं खोली गयी। खरीफ की फसल खराब होने के बाद जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने, जो इलाहाबाद की एक मात्र दल है क्योंकि कांग्रेस तो वहां पर मर चुकी है, धर्ना दिया और ४०० आदमी जेल गये तब वहां पर कमिश्नर महोदय गये और उन्होंने उस एरिया को स्केयरसिटी एरिया घोषित किया, अकाल क्षेत्र फिर भी घोषित नहीं किया क्योंकि उससे सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती। मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद के लिये जो गल्ला अगस्त में मिला तो वहां पर कितनी दुकानें काश्तकारों को गल्ला देने के लिये खुलीं। आपने यहां पर कहा कि हमने ३४ दुकानें उस समय खोल दी हैं। यहीं पर माननीय नाथूराम शिक्षक ने मंझनपुर के बारे में और माननीय बैजनाथ जी ने हंडिया के बारे में बताया कि वहां की दशा अत्यन्त शोचनीय है। सारे प्रदेश में खाद्य और पानी की स्थिति भयावह हो गयी है। अभी तक हमारे जिले में केवल ५-६ दुकानें खोली गयी हैं, जहां पर गल्ला वितरित हो रहा है। यहां पर माननय मंत्री जी दावा करते हैं कि जितने गल्ले की आवश्यकता होगी दिया जायेगा। तो, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, प्रार्थना करूंगा कि वे इलाहाबाद की हर पंचायत अदालत में एक-एक गल्ले की दूकान अविलम्ब खोल दें और वहां पर गल्ला वितरित करावें तब मैं समझूंगा कि वास्तव में गल्ला काफी मात्रा में उपलब्ध है। अभी कुछ दिन हुए माननीय गेंदा सिंह जी अकाल पीड़ित इलाके में गये थे। वे किसानों से मिले और उन्होंने वहां की स्थिति देखी। उसके पश्चात् उन्होंने कहा कि वहां के बारे में जो माननीय सदस्य कहते हैं और वहां के लोग कहते हैं, वह बिल्कुल ठीक है। मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं मेरे साथ चलें। मैंने कई बार माननीय मंत्री जी को निमंत्रित भी किया कि वे वहां चलें और देखें कि क्या स्थिति है लेकिन पता नहीं आपको लखनऊ से क्या मोह है कि आप प्रयाग में नहीं जाना पसन्द करते हैं।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि दुकानों में जो गल्ला दिया जाता है उसको बड़े लोग ही ले लेते हैं। वहां पर जो लैंडलेस लेबर क्लास है, जो लोग भुखमरी के शिकार हैं, ४ या ५ एकड़ वाले किसान हैं, उनको गल्ला नहीं मिल पाता है। केवल गांव के लठैत ही उस गल्ले को ले लेते हैं, मुझे पता नहीं है आपके पहाड़ों में क्या हालत है, पर हमारी तरफ तो जो बड़े-बड़े लोग हैं वे चूंकि खली का दाम महंगा है, इस गल्ले को ले लेते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि गरीब आदमियों को गल्ला नहीं मिल पाता है। अतः मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वहां पर राशन कार्ड की व्यवस्था करा दी जाय और अब भी

मांग करता हूं कि यदि गरीब लोगों को गल्ला वितरित कराना है तो उनके राशन कार्ड बनवा दिए जायं। जहां तक स्टाफ का प्रश्न है, आपके पास पंचायत के लोग हैं, ब्लाक डेवलपमेंट के लोग हैं, बी० एल० डब्लू० हैं। इतनी बड़ी कर्मचारियों की फौज है। ए० डी० ओ० सोशल, ए० डी० ओ० पंचायत को लगा दिया जाये। हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं। पुराने आपके साथी रह चुके हैं और उस भाषा में विश्वास नहीं करते जो बंगाल और केरल में बोली जा रही है। अब परिस्थिति हमारे काबू के बाहर हो गयी है। आप कहते हैं कि भुखमरी से वहां नहीं मरे। आप भुखमरी से मरा उसे मानते हैं जिसे डाक्टर सर्टिफिकेट दे दे। भुखमरी से ४, ५ लाख आदमी बराबर इस देश में मरते हैं और अगले सालों में वह संख्या १०, २० लाख पहुंच जायगी। मैं अपने यहां की भुगनी दर्जिन की बारे में बतलाऊं। ५० वर्ष की थी। जब अन्न नहीं रह गया तो झरबेरी के बेरों को खाकर रहती थी। ५, ६ रोज झरबेरी के बेर खाने के बाद जब पानी पिया तो जंगल में ही मर गयी। आप कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया, मर गयी। आप वहां चल कर जांच कर सकते हैं। इसी तरह एक ५६ वर्ष का बेनी काछी नाम का एक आदमी था। उसके पास जब अन्न नहीं रह गया तो अपने रिश्तेदारों के पास गया, वहां भी रिश्तेदार भुखमरी से पीड़ित थे। १०, २० कोस रोज अन्न की तलाश में चलता था और वह मर गया पर कहा गया कि थकावट से मर गया। एक आदमी ने लिगजा गांव में फांसी लगाने की कोशिश की। उसे मजदूरी नहीं मिली। वह हरवाहा था। वह नैनी नौकरी के लिए गया। जब निराश वह लौटा तब घर में उसकी लड़की ने उससे कहा पिता जी, ४, ५ दिन से खाना मैंने नहीं खाया है। राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष अपनी बच्ची की भूख के कारण डिग गये थे। ४, ५ दिन से उसकी बच्ची भूख से तड़प रही थी। उसने फांसी लगाना उचित समझा। यह प्रचार की बात नहीं है। यह वस्तुस्थिति है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वस्तुस्थिति को संभालें। उत्तर प्रदेश में आग लगेगी तो सारे भारत में आग लगेगी और फिर देश नहीं बचेगा।

आप कहते ह कि चीनी चाहे जितनी लो। आप एक पंचायती अदालत में ६ बोरे चीनी देते हैं और एक पंचायती अदालत की आबादी दस हजार होती है। दस हजार के बीच में ६ बोरे चीनी देने पर एक आदमी को एक छटांक भी चीनी नहीं मिलती जबकि शहर में आप एक आदमी को एक किलो देते हैं। मंत्री जी कहेंगे कि देहात वाले शकर नहीं गुड़ खाते हैं। कितने लज्जा की बात है? आप जैसे मेहमान जाते हैं तो शरबत देते हैं, उसके लिये चीनी की जरूरत पड़ती है शादी ब्याह में चीनी की जरूरत होती है। तो मैं आपके द्वारा यह मांग करूंगा कि जो भी चीनी जाती है उसके ठीक वितरण की व्यवस्था देहातों में भी कीजिये और चीनी की मात्रा बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

*श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी द्वारा जो प्रस्तात अनुदान की मांग है मैं उसका समर्थन करने के लिये और जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, हमारे सप्लाई विभाग की स्थिति बहुत ही डेलीकेट है और मैं समझता हूं हमारे मंत्री और हमारी सरकार जिस योग्यता के साथ अपने कार्य को निवाह रही है वह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। एक ओर तो सरकार को यह देखना पड़ता है कि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कितनी है, उसके अनुसार वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहें, दूसरी ओर सरकार को यह भी देखना पड़ता है कि जो उत्पादक वर्ग हैं उसको उसके श्रम का सही मूल्य मिल रहा है अथवा नहीं। जब हम इस विभाग की आलोचना करते हैं तो आलोचना सही हो ताकि शासन का मार्ग दर्शन हो सके। इसके लिये आलोचना करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। हमारे बहुत से साथियों ने आलोचना की लेकिन उन्होंने एक साइड पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूबेदारसिंह]

उस ओर देखा भी नहीं। हम जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश के लिये यह दुर्भाग्य की बात रही कि अनेकों संकट सामाजिक और राष्ट्रीय देश में बराबर उत्पन्न होते रहे और उनके कारण जो स्थिति हमारे देश और प्रदेश की डांवाडोल हुई उस पर काबू पा सकना कोई आसान बात नहीं थी। हम यह भी नहीं भूल सकते कि उत्तरोत्तर हमारी आबादी कितनी शीघ्रता के साथ बढ़ रही है जो देश और सरकार के लिये एक समस्या का विषय है। हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि हमारे देश को राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ा और चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से लोहा लेना पड़ा। देश की सुरक्षा अधिक वैल्यू रखती है और चीजों के मुकाबले में। वर्षा कम हुई। बहुत से और भी प्राकृतिक प्रकोप हुये।

(इस समय १ बज कर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, उधर दूसरे लोग चाहे वह राजनीतिक हों या सामाजिक हों, उन्होंने आन्दोलन की स्थिति पदा करके सरकार को सहयोग नहीं दिया बल्कि उसके मार्ग में बाधायें उपस्थित कीं और, श्रीमन्, इस तरह की परिस्थितियां पैदा की जिन्होंने देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया, जिसको नियंत्रित करना कोई आसान चीज नहीं थी। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के बीच से गुजरते हुये सरकार ने बुद्धिमत्ता और योग्यता के साथ देश का कार्य किया है। यह प्रशंसा का विषय है।

श्रीमन्, जब हम इस प्रदेश की तुलना दूसरे प्रदेशों से करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस प्रदेश की स्थिति दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत अच्छी है और यहां मैं नहीं जानता कि अन्न की कमी के कारण कोई मौत हुई हो। हो सकता है हुई हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस शासन की अच्छाइयां हैं, उनकी तरफ से आंख बन्द नहीं कर सकते हैं। इन परिस्थितियों के लिये आलोचना का सहारा लेना न्यायसंगत नहीं है। मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई दृढ़ नीति बनानी होगी और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिनके ऊपर चलते हुये हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। श्रीमन्, मेरा ऐसा विश्वास है कि काम करने वालों की और उत्पादन बढ़ाने वालों की संख्या कम होती चली जा रही ह और जो समाज के ऊपर कांटे हैं यानी समाज के ऊपर जिनका वजन है उनकी संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जो लोग हमारे समाज के आधार हैं वे लोग खेत और खलिहान में जाकर श्रम नहीं करना चाहते हैं। जब श्रम नहीं करेंगे तो जो स्थिति आज है उससे भी बदतर हो जायेगी। आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह का वातावरण उत्पन्न करें कि जिससे हमारे भावी नागरिकों के दिल में एक भावना पदा हो कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन करना है और हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, उनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं।

श्रीमन्, यह आलोचना का विषय ऐसा होना चाहिये कि हम विषय के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाल सकें। लेकिन मुझे एसा आभास हुआ कि हमार कुछ आलोचक साथियों ने इस ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थोपने की कोशिश की है कि जितनी भी बातें हैं उनके लिये सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, अपनी जगह पर उनकी बात ठीक हो सकती है। लेकिन मेरा जहां तक खयाल ह, वह यह है कि जनतंत्र में सरकार और जनता क दायित्व साथ-साथ चलते हैं और अलग नहीं होते ह और जहां तक राष्ट्रीय और सामाजिक संकटों के समाधान करने का प्रश्न है, वह केवल सरकार का या कांग्रेस दल का ही नहीं बल्कि सभी का है। जब सामूहिक रूप से इन समस्याओं को हल करने के लिये मजबूती से कदम उठायेंगे तभी हमारी समस्यायें हल हो सकती हैं।

श्रीमन, इस बीच हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कहीं। कुछ लोगों ने कहा कि फ्री-ट्रेड होना चाहिये, कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल डि-कन्ट्रोल होना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अगर हम बिल्कुल फ्री-ट्रेड कर दें या बिल्कुल डि-कन्ट्रोल कर दें तो स्थिति कोई अधिक अच्छी नहीं होगी, बल्कि पूंजीपतियों को और अधिक मौका मिलेगा अधिक नाजायज प्राफिट करने का

और अपनी दूषित मनोवृत्तियों का उससे अधिक फायदा उठाने का। तो मैं चाहता हूं कि यह देश के हित में नहीं होगा। जहां तक प्रश्न यह है कि सरकार पूरा ट्रेड या व्यापार अपने हाथ में ले ले, तो मैं समझता हूं कि स्थिति कुछ सुधर सकती है, जिसके लिये आवश्यकता यह होगी कि सरकार अपने नियंत्रण को अधिक प्रभावशाली बनाए और अपने शासन की मशीन को अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करे। तो मैं समझता हूं कि स्थिति में कुछ अधिक सुधार हो सकता है।

कुछ साथियों ने कहा कि भ्रष्टाचार अधिक बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सी बातें जो वास्तविक थीं, उनका अपने भाषण में अनुदान प्रस्तुत करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में जिक्र किया और उन्होंने साफ कहा कि मैं बहुमत के साथ हूं और बहुमत का विचार मेरा अपना विचार है और मैं बहुमत की राय की अवहेलना करने की कोशिश नहीं कर सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो बहुमत द्वारा बनायी गयी नीतियों का अनुसरण करता हूं। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का उन्मलन किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है और न उसका एक व्यक्ति केवल उन्मूलन कर सकता है। उसके लिये सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जब कोई इंस्पेक्टर या डी० एस० ओ० कभी मुअत्तल किया जाता है या हटाया जाता है तो माननीय मंत्री जी के पास सिफारिश के लिये उधर के बहुत से माननीय सदस्य और इधर के भी पहुंचते हैं और मंत्री के पास सिफारिश करने वाले सदस्यों का तांता लग जाता है कि उसको बहाल कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में माननीय मंत्री जी के लिये भ्रष्टाचार दूर करना कैसे सम्भव हो सकता है। इसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री जी के साथ और सरकार के साथ पूरा सहयोग किया जाए।

कुछ सदस्यों ने इस बात की शिकायत की कि हमारे यहां का चावल बाहर भेजा गया। मैं समझता हूं यह तो आलोचना की बात नहीं है, यह तो हमारे लिये गौरव का विषय है कि हम भूखों मर सकते है, लेकिन दूसरे भूखों को जिन्दा रहने देना चाहते हैं। इस तरह का कदम यदि हमारी सरकार ने उठाया तो मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि प्रदेश के दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग भी हमारे भाई हैं और हमको एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। हम स्वयं जिन्दा रहना चाहते ह और दूसरों को जिन्दा रहते देखना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत मांग का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस वर्ष के ७४ करोड़ रुपये के खाद्य, रसद, अन्य संगठन तथा राज्य व्यापार की योजनाओं के अनुदानों को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में खाद्य की समस्या उलझती जा रही है। परन्तु गत वर्ष के अनुदान और अनुदान प्रणाली को देखते हुये ऐसा आभास होता है कि यह अनुदान केवल प्रदेश को ऊपर उठाने का एक प्रलोभन मात्र है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम जब पिछले खाद्य वितरण और रसद की ओर ध्यान देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह जितना अनुदान प्रति वर्ष मंजूर करा लिया जाता है वह जनता के कष्टों के निवारण में नहीं खर्च किया जाता बल्कि दफ्तरों के खर्च में लुप्त हो जाता है। मान्यवर, सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता भूखों न मरे, उसे राहत पहुंचाई जाय और सरकार प्रयास करती ही है, परन्तु सरकार के प्रयास के बावजूद क्या कारण ह कि प्रदेश में भुखमरी का साम्राज्य छाया हुआ है? जहां देखा जाय वहीं लोग आज हर चीज के लिये परेशान है। सरकार ने गल्ले का कंट्रोल किया, गल्ले की दूकानें खोलीं, सरकार ने सीमेंट का कंट्रोल किया और सीमेंट की दूकानें खोलीं, सरकार ने लोहे और टीन का कंट्रोल किया और उनकी दूकानें खोलीं और उसके वितरण की व्यवस्था की, लेकिन इन सबके बावजूद जनता को उसकी जरूरत की चीजें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकीं और हमेशा जनता की यह शिकायत रही कि जनता के लिये इस सरकार की ओर से इस गरानी के सम्बन्ध में कोई सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है। श्रीमन्, आप विचार करें

[श्री रघुवीर सहाय कैथवार]

और मंत्री जी भी सोचें व देखें कि सन् ६४ में जब सरकार ने सभी शहरों और देहातों में राशनिंग की तो उस भयानक समय में राशनिंग के दौरान देहात की उस गरीब जनता को जो मजदूरी पर जीवित थी खाने को गल्ला नहीं मिला। वह गल्ला अधिकतर उन लोगों को मिला जो कि बड़े-बड़े काश्तकार थे और जिनके पास गल्ला खाने को था और गरीब जनता उस गल्ले से लाभान्वित नहीं हो सकी। भुखमरी से लोगों की मौतें हुई हैं, खुद मेरे जिले में कई मौतें हुई हैं। माननीय पालीवाल जी नहीं हैं जो अभी कहते थे कि भुखमरी से कोई नहीं मरा है। खाद्यान्न के ऊपर सरकार ने जो कंट्रोल किया है वह गरीब जनता के हित के लिये उपयुक्त साबित नहीं हुआ। यही कारण है कि गल्ला वितरण के लिये सरकार ने जो दूकानें खोली हैं उनसे गरीब भूमिहीन जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है। तो इसलिये सरकार का यह कर्तव्य है कि गल्ले के वितरण के लिये जो दूकानें उसने खुलवायी हैं और अब तक चालू हैं, यदि सरकार उनमें ईमानदारी के साथ गल्ले को वितरित करवाने की व्यवस्था करे, तभी यह सम्भव होगा कि जनता को कुछ राहत मिल सकेगी अन्यथा वह सब भ्रष्टाचार पोषकों के पेट में चला जायगा और जिस तरह से आज जनता को जरूरत की चीजें नहीं मिल पाती हैं वे आगे भी नहीं मिल पायेंगी और मांगा गया ७४ करोड़ का अनुदान पहले की भांति गोल हो जायगा।

मैं आपको फतेहपुर का इतिहास बताता हूं। सन् ६४ में फतेहपुर में भुखमरी हुई थी तब सरकार ने जनता को गल्ला देने के लिये देहातों और शहरों में भी दूकानें खोलीं लेकिन वहां देहात की दूकानों को कहीं तो महीने में और कहीं १५ दिन में गल्ला दिया गया और वह गल्ला भी उन लोगों को मिला जिनके पास साल भर तक खाने के लिये गल्ला था। १९६४ की विकराल भुखमरी के समय हमारे यहां के अधिकारियों ने बताया कि जिलाधीश ने देहात के लिये गेहूं आटा दिया नहीं। सैकड़ों बोरे आटा मिलों में लैप्स कराया और सरकार को खुश करने के लिये जो गेहूं का स्टाक था फालतू बताकर दूसरी जगह भेज दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने हजारों की तादाद में, भूख से तड़पते हुए, अधिकारियों के दरवाजे खटखटाये। टीन व सीमेंट में इस कदर चोरबाजारी हुई कि लोग पकड़े गये लेकिन सरकार तक शिकायतें करने पर भी सरकार अथवा मंत्री जी के जूं नहीं रेंगी और अधिकारियों की तानाशाही से चोरबाजारी का बोलबाला रहा और अब भी है। पालीवाल जी के इटावा जिले के ही मेरे यहां डी० एस० ओ० हैं। वे ब्लेक मारकेट यानी चोरबाजारी की नीति को हमेशा ही प्रमुखता देते आये हैं और आज भी दे रहे हैं।

श्रीमन्, हमारा जिला फतेहपुर बहुत पिछड़ा जिला है, वहां पर कोई आधुनिक साधन पैदावार बढ़ाने के नहीं है। इस साल वर्षा की कमी के कारण पैदावार बिलकुल खत्म सी हो गयी। लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। खागा तहसील में अकाल की स्थिति पैदा है लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था गल्ला की दूकानें खोल कर जनता को राहत देने की अब तक नहीं की गयी। ऐसी सूरत में जब कि कंट्रोल की दूकानें और राशनिंग की सुविधाएं नहीं हैं तो जनता में विद्रोह की भावना फैल सकती है और अवश्य फैलेगी यदि तत्काल ही सूखे क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था न होगी। सरकार कहती है कि महंगाई को नियन्त्रित करना है और राज्य-व्यापार का यही मंशा है और सरकार लगातार प्रयत्न करती आ रही है तो, श्रीमन, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि सरकार महंगाई को नियन्त्रित करना चाहती है, तो प्रदेशों में खाद्यान्नों की मांग का वावैला क्यों मचा हुआ है, चारों तरफ प्रदर्शन आन्दोलन और खून-खराबी क्यों हो रही है? सरकार को इन बातों को सोचना चाहिये और सोच कर सरकार जितना भी करना चाहती और कर सकती है उसको ईमानदारी से उसे जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। तब तो कुछ न कुछ जनता को राहत मिल सकती है। इसलिए मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से, अधिष्ठाता महोदय, कहना चाहता हूं कि वह ऐसी स्वच्छ व्यवस्था करने पर विचार करें जो सुविधा उनके पास उपलब्ध है वह जनता तक ईमानदारी से पहुंचे अन्यथा वह दिन दूर नहीं है जब बंगाल, केरल जैसी हालत यहां भी हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह वितरण व्यवस्था को सुधारने और अपने शासन यंत्र को शुद्ध करने की कृपा करेंगे।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय खाद्य मंत्री ने जो आपके सामने खाद्य अनुदान के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। अनुदान तो पास होगा लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसमें विशेष तरीके से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और इस विभाग के अधिकारियों का भी। हमारा भारतवर्ष पूरा देश है, जिसकी समस्या की ओर हमें और आपको ध्यान देना है। भारत में बंगाल भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है और भी दूसरे प्रदेश हैं। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां अधिक पैदावार होती है, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां कम पैदावार होती है। हमारी नीति होनी चाहिए कि भारतवर्ष में कोई भूखा न मर सके। जब हमने संकल्प किया है कि समाजवादी व्यवस्था बनायेंगे, हमारी खाद्य नीति भी इस ध्येय को सामने रख कर ऐसी होनी चाहिये कि समाजवादी आधार पर भारतवर्ष के सारे नागरिकों को भुखमरी से बचाया जाय। मेरा निश्चित मत है कि आज जो देश में जोन-सिस्टम कायम किया गया है यह बहुत गलत है। यह सारे देश में असफल साबित हो चुका है। इस पर कांग्रेस के लोगों ने और अन्य देशों के बड़े-बड़े विद्वानों ने विचार प्रकट किया है और जयपुर कांग्रेस में सर्वसम्मति से तय हुआ कि जोन सिस्टम खत्म किया जाय। पता नहीं सरकार क्यों नहीं कदम उठाती। पंजाब में गेहूं बहुत पैदा हो रहा है। वहां लाखों मन गल्ला सड़ रहा है, जब कि दूसरे प्रदेशों में लोग भूखों मर रहे हैं। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। यह कह देना कि इसका केन्द्रीय सरकार से ताल्लुक है काफी नहीं है। हम केन्द्रीय सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि इस नीति पर उसको चलना चाहिये। आपके पास दो रास्ते हैं। उत्पादन करना और उसका वितरण करना जिससे हमारी खाद्य समस्या हल हो सकती है। उत्पादन करने का तो आज विषय नहीं है। जब वह आयेगा तो चर्चा होगी। वितरण करने का विषय इस समय सामने है। मैं समझता हूं कि सरकार की वितरण करने के मामले में जो प्रणाली है वह असफल रही है। इसके वितरण के लिये जो कंट्रोल की व्यवस्था रखी गई है उस कंट्रोल की व्यवस्था के आधार पर जितने अधिकारी, जितने कर्मचारी इसके बीच में हैं वे सब भष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ठंडे दिल से विचार किया जाय। अधिकारियों और कर्मचारियों के जो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं, केन्द्र बन गये हैं चाहे वह बड़े आदमी हों, चाहे छोटे आदमी हों या आप स्वयं हों उनको तबदीली करनी चाहिये क्योंकि यह वितरण की नीति बिलकुल असफल रही है। आपकी नीति जो हमारी नौकरशाही का रवइया है उसकी वजह से असफल हुई है। हो सकता है कि वितरण की व्यवस्था अच्छी हो लेकिन व्यवहारिक रूप में यह असफल रही है। इसमें आमूल परिवर्तन करना होगा। जब तक इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कन्ट्रोल प्रणाली से देश में इस प्रकार की व्यवस्था आप पैदा नहीं कर सकते हैं जिससे हर गरीब आदमी को अन्न पहुंच सके। मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। आप अधिक से अधिक गल्ला वसूल करें मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन १५ फीसदी प्रत्येक किसान से वसूल करें और ८५ फीसदी खुले बाजार में छोड़ दीजिए। आपको खुद अनुभव होगा कि जिस वक्त कन्ट्रोल प्रणाली चालू की गई, उससे पहले प्रदेश में महज ८ आना बोरी पर व्यापार होता था। दूसरी तरफ अच्छी फसल होने के बावजूद कहीं चावल मिलता है ३० रुपये मन और कहीं पर मिलता है २५ रुपये मन और कहीं पर ६०, ७० रुपये मन बिकता है और नहीं भी मिलता है। यह कठिनाई है। इस प्रकार से कंट्रोल के द्वारा जो यह वितरण प्रणाली है वह गलत है। आप उसमें परिवर्तन करें। मैं कहता हूं कि १५ फीसदी लेने के बाद ८५ फीसदी छोड़ दीजिये ताकि खुले बाजार में जा सके।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो आप लेवी लगाते हैं, उसके लगाने का तरीका गलत है। जिस वक्त किसानों का माल बाजार में आता है उस समय बाजार से अधिकारी खरीद नहीं करते हैं। वे बाद में माल खरीदते हैं। उन लोगों का यह तरीका गलत है। गलत इस माने में है कि वे अधिकारी अपना परसेन्टेज पहले निकाल कर रख लेते हैं उस गाड़ी के पीछे। जब तक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

उनको परसन्टेज नहीं मिल जाता तब तक वे माल लेने वाले नहीं हैं । उनका जो तौला होगा वह तौला हर बोरी पर २, ३ सेर अधिक लेना पसन्द करेगा। मिसाल के लिये मैं यह आपके सामने रख रहा हूं । आप इसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करें । जब तक इसके अन्दर आप नहीं जायेंगे तब तक सुधार नहीं होगा । आज हमारे प्रदेश में गल्ले की हालत अच्छी है अगर आप यह समझते हैं तो यह धारणा गलत है । आप इस वक्त का अन्दाजा लगायें कि ५, ६, ८ साल पहले देश में कितना भाव गिरा हुआ था । आज आप देखते हैं कि भाव कितना चढ़ा है । आप चाहते हैं कि किसानों से ज्यादा अन्न लिया जाय, लेकिन क्या इस बात का खयाल रखते हैं कि किसान को दूसरी चीजों का दाम ज्यादा देना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये इसमें परिवर्तन करें । हमारे बांदा जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई है । बहुत सा माल इस प्रदेश से बाहर चला जाता है । वह पुलिस और आपके विभाग के भ्रष्टाचार से होता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर नियन्त्रण किसी तरह से किया जाय । प्रदेश में जो लेवी मिलनी चाहिये वह बाहर चली जाती है, दूसरे प्रदेश में चली जाती है। मेरा सुझाव यह है कि जो अपने गांवों में किसान के हल के पीछे ६०-७० फीसदी लेवी लगा दी है मैं आप के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी छोटा मोटा गांव हों, जिसकी आबादी एक हजार हो, उसमें अनाज पैदा करने वाले ५, १० मन धान लेते हैं और कुटाते हैं । लेकिन आपने उस में भी लेवी लगा रखी है । यह आप की नीति ग्रामोद्योग के तथा लघु उद्योग के लिहाज से सिद्धांत रूप में गलत है । इसमें आपको परिवर्तन करना होगा ।

मैं अब आपका ध्यान मिट्टी के तेल और शक्कर की तरफ दिलाना चाहता हूं । आप ने जो इनके बारे में हालत बतलायी है, उसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । शहर वालों के लिये तो मिट्टी के तेल और शक्कर का वितरण उचित रूप से होता है, उनके राशन कार्ड बने होते हैं और उनको आप महीने में दो लिटर तेल देते हैं । मैं समझता हूं कि जो फायदा शहर वालों को मिलता है वह देहात वालों को नहीं मिलता । आपने न्याय पंचायतों के द्वारा उनके वितरण की व्यवस्था की है और वहां पर मिट्टी का तेल और शक्कर दी जाती है । एक एक न्याय पंचायतों में ६—७ गांव होते हैं और हर गांव में ४ या ५ सौ की आबादी होती है । अब हर गांव वाला कैसे न्याय पंचायत में मिट्टी का तेल या शक्कर लेने जाय ? इसका नतीजा यह होता है कि न्याय पंचायत में ही सारी शक्कर और मिट्टी के तेल का ब्लैक हो जाता है । ज्यादा-तर तो होल सेल डीलर ही ब्लैक कर लेता है और जो किसान या विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं, उनको तेल की सुविधा नहीं मिल पाती । मैंने इस विषय को कई बार ऊंचे अधिकारियों के सामने भी रखा और मेरा सुझाव इस संबंध में यह है कि हर गांव सभा में इसके सेंटर मुकर्रर किये जायं चाहे आप उन्हें एक मन शक्कर और एक टीन तेल ही दें । जो भी कोटा के हिसाब से आये वह आप उनको दीजिये, लेकिन उसके बांटने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होनी चाहिये ।

मैंने जो सुझाव आप के सामने रखे हैं, मैं समझता हूं कि उन पर पूरी तरह से विचार किया जायगा । बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन में सुधार किया जा सकता है । अभी श्री पालीवाल जी ने भ्रष्टाचार की बात कही । हम कांग्रेस के आदमी हैं, जनता के नुमाइन्दे हैं और साथ ही शासक वर्ग भी कहलाते हैं । सारी जिम्मेदारी इसकी हमारी और आप की है । हमें इसको यूं ही कह कर टालना नहीं चाहिये, न हम टाल सकते हैं । हो सकता है कि विरोधी पार्टी इसको स्टेट बना ले और कुछ अंश में यह सही हो भी सकता है, लेकिन उसके बाद भी इस की जिम्मेदारी हमारी है । अगर १८ साल की आजादी के बाद भी हम अपने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को वह फायदा न पहुंचा सके कि जो जायज है और उनको मिलना चाहिये, कि मिट्टी का तेल और शक्कर व सस्ता गल्ला उनको उचित दाम पर मिल सके तो यह स्वराज्य हमारे देश वासियों को किस लिये मिला है ? मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा चेतावनी देना चाहता हूं कि आज हमारा देश क्रान्ति के लिये, अराजकता के लिये खड़ा हो रहा है और अगर हम ठंडे दिल से इस परिस्थिति पर विचार नहीं करेंगे तो जो आजादी हमको

मिली है, संभव है कि उस को खतरा पैदा हो जाय और दूसरे शब्दों में जो पंचमांगी हमारे देश में हैं, जो देश में अराजकता पैदा कराना चाहते हैं, विप्लव फैलाना चाहते हैं वह इसका फायदा उठायेंगे और हमारी एकता को भंग करेंगे। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ठंडे दिल से विचार करें और इस के लिये कोई तरीका निकालें।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री टम्बेश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने खाद्य मंत्री जी का भाषण सुना। मुझे उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने स्वयं अपने मुंह से अपनी तारीफ की कि हमने दस साल से ज्यादा इस गाड़ी को कठिनाईयों के बावजूद खींचा है। मान्यवर, जहां तक गाड़ी का खींचने का सवाल है, इस के लिये जिनका उन्हें सहयोग मिला, उनके संबंध में मैं आप के द्वारा मंत्री जी को बताना चाहता हूं। इस गाड़ी को खींचने वाले इस सप्लाई विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और उन के सहयोगी वे ब्लैक मार्केटिय रहें, जिन्होंने उनको सहारा दिया है और उन के सहारे ही मंत्री जी ने इस गाड़ी को खींचा है। इस के लिये अपोजीशन से खाद्य मंत्री जी को सैकड़ों बार चेतावनी दी गयी कि प्रदेश की स्थिति गल्ला न मिलने की वजह से, सही वितरण न होने की वहज से खराब हो रही है।

उधर से कहा गया कि कोई आदमी भूख से मरा नहीं है। इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मरा नहीं, मृत्यु नहीं हुई, ऐसी बात नहीं मानते लेकिन यह मानना पड़ेगा कि लोग मर रहे हैं। सरकार द्वारा अरबों रुपया लगाकर खाद्य पूर्ति के लिये प्रयास किया गया और उसमें असफल रही और उसका मुख्य कारण यह है कि जितना गल्ला खेतिहर मजदूर या मिल मजदूर को मिलता है उससे उसका पेट नहीं भरता है। इससे मजदूर की कार्य-क्षमता घटती जा रही है, इसलिये खाद्य पूर्ति की समस्या नहीं सुलझ रही है। कहा गया कि आलू खाइये, सस्ता है। मान्यवर, आलू ऐसी चीज है कि एक तादात तक खाई जा सकती है, ज्यादा खायी जायगी तो पाचन शक्ति को नुकसान करेगी। देहात में गरीब आदमी यह करता है कि गरीबी के कारण एक रुपये का अनाज और २ रुपये का आलू लेता है, क्योंकि सस्ता है लेकिन जरा मंत्री जी ४ दिन इस गिजा पर बसर करके देखें तो पता चलेगा, लेकिन वह तो दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, अपने लिये नहीं। देहात में अस्पताल में इलाज के लिये वह गरीब जाय तो १० पैसा पहले दे तो दवा हो। १० पैसे नहीं हैं तो इलाज नहीं कर सकता। आलू से बसर करता है। तो इस प्रदेश को खाद्यमंत्री जी कहां ले जाने वाले हैं ?

भ्रष्टाचार के संबंध में मैं बाहर की बात तो जानता नहीं, लेकिन खाद्य विभाग में जितना भी भ्रष्टाचार होता है वह हमारे खाद्य मंत्री की परमीशन से हो रहा है। लखनऊ के जिला-पूर्ति विभाग के एक ओर महामान्य राज्यपाल का बंगला है और दूसरी ओर माननीय खाद्य मंत्री जी का बंगला है और यहां इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। हमारे अपोजीशन लीडर त्रिलोकीसिंह थे उनके भाई ने कहा कि १० बोरी सीमेंट का परमिट बनवा दो उनका घर बन रहा था। वहां एक हैं पांडेय जी जो सेक्रेटरियट से गये थे जिला पूर्ति अधिकारी होकर, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा कि परसों आइये। इस तरह कहते कहते ८ बार मुझे बुलाया और एक बोरी सीमेंट नहीं मिली। मेरे ही पड़ौस में एक मास्टर हैं मैलानी के। उन्होंने भी कहा कि १० बोरी का परमिट बनवा दो। मैंने कहा कि जब त्रिलोकी सिंह के भाई का नहीं बनवा सका तो आपका कैसे बनवा पाऊंगा। तब उन्हीं के द्वारा पता लगा कि एक साहब १२ बोरी का परमिट ले गये। पूछा कि कैसे मिल गया तो उन्होंने बताया कि २० सेर गेहूं दिया और एक सेर देसी घी दिया तो १२ बोरी सीमेंट का परमिट मिला। मैंने अनेक बार इस जिला पूर्ति अधिकारी और उनके व्यवहार के संबंध में लिखा, लेकिन कोई प्रभाव मंत्री जी पर

[श्री खयालीराम]

नहीं पड़ा। उन्होंने लिख दिया होगा कि जांच की जाय, लेकिन जब जांच करने वाला भी भ्रष्टाचारी हो तो जांच कैसे हो ?

देहात में न बिजली है न अन्न। कोई रोशनी का प्रबन्ध नहीं है। वहां के लड़कों को जो प्राइमरी, मिडिल स्कूल तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिये मिट्टी का तल तक नहीं मिलता। आजकल इम्तिहान के दिन हैं, और उनको पढ़ने के लिये कितनी दिक्कत उठानी पड़ रही है, इस पर सरकार ध्यान नहीं देती। शहरों में तो बत्तियों का इन्तजाम है, बिजली का इन्तजाम है, देहात के लिये रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है। खाद्य स्थायी समिति की बैठक में मैंने मंत्री जी से कहा था कि आप देहात का कोटा बढ़ा दें, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आज देहात में जन जीवन का खतरा बना हुआ है, उसके लिये यह जरूरी है कि वहां रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो।

आज सीमेन्ट भी अच्छा और कन्ट्रोल प्राइस पर नहीं मिल रही है। मैं जिला पूर्ति अधिकारी से मिला भी, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देहात के आदमियों को आज भी १२–१३ रुपये प्रति बोरी के हिसाब से सीमेंट मिल रही है जबकि उसकी निर्धारित कीमत १० रुपये के करीब है। फिर जो सीमेंट देहात वाले लेकर गये हैं और जिन्होंने उससे अपने कुवें बनवाये हैं वे सब फट गये। सीमेंट इतनी खराब थी, पता नहीं कि उसमें मिट्टी मिली थी या क्या था, वह सब खराब हो गयी। कृषक का पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है तथा सरकारी तकावी से बनवा रहे हैं। तमाम इस किस्म की शिकायतें मेरे पास आयी हैं कि सीमेंट अच्छी नहीं मिल रही है तथा ज्यादा कीमत पर दूकानदार उनको दे रहे हैं। मैं, आपके द्वारा श्रीमन, मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात की जांच करायें कि सीमेंट में मिलावट के क्या कारण हैं, कहां से वह मिलावट हो रही है तथा वह ज्यादा दामों पर क्यों बिक रही है। मंत्री जी को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि कृषकों को सीमेंट उचित दामों पर मिले। यह हो सकता है कि मिलावट कारखाने से ही हो कर आती हो। इसकी जांच की आवश्यकता है।

शकर के बारे में मंत्री जी ने कहा कि आजकल शकर जितनी कोई चाहे मिल सकती है। मेरे एक साथी के यहां शादी थी। उसको २० किलो शकर मुश्किल से मिली। जिसके यहां शादी हो, आप स्वयं समझ सकते हैं कि २० किलों शकर में कैसे उसका काम चल सकता है। इसलिये मंत्री जी को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि कम से कम शादी आदि के लिये एक व्यक्ति को जितनी शकर की उसे आवश्यकता हो उतनी मिल सके।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपके द्वारा मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस दिन से हमारे शहर में राशनिंग शुरू हुई है, अभी तक राशनिंग व्यवस्था में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। अभी जिस ढंग से व्यवस्था चल रही है वास्तव में यह व्यवस्था अभी तो ठीक ढंग से चल रही है। मगर यह आगे चल करके कुछ खराबी पैदा कर सकती है जिसका उपाय अभी से करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि बाहर से आने वाले मेहमानों के लिये राशन कार्ड के बनाने की व्यवस्था तुरन्त आरम्भ की जाय जिससे कि कोई ब्लैक मार्केटिंग का साधन न हो सके। दूसरी बात हमारे शहर में या हमारे देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं बहुत सी ऐसी कौमें हैं और ऐसी जातें हैं कि हर कौम और हर मजहब में त्योहार पड़ते हैं और उन त्योहारों में भी कन्ट्रोल की चीजों को लेने की जरूरत पड़ती है और उसके मिलने का साधन ठीक ढंग से नहीं चलता। आज इस देश में जब हम एक इकाई के रूप में गिने जाते हैं तो कोई वजह नहीं थी कि कानपुर शहर में केवल हिन्दू समाज के ही लोगों को एकस्ट्रा शकर दी जाय और राशन कार्ड के दूसरे लोगों को शकर न मिले। अगर एक इकाई गिनी जाती है तो सरकार को इस बात

का ध्यान रखना चाहिये कि कोई भी त्यौहार हो, जो चीज दी जाय राशन कार्ड के द्वारा वह हर एक को मिलनी चाहिये। जिस तरह से आपने सिस्टम बना रक्खा है कि कोई चाहे गेहूं खाये या न खाये, तो इस व्यवस्था के कारण आप की बहुत सी कमियां हैं। इसके अलावा भी आप देखें मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि होली के दौरान में आपने मैदा को देने का प्रबन्ध किया। जब कि आपने यह इरादा कर लिया था कि होली के दौरान में केवल उन्हीं राशन कार्डों पर मिलेगा जो हिन्दू समाज के लोग हों तथा राशन की दुकानों पर इतना अधिक मैदा पड़ा है कि कोई कारण नहीं था। आज भी राशन की दूकानों में इतना अधिक मैदा पड़ा हुआ है कि हो सकता है कि अगर वह मैदा उठाया नहीं गया या दूसरे लोगों को उसका परमिट नहीं काटा गया तो वह मैदा बरबाद हो जायेगा या वह मैदा ब्लैक के रास्ते में पहुंच जायेगा। इसके अलावा भी आप देखें कि इस होली के दौरान में इसी कानपुर शहर के अन्दर दो रुपये किलो का मैदा खुल्लमखुल्ला बेचा गया और इस ब्लैक को रोकने का कोई भी साधन नहीं किया गया और वह आम तरीके से बाजार में बिक रहा था और बोरियां रक्खी हुई थी। यह मैं नहीं समझता कि वह मिलों से आया या राशन की दूकानों से आया। कैसे वह दूकानों पर आया जो बेचा जा रहा है? मैदे या रवे की बोरियां जिसकी जितनी तबियत आती थी वह लेता था। इस तरीके से इसको ठीक करने की जरूरत है।

इसके अलावा एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस संकटकाल के दौरान में कानपुर शहर में या और बहुत से लोगों ने इस बात का जब कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान से लड़ाई चल रही थी और अमेरिका का रुख पाकिस्तान की तरफ था और हिन्दुस्तान के रहने वाले अधिकांश नागरिकों ने इस बात का प्रण लिया था कि हम अमेरिका का गेहूं इस्तेमाल नहीं करेंगे और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अमेरिकन गेहूं लेना पसन्द नहीं करते तो क्या कोई सरकार इस तरह का प्रबन्ध करेगी कि अपने देश का देशी गेहूं उनको दे सके जो इस तरह के गेहूं को नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखें, हमारे शहर में आपने कहा कि शक्कर की ज्यादा अक्सरियत तादाद है और बहुत सी शक्कर हमारे पास मौजूद है। मगर यह मौजूद होते हुये भी मैं नहीं समझता कि किसकी गलती है, क्या प्रबन्ध में खराबी थी कि एक्सट्रा शक्कर के अलावा जो पन्द्रह दिन की शक्कर होती थी वह राशन कार्ड पर नहीं मिली। लोग लेने गये, लेकिन दूकानदारों ने इंकार कर दिया कि होली की चीनी के अलावा १५ दिन की चीनी नहीं मिलेगी। इससे राशन व्यवस्था बदनाम होती है। दूसरे प्रान्तों में शादी वगरह की दावत के लिये कहीं १००, कहीं २०० की तादाद मुकर्रर है लेकिन हमारे यहां २५ ही है। नतीजा यह होता है कि हर शादी के मौके पर हजारों आदमी आपके कानून को तोड़कर दावतों में शामिल होते हैं। इसलिये अच्छा यह होगा कि आप २५ से बढ़ाकर तादाद ५० या १०० कर दें और उस पर सख्ती करें। इससे ब्लैक भी रुकेगा।

आज राशन कार्डों पर ३ और ४ नम्बर के अलावा दूसरा चावल नहीं मिल रहा है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जैसे मोटे अनाज को राशन से छोड़ रखा है वैसे ही देहरादूनी और बस्ती के चावल को भी छोड़ दे जिससे अमीर आदमी उसे लेकर ४ और ३ नम्बर का चावल न लें और वह गरीबों के लिये बच जाय। हमारे शहर में बहुत बंगाली और मदरासी भाई हैं जो केवल चावल खाते हैं और उन्हें चावल उतनी ही थोड़ी मात्रा में मिलता है जितना यू० पी० के रहनेवालों को। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि ऐसा आर्डर कर दे कि जो गेहूं न ले उसे उसके बदले में चावल दिया जाय? कानपुर शहर में शादी विवाह के अवसर पर आप गल्ला नहीं देते। तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि आस पास से लोगों को लाने के लिये परमिट मिल जायें। इससे ब्लैक भी कम होगा और लोगों को आसानी होगी।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इन तमाम बातों पर ध्यान देकर जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार पेश करना चाहता हूँ।

आज देश में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का एकमात्र कारण है यह कांग्रेसी सरकार। इन्होंने जितने भी नियम बनाये वे ढीले ढाले, गलत समय के विरुद्ध, भारतीय परम्पराओं के विरोध में बनाये। इन्हीं से सारी कुव्यवस्थायें समाज में पैदा हुई हैं। सरकार ने भूमि संबंधी ऐसी व्यवस्था की कि किसानों में अनिश्चितता पैदा हो गई और उसे पैदावार बढ़ाने का उत्साह नहीं मिला। उपज बढ़ाने के लिये पानी की आवश्यकता है। सो तो सरकार दे नहीं पाई। उत्पादन बढ ही कैसे सकता था? हमारे यहां कम खाद्य सामग्री नहीं है, केवल सरकार की कुव्यवस्थाओं के कारण यह कमी दिखाई पड़ रही है। एक पत्र मेरे पास गोरखपुर जिले से आया है जिसमें बताया है कि चावल मिलों में जो लेवी लगाई गई है, उसे जितने सरकारी आदमी वसूल करने के लिये तैनात है वे सब के सब भ्रष्ट हैं। एक भी लेवी वसूल नहीं हो रही है और सारा चावल देहात की तरफ जाकर लम्बे दामों में बिक रहा है। अधिष्ठाता महोदय, बड़ा सीधा सा प्रश्न है कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा भूमि है उनसे सरकार क्यों नहीं कहती है कि तुमको इतनी भूमि रखने का अधिकार तभी होगा जब कि तुम उसके मुताबिक गल्ला सरकार को दो।

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हर पंचायती क्षेत्र में कम से कम एक गल्ले की दूकान होनी चाहिये। पिछली बार भी यह समस्या उठी थी और माननीय खाद्य मंत्री और सरकारी पक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया था कि हर पंचायती क्षेत्र में एक दूकान खोल दी जायगी। इसकी पूर्ति कहीं-कहीं जरूर हुई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई।

श्री अधिष्ठाता—

शिक्षक जी जरा बैठ जावें। कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नाथूराम शिक्षक—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि पिछले साल भी सरकार की तरफ से और मंत्री महोदय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि हम गावों तक गल्ला पहुंचायेंगे। यह बात सही है कि कुछ व्यवस्था की भी गई, लेकिन वह सारी ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुंचाया जा सका, कहीं-कहीं भेजा गया। सरकार की तरफ से जो गल्ला या दूसरा कंट्रोल का सामान गांव वासियों को भेजा गया वह उचित रूप से नहीं पहुंचाया गया और इसकी शिकायत बराबर सरकार तक पहुंचाई गई, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि किसानों के लिये दूकानें हर पंचायत स्तर पर होनी चाहिये और वहां से सामान लेने के लिये सबके पास परिचय-पत्र होने चाहिये ताकि आप का सामान निश्चित रूप से हर जरूरतमन्द आदमी को मिल सके। परिचय-पत्र होने के बाद दूसरी चीज यह है कि गांव वालों को पता ही नहीं होता कि क्या चीज दुकान पर आई है और किस भाव पर बिक रही है। जिनके हाथ में दुकानें हैं वह अपनी दुकान पर किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाते कि कौन-कौन वस्तु वहां किस भाव पर मिल सकती है। अभी तक हमारे यहां मिट्टी का तेल एक रुपया बोतल से कम नहीं मिलता जिस की शिकायत तहसीलदार और हाकिम परगना के सामने की गई और यह बात सही निकली, लेकिन उसका कोई परिमार्जन नहीं हुआ। इसलिये यह जरूरी है कि कीमत की सूची दुकानों पर टांगी जाय और ग्रामवासियों को परिचय-पत्र दिये जांय। भूमिहीनों से परिचय-पत्र बनाने की बात आरम्भ करना चाहिये और कम से कम ३ एकड़ या ५ एकड़ जो भी आप उचित समझें इतने तक के लिये निश्चित रूप से कार्ड बना दिये जायं। बाजार का सौदा इतना मंहगा है, चाहे गरम मसाले हों या और ग्रामवासियों के प्रयोग की चीजें हों, उनका दाम किसान द्वारा उत्पादन सामान से ज्यादा है। सरकार को चाहिये कि ऊपर की हर चीज के दाम को गिराये। आज किसान के घर

में दाना आ रहा है।, तो सरकार ने दाम गिरा दिया और रोज अखबारों में घोषणा हो रही है कि और दाम गिरने वाले हैं। मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि डेढ़, दो महीने के बाद हर ग्राम वासी के सामने खाने की समस्या बड़े विकट रूप से खड़ी हो जायगी। इसलिये इस समय जो गल्ला किसान या मजदूर काट रहा है प्रति दिन उस को खाता जा रहा है और कुछ ही दिनों बाद उसके पास कुछ नहीं रहेगा। ७५ या ८० फीसदी लोगों का यही हाल है। उनको जाने दीजिये जिनके पास बड़ी काश्तें हैं लेकिन हमारे देश में अधिकतर छोटे ही काश्तकार हैं और उनके पास डेढ़, दो महीने बाद खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अतः सरकार इस तरफ ध्यान दे। गांव को जो गल्ला जाता भी है तो उनमें खरीदने की सामर्थ नहीं है इसलिये सरकार को उस बात का ध्यान रखना चाहिये कि डेढ़, दो महीने के अंदर हर जिले में या हर क्षेत्र में, जहां कमी हो, टेस्ट वर्क जरूर चलवाये ताकि श्रमिक जो बेकार बैठ रहता है, उस को कुछ काम और दाम मिल सके। पिछली बार आश्वासन दिया गया था कि हमारे यहां टेस्ट वर्क चलायेंगे, लेकिन इलाहाबाद जिले के दोआबा क्षेत्र में कोई भी टेस्ट वर्क पिछले वर्ष नहीं चलाया गया।

मुझे खेद है इस सप्लाई विभाग से जो चीज देहात के लिये चलती है तो कम से कम राशन की दुकान तक पहुंचाने के लिये कोई व्यवस्था की जाय लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये गये। अगर उचित व्यवस्था हो जाय तो गांव वालों को सही गल्ला मिल सकता है। मैंने अपने यहां के जिलाधीश से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे इंस्पेक्टर लगे हैं जहां से गल्ला चलता है और दुकानों तक जाता है उस को अपने सामने बंटवाते हैं। कांग्रेस सरकार आंकड़ों की सरकार है वह व्यवहारिक दुनिया से बिल्कुल दूर है। इसलिये उस को व्यवहारिक दुनिया पर उतर कर सही स्थिति समाज के सामने रखनी चाहिये और अपनी दिक्कतों को भी समाज को बताना चाहिये। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, आज का अनुदान इतना आवश्यक है कि यदि मैं यह कहूं कि भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्यायें हैं उनमें से एक यह अनुदान भी है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसमें संदेह नहीं है कि कुछ ऐसी बातें आज के दिन कह दी जाती हैं जिनका सीधा सम्बन्ध कृषि उत्पादन से है। मैं यह समझता हूं कि आज कृषि की पैदावार कैसे बढ़े, पानी का क्या प्रबन्ध हो, दूसरे साधन कैसे जुटाये जायं ये बातें उस दिन आनी चाहिये जिस दिन कृषि के सम्बन्ध में अनुदान हाउस के सामने उपस्थित हो। आज तो प्रश्न यह है कि जो चीज हमारे यहां पैदा होती हैं या बाहर से आती हैं उसका अच्छा से अच्छा वितरण किस प्रकार से किया जा सकता। जो हमारे रसद मंत्री हैं, उनका, अधिष्ठाता महोदय, यह कर्त्तव्य नहीं है, वैसे मंत्रि मंडल का सदस्य होने के नाते, वे भी बात को सोचें कि पैदावार प्रदेश की कैसे बढ़े। वह बात तो अलग है लेकिन जहां तक अनुदान का सम्बन्ध है, इससे इन चीजों का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज उन्हें वे बातें उपस्थित करना चाहिए कि जिससे हमारे वितरण में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां है वे कैसे दूर की जायं। आज दूसरे प्रान्तों में चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, परन्तु इस प्रदेश में किसी भी कोने में अन्न की कोई कमी नहीं रही है कोई स्थान नहीं रहा है जहां पर गल्ला न मिला हो या गल्ले की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुयी हो। जहां भी गल्ले की आवश्यकता होती थी या और दूसरी चीजों की वहां वहां पर सरकार ने उन वस्तुओं को पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया है जिससे वहां के रहने वालों को कोई दिक्कत न हो।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

हमारे देश में जब कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग अमरीका से निर्यात किया हुआ गेहूं नहीं खायेंगे । यह बात अच्छी थी उस समय जिस समय कि अमरीका का रुख अच्छा नहीं था । इस प्रकार से रोष प्रकट करने का और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था । लेकिन अगर किसी मजबूरी से, या कोई और बात हो, उसकी वजह से, उस गेहूं को स्वीकार किया गया है तो उस समय यह कहना कि अमरीका से जो गल्ला आयेगा, उसका उपयोग नहीं करेंगे, उचित प्रतीत नहीं होता है । जब गल्ले की कमी है तो सोचना पड़ेगा कि कमी को कैसे दूर किया जाये । उस गेहूं का स्थानापन्न किस चीज से किया जायगा, यह भी हमें सोचना होगा । इसलिये जिन लोगों ने प्रतिज्ञा की, उनसे मेरा कहना है कि एक समय एक प्रकार की प्रतिज्ञा की जाती है, लेकिन स्थिति बदलने पर उसको दूसरी तरह से रखा जाता है । इसलिये जहां पर इस प्रकार की समस्या हो, वहां पर उस गेहूं का इस्तेमाल करना चाहिये और खुशी से इस्तेमाल करना चाहिये । यों तो इस समस्या का असली हल तो गल्ले की पैदावार और दूसरी चीजों की पैदावार के बढ़ने में ही है ।

आज किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आलू तो एक अपनी मिकदार में ही खाया जा सकता है । मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में इस वर्ष आलू की पैदावार अच्छी रही और किसी को कोई दिक्कत नहीं रही । उसका दूसरी सब्जियों पर भी अच्छा असर पड़ा है । उनके भाव भी एक सीमा में रहे हैं और उसके ऊपर नहीं गये है । यदि गल्ला भी इसी प्रकार से सब जगह सुलभ रहे तो इस तरह की कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आ सकती है ।

जहां तक व्यापारी वर्ग का सम्बन्ध है, उन्होंने मेरे सामने २–१ बातें रखी हैं, मैं नहीं जानता कि कहां तक वे सही हैं, लेकिन उनका कहना है कि मंत्री जी के विभाग के जो लोग हैं वे हर तीसरे वर्ष बाटों पर मोहर लगाते हैं । यह बात तो ठीक है । बाट कमती न हों उसकी देखभाल गवर्नमेंन्ट करे और मोहर लगाये । लेकिन दिक्कत यह है कि सरकारी अधिकारी जाता है और साथ में ठेकेदार भी रहता है । ठेकेदार अपने ढंग से काम करता है । दूकानदार को गवर्नमेन्ट की फीस तो देनी ही होती है, लेकिन ४०–५० रुपये ठेकेदार को भी देने होते हैं ।

एक गड़बड़ी और होती है । जो ज्यादा काम में आने वाले बाट हैं और रोज काम में आते हैं उन पर मोहर लगवाने लगें तो इस में बहुत ज्यादा समय लग जाय । इसलिये थोड़े बाटों पर मोहर लगाते हैं और शेष पर नहीं लगाते । उनका कहना है कि तराजू पर मोहर लगाने का काम तो और भी ज्यादा सख्त है । यह ठीक है कि दूकानदार आम तौर से गड़बड़ करते हैं, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हम इस तरह से चेकिंग करें कि वह अपने काम को ठीक से अन्जाम न दे सकें ।

एक चीज और है । अभी जो माननीय सदस्य, कानपुर के हैं उन्होंने कहा कि कानपुर में सूजी और मैदा पड़ी है जो होली पर बिक नहीं सकी । मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर करता हूं कि माननीय मंत्री केन्द्रीय सरकार को लिखें कि जब गल्ले की इतनी कमी है, आटा अच्छा मिलता नहीं तो सूजी और मैदे की बात क्यों की जाती है । अगर आटे के बिना हम रह सकते हैं तो क्या सूजी और मैदे के बिना नहीं रह सकते ? केन्द्रीय सरकार से कहा जाय कि जब तक देश में गेहूं की कमी है तब तक लोग सूजी और मैदे के बिना रह सकते हैं ।

एक बात मैं यह और कहूंगा कि हिन्दुस्तान में मक्का, बाजरा, और ज्वार हमेशा से खाया जाता है और आज भी खाने के लिये लोग उत्सुक हैं । लेकिन देखना यह होता हैकि अगर मार्च, अप्रल और मई में मोटा अनाज दिया जाता है तो लोग उसे खाने से गुरेज करते हैं और वही चीज अगर नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी, में दी जाती है तो लोग खुशी से खायेंगे । अगर उसे ले कर रख लिया जाय तो मक्का और ज्वार ऐसी चीज है जो कई दिन तक नहीं रखी जा सकती । इसलिये सरकार ने अब तक जो किया वह किया, लेकिन भविष्य के लिये देखने

की बात है कि ठीक वक्त पर चीज मिलनी चाहिये और बेवक्त पर मिलने से उसमें अच्छाई नहीं रहती ।

एक बात यह और निवेदन करनी है कि केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसार एक साथ १०० आदमी भोजन कर सकते हैं और हमारे यहां २५ से ज्यादा नहीं कर सकते । मैं अपनी दृष्टि से यह समझता हूं कि दोनों नियम ठीक नहीं हैं क्योंकि देखा यह गया है और शायद सरकार भी उसे नजरअन्दाज करती है कि जितने भी आदमी किसी शादी और दूसरी खुशी में सम्मिलित होते हैं वे सब भोजन करते ही हैं । तो इस प्रकार का नियम बनाने से क्या फायदा है जिसे १०० में से ९९ आदमी तोड़ते हों । ऐसे नियम न बनाये जायं तो ही अच्छा है ।

इन शब्दों के साथ रसद मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका मैं पूरे तौर से समर्थन करता हूं और जो उन्होंने ७२ करोड़ रुपये की राशि मांगी है बहुत आवश्यक है, काम चलाने के लिये उससे भी अधिक मांगते तो ठीक था ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो ग्रांट नम्बर १५ और ५४ पेश की हैं उस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । आडिट रिपोर्ट जो सन् १९६४ की है उसमें सफा १०८ पर यह लिखा हुआ है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा अगला माइक इस्तेमाल करें, सुनाई नहीं देता है ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

आडिट रिपोर्ट में यह लिखा है कि एक बहुत बड़ी पूंजी इस रसद विभाग ने खर्च किया मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला और यह भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इस पर आयन्दा विचार कर के अवश्य सदन में रखा जाय । यह एक छोटा सा मामला जरूर है लेकिन इस विभाग की अफसरशाही जो है और मनमाने ढंग से काम करने का जो तरीका है उससे पता चलता है कि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई जिस तरह से जाया की जा रही है यह उसके हित में नहीं है । आज हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का कहत पड़ा हुआ है और खाने पीने की चीजों में इस कदर मिलावट हो रही है कि कोई भी खालिस चीज बाजार में मिलना नामुमकिन हो गया है । हुकूमत के जरिये मिलावट के मामलात के जो चालान होते हैं अगर उनकी तादाद हजारों में भी पहुंच जाय तो भी मैं समझता हूं कि उसकी रोकथाम होना नामुमकिन है, इसलिये कि यह जिम्मेदारी महज इस विभाग की हो गयी है । यह हक हर पब्लिक सर्वेन्ट को होना चाहिये जो अपने अवायी फरायज अन्जाम दे रहा है । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि शहर के लोग जो कि खेती नहीं करते उनके लिये तो सरकार ने राशनकार्ड बनाये हैं जिसके जरिये उन्हें अनाज दे रही है, अगरचे बहुत थोड़ा देती है इतना कि लोग जिन्दा रह सकें, लेकिन देहात का वह तबका जिसके पास खेती नहीं है, जिसको खेतिहर मजदूर या भूमिहीन कहा जाता है और जिनकी तादाद करोड़ों की है उनके लिये सरकार और इस डिपार्टमेंट ने क्या किया है ? आखिर वे कैसे जिन्दा रहें ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो लोग खेती नहीं करते हैं क्या सरकार उनके लिये कोई ठोस कदम उठायेगी जिससे उनके बाल बच्चों की परवरिश हो सके । इस स्वतंत्र भारत में

[चौधरी अब्दुल हसीब खां]

आज तो करोड़ों आदमी स्वतंत्र हैं। लेकिन वे भूखे मर रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि अगर मंत्री जी चलने के लिये तैयार हों तो मैं उनको हजारों घरों में ऐसे दिखा दूंगा जो एक वक्त भी रोटी पेट भर नहीं खा सकते हैं। यह जो करोड़ों भूखे आदमी देहात में रहते हैं जिन्होंने इस सरकार को बनाया है वे आज यह कहने के लिये मजबूर हैं कि "बड़ी ललक से कहा था बहार आजाय। खबर न थी कि है किस्मत में ताज कांटों का" ये लोग भूख की वजह से यह कहने के लिये मजबूर हैं। अजीब हालत है और अजीब वक्त है कि गरीबों की रोटी का मसला इतना नाजुक हो गया है कि इसी राजधानी लखनऊ में मैंने देखा है कि सैकड़ों ऐसे लोग बक्सों का काम करने वाले मौजूद हैं जिनको टिन नहीं मिल रही है। उनके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं और एक एक दाने को तरस रहे हैं। उन्होंने जिलाधीश और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर को दरख्वास्त दी टिन देने के लिये तो उन्हें आदेश मिला है कि सोसाइटी बनाई जाय। चुनांचे उन्होंने सोसाइटी बनाई लेकिन फिर भी वह टिन नहीं पा रहे थे जिसका नतीजा यह है कि उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मान्यवर, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि शहर के रहने वाले इन छोटे लोगों की तरफ सरकार ध्यान दे। बड़े लोग तो हर तरह हासिल कर सकते हैं। लेकिन छोटे लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। इस गिरानी में जब कि एक सेर का आटा बिक रहा है वे बिचारे बड़े परेशान हो रहे हैं।

मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग सफेदपोश नजर आते हैं। लेकिन यह उनकी वजादारी की वजह से है। गहराई में जाकर उनकी हालत का मुआयना किया जाये और देखा जाये कि उन पर क्या बीतती है? उनकी हालत आजकल बहुत ही खराब व खस्ता है। उनको अपनी पोजीशन मेनटेन करनी पड़ती है इसलिये वे सफेदपोश दिखाई देते हैं। उनकी हालत ऐसी है जैसा किसी शायर ने फरमाया है कि—

"गलत अंदाजा करती है यह दुनिया रंजो राहत का।
खुदा ही जानता है खूब किस पर क्या गुजरती है।"

मंत्री जी आप पर क्या गुजरती है? इसको मैं नहीं जानता। लेकिन गरीब की जो हालत है वह मैं अर्ज कर रहा हूं।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज सरकार जो अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिये अभियान चला रही है। एक नारा देते हैं जय किसान तो मैं आपको कुछ नारे बताना चाहता हूं, कि यदि इनका अधिक पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयोग किया जाय तो शायद अच्छा हो। जैसे कि यह नारा आप चलाए कि प्राइज कन्ट्रोल का कि 'दाम बांधो', 'जरूरी सामान बाजार से गायब न करो' या 'जखीरा न करो', तथा 'अनाज और दूसरी चीजों का उत्पादन बढ़ाओ' इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करूंगा कि जनता से सरकार कहती है कि खाना ज्यादा न खाओ, साग सब्जी खाओ, फल फलहरा ज्यादा खाओ। तो मैं इस सिलसिले में बतौर मशविरा के यह राय देना चाहता हूं कि अगर इन एलानों का सरकार वहां पर प्रचार करे, जैसा कि पुरानी कहावत है 'गम खाना और कम खाना अच्छा होता है' कि चांटा खाओ, झापड़ खाओ, सर खाओ, हवा खाओ यह कहे और अगर इससे भी काम न चले तो मद्रास और केरल की तरह यह नारा दिया जाए कि गोली खाओ तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

चौधरी अब्दुलहसीब खां—

मुझे एक मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा बोल लीजिये ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

इस राज्य में देहातों में बिलकुल अंधेरा छाया हुआ है, गांव वालों को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है उनको किसी भी कीमत पर तेल नहीं मिल रहा है । अगर इस विभाग को तोड़ कर इसी में एक शाखा और बना ली जाए तो उसमें दो फायदे होंगे । एक तो मंत्रियों के भाई भतीजों की उसमें खपत हो जायगी और दूसरे मिट्टी के तेल की समस्या भी हल हो जायगी । एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग थे कि उनके पेशाब से दिया जलता था । इस युग में भी ऐसे लोग मौजूद हैं । यदि उनकी जांच की जाए तो उससे मिट्टी के तेल की समस्या भी हल हो जाएगी मूत्र जांच विभाग का भी काम देखा जाय कैसा होता है ।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा यह समस्या अब आप हल कीजियेगा, बैठ जाएं, आपका समय समाप्त ।

श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । प्रस्तुत बजट पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है । इस खाद्य समस्या के बारे में बोलते हुये विभिन्न सदस्यों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से अपने विचार प्रकट किये । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का भी जिक्र किया कि कौन-कौन सी चीजें खाना चाहिये । किसी ने कहा कि आलू ज्यादा खाना चाहिये, किसी ने उसका विरोध किया । यह बात मेरी समझ में तो बड़ी वैसी मालूम पड़ती है कि खाने की चीज जिसको रोका जाए, उसी को आदमी ज्यादा खाने की कोशिश करता है । किसी चीज के लिये बार-बार मना करने से लोगों पर उसका ज्यादा असर पड़ता है बल्कि उसका उलटा असर पड़ने लगता है । मैं जानता हूं कि जो आलू पसन्द करता है वह आलू खाता है और अगर उसे रोका जाय तो वह उसको खाने से नहीं रुकेगा, लेकिन जिन्हें आलू खाना नहीं पसन्द है उन्हें उसे खाने की राय दे दी जाय तो वह उस राय को पसन्द नहीं करेगा और वह केवल कहने की ही एक बात हो जायेगी । फर्रुखाबाद जिले में आलू बहुत होता है इसलिये हमें आलू के बारे में बहुत ज्यादा मालूम है । आलू की बहुत चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक दृष्टि से लाभ उठाने के लिये की जाती है और बड़े पैमाने पर यह बात कही जाती है कि आलू के संबंध में बड़ी भारी बात हो गयी आलू की पैदावार ज्यादा हो गयी और इससे किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है । मैं समझता हूं कि इस बात को कहने में मुझे कोई वजन नहीं मालूम होता है क्योंकि फर्रुखाबाद जिले से हर साल लगभग डेढ़ करोड़ मन आलू बाहर जाता है । यह कहना कि आलू सस्ता हो गया है, अगर इसे मान भी लिया जाय तो जहां आलू नहीं होता है और जिनको आलू खरीदना तक मुश्किल होता था वे सस्ते दामों पर आलू खरीद कर जिन्दा रह सकते हैं । ऐसे लोगों को अपने परिवार को जिन्दा रखने में आलू बहुत सहायक है । थोड़े से पैसे में आलू लेकर खाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं । इस तरह से यह कहना कि कुछ लोग आलू को पसन्द नहीं करते हैं, इसकी चर्चा अपनी जगह पर अलग चीज है ।

अब मैं कुछ बातों की ओर आपके द्वारा खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां तक खाद्य मंत्री जी से संबंधित मामले की बात है, देहात तथा गावों के विकास के लिये तथा पैदावार की दृष्टि से भी ईंट के भट्ठे को बढ़ावा देना चाहिये । यह एक बहुत ही महत्व-पूर्ण बात है । खाद्य मंत्री जी ने कुछ वर्षों से उन भट्ठों पर कुछ ऐसा प्रतिबन्ध लगा रखा है जिससे उन इलाकों में जिनके गांव नजदीक-नजदीक हैं और जिन इलाकों में या जिलों में बागात अधिक हैं वहां ईंट के भट्ठे लगाना मुश्किल है । खाद्य मंत्री जी ने एक आदेश जारी किया है कि जिस आदेश में यह कहा गया है कि 'एक मील आम के बागात से और २ फर्लांग गांव के अन्दर ईंट के

[श्री महरामसिंह]

भट्ठे नहीं लगाये जा सकते हैं। एक तरफ आप गावों का विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ घनी आबादी या आम के बागात के नाम पर ईंट के भट्ठे लगाने पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं तो विकास की दृष्टि से यह गलत चीज है। आप जानते हैं कि ईंट के बिना कोई काम नहीं चल सकता। ईंट ऐसी चीज है कि जिसको एक जिले से दूसरे जिले में नहीं ले जाया जा सकता, उसे दूर नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि ईंट को १५-२० मील ले जाने में ५० रु० प्रति हजार खर्च होता है। इसलिये ईंट जैसी चीज को रोक देने से देहाती क्षेत्रों का विकास बिलकुल ही रुक जायेगा। इसलिये आपकी मार्फत से खाद्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि ईंट के भट्ठे के मामले में उदारता के साथ खूब सोच कर आदेश जारी करें और यदि आवश्यक हो तो प्रदेश के प्रत्येक जिले का सर्वे करा लें कि कहां पर किस किस जगह ईंट के भट्ठे लगे हुये हैं और किन-किन गांव में कहां-कहां पर बागात है कहां पर ईंट के भट्ठे के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उसके बाद फिर वे आदेश जारी करें।

दूसरी बात मुझे आपके सामने यह कहनी है कि आप खाद्य संकट के बारे में पिछली बार हमारे गृह मंत्री जी के प्रस्तुत बजट पर बोलते हुये माननीय चन्द्र सिंह रावत यहां तक कह गये कि अगर केन्द्रीय सरकार के वर्तमान खाद्य मंत्री रहते हैं तो हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकेगी। यह बात हमारे रावत जी ने अपने बजट भाषण में कही, हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री की अधिक लोगों ने सराहना की। मैं भी उनकी सराहना करता हूं। क्योंकि वह प्रदेश के खाद्य मंत्री बहुत ही योग्य और दरियादिल आदमी हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस खाद्य-संकट के बारे में जहां तक मेरी राय है दो बातें ज्यादा बाधक होती हैं। एक तो हमारी सरकार की समय-समय पर बिना विचार किये हुए घोषणाएं और दूसरे हमारे विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों की ओर से उस कहावत को सिद्ध करना जैसा कि कुछ लोग खोंटी चवन्नी चलाना चाहते थे कि कौन चलाए और किसे इनाम मिल जाय, कौन इतना बहादुर होगा इसमें होड़ थी।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, कोरम नहीं पूरा होता है तो कार्यवाही क्यों चला रहे हैं?

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री अधिष्ठाता—

कोरम की जिम्मेदारी हर दल की है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

असल में कोरम के लिये वह जिम्मेदार हैं। पास उनको करवाना है। लेकिन डिस्कशन चलने दें तो दूसरी बात है। लेकिन यह न कहें कि जिम्मेदार हम हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अधिष्ठाता जी, जब बार बार कोरम की घंटी बजे और कोरम न पूरा हो तो आपको सदन का कार्यवाही बन्द कर देनी चाहिये और आज का अजेंडा दूसरे दिन होना चाहिये। यह गलत तरीका है कि चौथी बार कोरम की घंटी बजे और माननीय सदस्य सदन में मौजूद न रहें। यह गलत परिपाटी होगी कि बार-बार कोरम के लिये घंटी बजे। बजाय इसके श्रेयस्कर होगा कि आप हाउस बन्द कर दें दूसरे दिन रखें। तो सरकारी दल को और इधर के दल को चेतावनी होगी कि कोरम के अभाव में सदन बन्द हो गया। मैं निवेदन करूंगा कि आप हाउस बन्द कर दें।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

कोरम से बहुत ज्यादा हैं।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ५८१
१५––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन व अनुदान संख्या ५४––राज्य
व्यापार की योजनायें

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज के इस रसद के अनुदान पर जो कटौती प्रस्ताव पेश हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूं। उसका जो कारण है वह मैं माननीय मंत्री और सदन से निवेदन करना चाहता हूं। अनुदान की मांग के अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने शासन की नीति की कमजोरियों के संबंध में जो स्पष्ट रूप से कथन किया, उसके लिये मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि हमारी जो मिलीजुली अर्थ नीति है वह स्वयं अपने आप में टिकाऊ नहीं है। ऐसी स्थिति में यह खाद्य संबंधी, पूर्ति संबंधी तथा उत्पादन संबंधी त्रुटियां हुआ करती हैं। यहां ईमानदारी के साथ उन्होंने अपनी बातें कहीं। इसके साथ–साथ उन्होंने यह भी बतलाया कि इसके कारण से केन्द्रीय खाद्य नीति कुछ शिथिल है कि बम्बई में कुछ और भाव, मद्रास में कुछ और भाव और यहां कुछ और भाव। इसी प्रकार से उन्होंने बतलाया कि जिस प्रकार की नीति पर हम चल रहे हैं उसमें समाजवादी व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकती। मंत्री जी के इस कथन और स्पष्टवादिता के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। वैसे भी उनके सौजन्यता में कोई दो राय नहीं हो सकती। वह भले आदमी हैं किन्तु बदकिस्मती से वह अपने राजनैतिक दल की दुर्बल शासन नीति के अन्तर्गत खाद्य विभाग को चलाने को विवश हैं। उसके कारण उनको कभी–कभी सदस्यों की आलोचना का और उनकी मांगों और शिकायतों का शिकार होते रहना पड़ता है। अधिष्ठाता महोदय, मेरे विचार से हमारे राज्य के खाद्य मंत्री उस बड़े परिवार की गृहिणी के समान है जिस घर के भीतर बाहर से पैदा करके उपयोग का सामान लाने वाले पुरुष काम काजी कम हों और बक-वादी ज्यादा। घर में सामान तो कम है लेकिन गृहिणी को परेशान करने वाले लड़के–बच्चे ज्यादा हैं। अपने मंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत अपना आदर रखते हुये भी उनके भाषण के विरोधाभास के संबंध में मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। यह तो सही है कि केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति की दुर्बलता के कारण सारे हिन्दुस्तान में राष्ट्रीय पैमाने पर कोई खाद्य नीति नहीं बन पा रही है परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अपने उत्तर प्रदेश में भी वह बात है और उसकी जिम्मेदारी आपको और आपके मंत्रिमंडल को वहन करनी पड़ेगी।

मेरी समझ में सारी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की हुआ करती है। मेरे सामने यह ५ मार्च का सरकारी गजट है। उसमें जो अनाज के थोक भाव दिये गये हैं वह इतने चिन्ताजनक हैं कि मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ११ फरवरी को यह जो मंडी में अनाजों के भाव की तालिका दी गई है उसमें लखनऊ में चावल का भाव ९०.२९ रुपया प्रति क्विन्टल है। केवल यहां से ७०, ७५ मील के फासले पर फैजाबाद में चावल का भाव १२२.५० रुपया प्रति क्विन्टल है। यह ३२.४१ रुपये का अन्तर एक ही तिथि पर ७०-७५ मील के फासले पर है। यह बड़ी चिन्ताजनक बात है। अब आप सोचिये कि एक क्विन्टल चावल लखनऊ में न खरीद कर यदि कोई फैजाबाद में खरीदता है तो उसको ३२ रुपया अधिक देना पड़ेगा। इस बात से यह निश्चय हो गया है कि यह खाद्य की दुर्बल नीति के कारण है जिस पर विचार होना चाहिये। मैं आपके मन्त्रिमंडल से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें भी कोई बड़ी विदेशी सहायता न मिलने की लाचारी काम कर रही है? इसी प्रकार से उसी ११ फरवरी को बांदा में गेहूं का भाव ६९.६८ रुपया प्रति क्विन्टल है और गोरखपुर में ८४.८२ रुपया प्रति क्विन्टल है। इस तरह से यह १५.१४ रुपये का अन्तर है। इसी तरह से चने का भाव बांदा में ५४.९४ रुपये प्रति क्विन्टल है और फैजाबाद में ७१.४६ रुपया है। इसी तरह से हाथरस से बनारस में जौ का भाव १५.७० रुपया अधिक है। ज्वार का भाव इसी प्रकार से बांदा से इलाहाबाद में १४.७४ रुपये अधिक है। बाजरे का भाव बरेली, सीतापुर से बनारस में १७.८७ रुपये अधिक है, मक्का हरदोई और सहारनपुर में १६.५६ रुपये का अन्तर, अरहर के भाव में हापुड़–झांसी में २७.२० रुपये का

[श्री रघुनाथसिंह]

अन्तर रहा, गुड़ में अलीगढ़ और फैजाबाद में २९.४८ पैसे का अन्तर रहा। खंडसारी में चंदौसी और इटावा में ३० रुपये प्रति क्विन्टल का फर्क रहा। एक ही समय में बाजार भाव में इतना अन्तर शासन का क्या रूप दिखला रहा है? अब इसको एक दूसरे ढंग से देखना चाहिये। ११ फरवरी के भाव और १८ फरवरी के भाव में बड़ा अन्तर है। ११ फरवरी को देहरादून में गेहूं ९६.४५ था और १८ फरवरी को वह १०९.८५ हो गया। एक सप्ताह में वहां १३ रुपये ४० पैसे का अन्तर पड़ा। देहरादून का आदमी भी पछताया होगा कि मैंने चावल पहले ही क्यों न खरीद कर रख लिया। इसी प्रकार फर्रुखाबाद में चावल एक सप्ताह में ७ रुपये १२ पैसे प्रति क्विन्टल बढ़ गया। देहरादून में गेहूं एक सप्ताह में ५ रुपये ३६ पैसे प्रति क्विन्टल बढ़ गया। झांसी में ६ रुपये ४९ पैसे प्रति क्विन्टल बढ़ गया। इटावा में चना ३ रुपये ७३ पैसे बढ़ गया, मरठ में २ रुपये ५० पैसे प्रति क्विन्टल बढ़ गया। मुजफ्फरनगर में ५ रुपये चना बढ़ गया जब कि उसी सप्ताह में सहारनपुर में वह सवा रुपया घट गया। दोनों पास-पास के जिले हैं लेकिन एक जगह एक सप्ताह में ५ रुपये बढ़ गया और दूसरी जगह १.२५ रुपया घट गया। यह ६.२५ रुपये का अन्तर अपने आप में आप की दाम नीति की दुर्बलता का द्योतक है। इसको आप देखें।

इस संबंध में मैं मंत्री जी की सराहना करूंगा कि जो पुस्तिका खाद्य तथा रसद के बारे में उन्होंने माननीय सदस्यों में वितरित करायी है उसमें ईमानदारी से शिथिल दाम नीति की बात कही है, लेकिन केवल आप की ईमानदारी से हमारा काम नहीं चलता। आप को उस के साथ तत्परता और दृढ़ता से अपनी नीतियों पर अमल करना चाहिये। आप की ईमानदारी से हमारी भूख नहीं मिट सकती। आप को सब बुराईयों को समाप्त करना होगा और उस के लिये ईमानदारी के साथ साथ तत्परता बहुत आवश्यक है। इस में अमरीका से गेहूं मंगाने या आने का सवाल नहीं है। आप के विभाग ने इसमें लिखा है कि यद्यपि इस वर्ष मंडियों में खाद्यान्नों की आमद गत वर्ष १९६४ की तुलना में अधिक हुई लेकिन भाव ऊंचे रहे। अब आप यह देखें कि आमद अधिक है लेकिन उसके बाद भी भाव ऊंचे रहे, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने दस, १५ साल पहले यह कहा था कि आप को दाम बांधने चाहिये। यह बात कहने पर आप कहेंगे कि हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमने कहा था कि दाम इसलिये बांधी कि बाजार में और खलिहान में जो अनाज है उसके भाव में ज्यादा अन्तर न होने पाये। प्रति सेर डेढ़ आने से ज्यादा का अन्तर उन में नहीं होना चाहिये। केवल जनता में सस्ते प्रचार के लिये वह बात नहीं कही गयी थी। आप देखें उसी पुस्तिका में लिखा है "अप्रैल में नयी फसल बाजार में आने पर भावों में गिरावट आयी, परन्तु जून में ही भाव बढ़ गये" 'जब माल आढ़तियों के पास आ गया तभी भाव बढ़ गये।' सितम्बर, नवम्बर में फिर भावों में गिरावट आयी और दिसम्बर में ही फिर भावों में बढ़ोत्तरी होने लगी। इससे ज्ञात होता है कि साल में दो बार भावों में गिरावट आती है और जैसे ही गल्ला आढ़तियों के पास पहुंच जाता है, भाव फिर बढ़ने लगते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शासन इस मामले में तत्परता नहीं दिखाता। सरकार केवल इसके लिये अपनी असमर्थता प्रकट करती रहे और भाव बढ़ते रहें और आप केवल पुस्तिका से हमें इसकी सूचना दे दें इससे काम चलने वाला नहीं है और यह आपकी दयनीय स्थिति का द्योतक है। इसके साथ ही एक बात यहां और ध्यान देने की है। उत्तर प्रदेश का गंगा जमुना का मैदान उस भारतवर्ष का मर्मस्थल है जिसके संबंध में हमारे एक राष्ट्रीय कवि ने अपने राष्ट्रीय गान में कहा था: सुजलां सुफलां, मलयजशीतलां, शस्य श्यामलां मातरम्। ऐसे उत्तर प्रदेश में विदेशों से तो ४०,९९३ मैट्रिकटन गल्ला आये और आप का अपना हो ७०५३ मन, अर्थात् छटवां हिस्सा भी न हो, तो यह भी आपकी दयनीय स्थिति का द्योतक है। मैं मानता हूं कि आप अकेले इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं। विकास विभाग, सिंचाई विभाग और कृषि विभाग भी जिम्मेदार हैं, लेकिन फिर भी सामूहिक जिम्मेदारी मंत्री मंडल की होती है

और आज जब आप इस विभाग के सम्बन्ध में अनुदान मांग रहे हैं तो हम तो आपके ही माध्यम से आलोचना करेंगे। आप इन सब सुझावों को मंत्रि-मंडल के सामने रखें। हमारे राज्य में यहां तो स्थान और समय के लिहाज से दोनों भाव पूरा झूला झूलता रहता है। एक ही समय में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भाव और एक ही स्थान पर भिन्न समयों में विभिन्न भाव। इलाहाबाद में कुछ, झांसी में कुछ, फैजाबाद में कुछ। इस प्रकार की चीजें होती रहीं तो जनता आपकी इस कापुरुषता और निर्बलता पर तरस खायेगी।

एक सुझाव देना चाहता हूं कि कहीं पर तो प्रदेश में सिंचाई के साधन हैं और कहीं पर नहीं हैं, वर्षा का प्रायः अभाव होता रहता है। गल्ले की दूकानें जो खुलती हैं तो असरदार लोग सप्लाई विभाग के पास पहुंच कर अपने गांव में खुलवा लेते हैं उन्हें कुछ तगड़ी संस्तुतियां मिल जाती हैं, लेकिन जहां बिल्कुल सूखा है सिंचाई का कोई साधन नहीं है वहां गल्ले की दूकानें नहीं हैं। शायद सदन में अधिकतर सदस्य इसकी वास्तविकता अस्वीकार नहीं करेंगे। तो जहां सिंचाई के साधन आप नहीं दे पाये हैं वहां निश्चय रूप से सख्त आदेश देकर जो कुछ आपके पास गल्ला है उससे वहां गल्ले की दूकानें पहले खोलें, उसके बाद दूसरे सिंचाई वाले इलाके में खोली जायं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने खाद्य मंत्री को इस अनुदान के लिये बधाई देता हूं। आज प्रदेश की जनता जिस विभाग की ओर आशाभरी निगाह से देखती है कि ये हमारे भूख और प्यास के साथी हैं वह यही विभाग है और यह वह मंत्री है जो सबको जीवन देता है। इसलिये मैं विरोधी दल के कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। भावावेश में कुछ भी कह जायं, यह तो उनका कर्तव्य भी है, लेकिन शिष्टाचार के नाते भावावेश में नहीं बहना चाहिये जैसा कि उन्होंने खाद्य मंत्री को ऐसे शब्द कह दिये कि जो अशोभनीय हैं और कम से कम मेरे साथी भी हैं। मुझे थोड़ा क्रोध भी आया कि एक समझदार व्यक्ति, एक जनता का नुमाइन्दा ऐसे तपे हुये मंत्री को इस किस्म का व्यक्तिगत आक्षेप करे। यह शोभा नहीं देता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह व्यक्तिगत आक्षेप वाली बात बिलकुल निराधार कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

वह किसी और के बारे में कह रहे होंगे, नाम नहीं लिया।

श्री हरीसिंह—

भाई पर तो वार हुआ ही नहीं, अभी से घबरा गये। यह सही है कि मंत्री जी ने १० साल जिस सद्भावना से इस विभाग को निभाया है, सभी विभागों की छीछालेदर हुई, लेकिन इस में नहीं, क्योंकि इस मंत्री की विशेषता यह है कि हर एक माननीय सदस्य, चाहे बहुमत का हो या विरोधी दल का सबकी बात सुनने के लिये हर वक्त तैयार रहते हैं और मैं शहादत देता हूं कि वह जनहित की बात जिधर से भी आये, उसको सुनते हैं और जो उचित समझते हैं वह करते हैं। जब किसानों के खेतों में अन्न पैदा होता है तभी सरकारी भंडारों में अन्न आता है। बदकिस्मती यह हुई कि इस साल वर्षा नहीं हुई। श्रीमन्, पूर्व में उत्पादन अगर कम होता है, अन्न की कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

दिक्कत होती है तो शोर मचा दिया जाता है कि इतने व्यक्ति भूख से मर गये, यह हो गया, वह हो गया, मगर पश्चिम वाले कभी कुछ नहीं कहते हैं। पश्चिमी जिलों में अगर बड़ी-बड़ी कोठियां भी गिर जायं, चाहे भूख से भी मौतें हो जायं तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन पूर्वी जिले वाले झूंठ-मूठ ही शोर मचाते हैं। जितनी श्रीमन्, सस्ते गल्ले की दुकानें पूर्वी जिलों में खोली गयी हैं उतनी पश्चिमी जिलों में नहीं खोली गयी ह। इसलिये मैं कहता हूं कि प्रान्त का बंटवारा हो जाये। न पश्चिम वालों को यह शिकायत रहे कि पूर्व वालों के साथ पक्षपात होता है, न पूर्व वालों को यह शिकायत रहे कि पश्चिम वालों के साथ पक्षपात होता है। शिकायत तो हम लोगों को होनी चाहिये, मगर उलटी यह पूर्व वाले करते हैं। इन विरोधी पक्ष वालों का तो काम ही यही है कि सरकार का विरोध करो। कभी यह स्वास्थ्य मंत्री की जान को आ जाते हैं कि डाक्टर नहीं मिलते, कभी यह राजस्व मंत्री की जान को आ जाते हैं कि लगान माफ करो, कभी यह शिक्षा मंत्री की जान को आ जाते हैं कि स्कूल और कालेज नहीं खुलें। श्रीमन्, इतनी कल्याणकारी सरकार के लिये अगर कुछ कहा जाय तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि श्रीमन्, प्रान्त का शीघ्र से शीघ्र बटवारा किया जाय, हमसे इन पूर्व वालों का पीछा छूटे, फिर यह जो चाहें करें, जितने चाहें मरें।

श्रीमन्, हमारी पांडवों की राजधानी है। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस विभाग के अधिकारी अगर माननीय सदस्यों का मान करेंगे तो माननीय मंत्री जी का भी मान होगा, अगर उनका अपमान होगा तो मंत्री जी का भी अपमान होगा। आपके जितने भी उच्च अधिकारी हैं वे माननीय सदस्यों की कोई इज्जत नहीं समझते। इस ओर मंत्री जी को कुछ ध्यान देना चाहिये।

अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते तो आप इस्तीफा दीजिये। हां, आपके विभाग में कुछ अच्छे और ईमानदार अधिकारी भी हैं, लेकिन आपके विभाग में उनकी कोई कदर नहीं है। जो अवगुणों से भरे हुये हैं उनकी इज्जत है। आपका जो विभाग है इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो इस विभाग में भ्रष्टाचार है उसको आप देखिये। उसको रोकिये। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि उसमें बहुत अन्धकार है क्योंकि अब तक जिन दुकानदारों की जमानतें थीं वे वापिस नहीं हुई आप पूछते तक नहीं। आपके जो सेक्रेटरियेट के अधिकारी हैं उनको पूछिये। अगर आपके वश का न हो तो आप अलग हो जाइये। आपने हमेंशा जनहित किया है अगर आप थोड़े समय में अब आप नहीं करते तो क्या आप अन्त में कलंक का टीका लगायेंगे? मुझे यह आशा है कि आप इन सुझावों पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं कि वे बहुत ही स्पष्ट वक्ता और स्पष्टवादी हैं। उन्होंने शुरू में ही कहा कि देश के पैमाने पर कोई खाद्य नीति नहीं है। मैं समझता हूं कि देश के पैमाने पर कोई खाद्य नीति नहीं है तो इस जिम्मेदारी से माननीय मंत्री जी बच नहीं सकते इसलिये कि यहां भी उसी पार्टी की सरकार है और सेन्टर में भी माननीय मंत्री जी की पार्टी की सरकार है। अट्ठारह वर्षों के बाद आज हमारे देश में कोई खाद्य नीति निश्चित न की जाय मैं समझता हूं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे देश के लिये हो रही है। आंकड़ों से मालूम होगा कि सन् ५५ में हमारे देश में जहां कि फी व्यक्ति को १५.६ औंस अन्न मिलता था वही सन् ६४–६५ में भी मिल रहा है १५.७ औंस। सिर्फ ५९–६० और ६१–६२ में जो बढ़ोत्तरी हुई वह १५.६ से १६.४ हुई। ६३–६४ में और ६५ में १५.६ पहुंच गया है एक व्यक्ति के खाने के लिये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि कम से कम १८ या १९ आउन्स अन्न चाहिये। जेल के नियमों के मुताबिक जेल के कैदी को १६ आउन्स मिलता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सोलह-अट्ठारह साल के बाद हम फी व्यक्ति को उतना अन्न नहीं दे पाये जितना कि उसको देना चाहिये था। माननीय मंत्री जी ने फिगर्स बताये हैं कि यह जो खाने का सामान पैदा होता है, इसकी उपज गिर

रही है और कैश क्राप की उपज बढ़ती जा रही है। तो इसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की नहीं है। लेकिन जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर एग्रीकल्चर महकमा उदासीन है और प्रोडक्शन बढ़ाने में नाकामयाब रहा है तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार की इससे खामियां देखने को मिलती हैं और सरकार को इसे आंखों से ओझल नहीं करना चाहिये।

कैश क्राप जो हमारे सूबे में पैदा होता है और दूसरे सूबों में कैश क्राप जैसे गन्ना या कपास को ले लें तो दूसरे सूबों में वह प्रति एकड़ पैदावार आपके मुकाबिले में ज्यादा है। हमको इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। आज गेहूं की पैदावार पूरी दुनिया की जो पैदावार है उसके मुकाबिले हमारे देश में एक-चौथाई है। इस तरह से चावल की भी है। गेहूं की पैदावार हमारे यहां प्रति हैक्टर ८९० किलो है पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर। जब कि ब्रिटेन में ४,३५० किलोग्राम, पश्चिमी जर्मनी में ३,४८० किलोग्राम, इटली में २,०९०, जापान में २,५४०, संयुक्त गणराज्य में २,५४० और रूस में १,०५० किलो प्रति हेक्टर है और औसत दुनिया का १,२६० किलो है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे यहां सब जगह से कम उपज है। तो खाद्यान्न बढ़ाने की जिम्मेदार यह सरकार है और खाद्य विभाग तो जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि वह केवल वितरण करने का ही विभाग है, मिलेगा तो बांटेंगे। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि वह स्टेट ट्रेडिंग के पक्ष में है मगर वह एक बीच का रास्ता अर्द्धमिश्रित व्यवस्था को अख्तियार किये है। सरकार को सोचना चाहिये कि हमारे प्रदेश में अन्न की कमी हो या न हो लेकिन हम पूरे देश से अलग नहीं रह सकते। हमें पूरे देश के पैमाने पर सोचना चाहिये। हमें संकीर्ण मनोवृत्ति से नहीं सोचना चाहिये और जो विस्फोटक परिस्थिति आज बंगाल, केरल आदि में हो रही है उसको बचाना चाहिये। आज देहरादून का चावल बंगाल में ५ रुपया किलो भी नहीं मिलता। जो चावल यहां डेढ़ रुपये में मिल रहा है वह उन प्रदेशों में तीन-चार रुपये किलो बिक रहा है। यह हालत है। मैं चाहता हूं कि इन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार को सारे देश के लिये एक नेशनल फूड पालिसी पर विचार करना चाहिये।

देखना यह होगा कि किसान आज खाद्य अनाज क्यों कम पैदा करने की रुचि रखता है। अभी-अभी यहां आलू की खपत का सवाल पैदा हुआ कि वह सस्ता हो रहा है। उत्पादन और उपभोक्ता दोनों के हितों का एक समन्वय होना चाहिये और ऐसी नीति होनी चाहिये कि जिससे दोनों को संतोष हो। आज किसान की रुचि कैश क्राप या जो नकद दाम दिलाने वाली फसलें हैं उनकी तरफ अधिक जाती है। लेकिन इससे दिक्कतें पैदा होती हैं, आज उपभोक्ता चीजों के दाम ४०–४५ प्रतिशत बढ़ गये हैं। मंत्री जी ने कहा कि अब गेहूं की और चावल की कीमत गिरती जा रही है चूंकि किसान कैश क्राप की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और लोगों को खाद्यान्न अधिक दाम पर खरीदना पड़ता है लेकिन साथ ही किसान को भी अपने इस्तेमाल की चीजों को अधिक दाम पर खरीदना पड़ता है।

यह अन्न संकट जो पैदा हुआ है उसका एक कारण यह भी है कि पिछले तीन-चार साल से प्राइवेट बैंक करीब ९०, और १०० करोड़ का एडवान्स गल्ले के व्यापारियों को देते हैं। सरकार को इन बैंकों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि गल्ले की जखीरेबाजी न हो और यह समस्या सुचारु रूप से ठीक की जा सके। इस एडवान्स से लोगों को मुनाफा कमाने का और होर्डिंग का अवसर मिलता है। इसके लिये सरकार को बैंकों पर नियंत्रण करना होगा। सरकार को चाहिये कि उनको हिदायत करें कि वह गल्ले के व्यापारियों को एडवान्स न दे। हो सकता है कि यह मंत्री जी के दायरे के बाहर की बात हो लेकिन मंत्री जी अपनी सरकार की ओर से व्यक्तिगत तरीके से सेन्टर को लिखें कि इस मानोपली को तोड़ने के लिये बैंकों को गल्ला व्यापारियों को एडवान्स न देने दें। इससे देश को बड़ी राहत मिल सकती है।

[श्री ऊदल]

इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव यह है कि सरकार को अब दाम नीति निर्धारित करना चाहिये। वर्ना जैसे आज आलू की हालत है कि सरकार को मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों को लिखना पड़ रहा है कि हमारे यहां आलू ५-६ रुपया मन बिक रहा है उसकी खरीद करें, अगर यह हालत है तो अगले साल के लिये आप किसी किसान से नहीं कह सकते कि आलू अधिक उगाओ और आपको इस हालत में कहने का हक भी नहीं होगा क्योंकि जब आप उसको उसकी लागत तक नहीं दिला सकते तो फिर वह क्यों इधर ध्यान देगा। इसलिये आलू ही नहीं, सब चीजों के विषय में सरकार को एक दाम नीति निर्धारित करना होगी।

इसके अलावा मिट्टी के तेल का बड़ा संकट है। मंत्री जी ने अभी कहा कि हमारे यहां जो मिट्टी के तेल के बड़े-बड़े डिपो हैं वे प्राइवेट कम्पनियों के हैं जैसे कि बर्मा शेल है, कालटेक्स है। जितनी कम्पनियां हैं इन सब ने हिन्दुस्तान से अरबों रुपया लूटा है और हर साल लूट रही हैं और जो उनके डिपो हैं उन पर सरकार का मुश्किल से ५ फीसदी कंट्रोल है और नतीजा यह होता है कि उनके अलग एजेन्ट हैं जो तेल को ब्लैक में बेचते हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर विचार करें कि क्या इन प्राइवेट कम्पनियों के अलग एजेन्ट हो सकते हैं या नहीं, अगर हो सकते हैं तो उनका मूल्य नियंत्रण कैसे किया जाय और किस तरह से जनता को राहत पहुंचायी जाय। मेरा सुझाव है कि सरकार कुछ नियंत्रण रखे और कम्पनियों का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

यह विभाग स्थाई हो गया है लेकिन उसमें काम करने वाले कर्मचारी बहुत कम स्थाई किये गये। जब स्टेट ट्रेडिंग होगी, कानपुर में राशनिंग हो रही है और बड़े-बड़े शहरों में भी होगी तो इस विभाग को आप स्थायी घोषित करें और जो पुराने अच्छे कर्मचारी हैं उनको स्थायी बनायें इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और विरोधी दल की तरफ से एक बात मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों ने मंत्री जी की प्रशंसा की है और अपने-अपने सुझाव दिये। परन्तु जब प्रशंसा की इस खाद्य विभाग की और दूसरे प्रदेशों में जब खाद्य समस्या को ले कर खून खराबी हो रही है, और लटमार हो रही है, यातायात बन्द हो रहे हैं, इस प्रदेश के सदन में जब विरोधी दल के लोग मंत्री जी के विभाग की प्रशंसा कर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या सही रास्ते पर चल रही है, यह इस बात का द्योतक है। मुझे माननीय मंत्री जी से कहना है कि खाद्य समस्या हमारे प्रदेश में विकट है। आज खेतिहर मजदूरों की जो दशा है वह बहुत ही शोचनीय है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपनी कैबिनेट से यह सिफारिश करें कि देहात में जो अधिया और बटाई का सिस्टम था, जो आज बन्द हो गया है, उसको चालू कर दिया जाय जिस से खाद्य समस्या हल हो सकती है क्योंकि आज जिनके पास खेत हैं उनके पास साधन नहीं हैं। मेहनत करने वाले मजदूर के पास खेत नहीं है इसलिये खेत बेकार पड़े हैं। जब आपने जापानी ढंग की खेती को अपनाया है तो उसके साथ आपको भूमि भी छोटे-छोटे टुकड़ों में अधिक से अधिक लोगों (भूमिहीनों) को देनी चाहिये। जिस तरह से जापान ने अपनी खाद्य समस्या को छोटी जोत करके हल किया है उसी प्रकार से सरकार को अपनी नीति को बदलना होगा और बड़े-बड़े काश्तकारों के खेतों को ले कर छोटे-छोटे खेत बनाने होंगे तभी जापानी ढंग से खेती सफल होगी और उससे देश को लाभ होगा और खाद्य समस्या हल होगी।

हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार मछली की है जिस को गरीब लोग खा कर ८, ९ महीने गुजर करते थे लेकिन आज वह मछली हमारे प्रदेश के गरीब लोग नहीं पाते हैं मछली को खाद्य में शामिल नहीं किया। लेकिन अगर किये होते तो खाद्य समस्या हल हो सकती थी।

आज हमारे गोंडा जिले की सब मछली बंगाल जा रही हैं, यहां तक कि सरजू और घाघरा में जो कछुए थे वे भी बंगाल चले गये। कछुवे को क्यों जाने देते हैं ? आज अंडे की समस्या आपके सामने है। एक अन्डे का दाम आज बाजारों में ३५ और ४० पैसे तक है और वह भी कछुए के अंडों को मुर्गी के अंडे के नाम पर बेचा जा रहा है। उन्हीं को हम और आप खाते हैं। मछलियों के सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वे कोआपरेटिव सोसाइटी बना देंगे जिससे हर गरीब को भी मछली खाने के सस्ते दामों पर मिल सकेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अतः इसके सम्बन्ध में मेरी केवल यही प्रार्थना है कि इसको भी आप खाद्य में शामिल करने की कृपा करें, जिससे गरीबों को मछली खाने को मिल सके।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि आपकी जो राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनके मालिकों को माल लाने और ले जाने के लिये कुछ रुपया मिलता है लेकिन हमारे जिले में यह देखा गया है कि वहां के लोग गोरखपुर में आर० एफ० सी० के दफ्तर में चक्कर लगाते फिरते हैं लेकिन उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। कुछ एक लोगों का तो ४-५ साल से रुपया नहीं मिल पाया है। इसके अलावा गाड़ी से उतारने के लिये भी एक ठेकेदार को ठेका दिया जाता है। चूंकि उसे कम रेट पर मिलता है इसलिये उसे मजदूर और पल्लेदार भी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उसे गाड़ी से माल उतारने में बहुत देर हो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि उन्हें उचित दाम दिलवाने की कृपा करें जिससे देरी की समस्या हल हो सके।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि आपने ट्रांस राप्ती पर बन्दिश लगा रखी है। इसके कारण अगर दो चार बोरी चावल की आवश्यकता होती है तो उसे भी हम नहीं ला सकते हैं। भुवनेश्वर कांग्रेस में आपने यह तय किया था कि चावल मिलों को हम नेशनलाइज करेंगे लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। हमारा चावल आज चीन जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी को इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिये।

जहां तक अमेरिकी गेहूं का सवाल है, उसमें देखा गया है कि तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं। आप इसको टेस्ट करावें और देखें कि इस से कौन-कौन सी बीमारी हुयी हैं। हमारे यहां से लोग तो मोटा अनाज खाने के आदी हैं लेकिन उन्हें वह भी प्राप्त नहीं है। आज इस अमेरिकी गेहूं से टी० बी० जैसे रोग हमारे देश में फैल गये हैं और दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके मंगाने पर रोक लगनी चाहिये और देश में अधिक अन्न उत्पादन बढ़ाना चाहिये।

हमारे जिले में (गोंडा में) एक आटा मिल है लेकिन आज तक उनको आटा पीसने के लिये इजाजत नहीं मिल पायी है। मैंने माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की लेकिन गोंडा में जब गयी थी तब वह वायदा भी कर आयी थीं, उस वायदे को आज तक पूरा नहीं किया है। यदि इसकी इजाजत हो जाय तो वहां पर पीसने का उद्योग भी हो जाय और वहां के लोगों को कुछ काम भी मिल सके।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज तक इस खाद्य समस्या पर हम सबने हर वर्ष विचार किया और १८ वर्ष की आजादी के बाद सबने यही कहा कि वितरण में भ्रष्टाचार है, चोर बाजारी है। भ्रष्टाचार बढ़ता गया और गरीब आदमी तबाह होता गया। लेकिन आपकी सरकार ने रोकथाम करने के लिए कभी सही प्रयास नहीं किया। माननीय मन्त्री ने खुद माना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खाद्य की कीमतें तिगुनी बढ़ी हैं और किसान जो खरीदता है उपभोक्ता के रूप में उसकी दस गुनी कीमतें बढ़ी हैं। दुनिया का कोई आदमी यह नहीं मान सकता कि जो हम पैदा करें, उसके बेचने से कम पैसा मिले और जो हम खरीदें उसे ज्यादा दामों में खरीदें। इस तरह से किसान उत्पादन नहीं बढ़ा सकता है। अगर किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीपनारायण सिंह]

को शादी ब्याह में दूने दामों से शकर मिले, मिट्टी का तेल और सीमेंट अधिक दाम दे कर मिले तो किसान को भी पूरा हक है कि वह अपनी पैदा की हुई चीज को खूब दाम बढ़ा कर बेचे चाहे आप, व्यापारी अथवा बनिया भूखों मरें। इसमें पैरिटी आनी चाहिए और इसके लिए आपको एक कमेटी बिठानी चाहिए जो दामों में पैरिटी लाने पर विचार करे। लेकिन होता यह है कि आप अपनी पार्टी अथवा दूसरी पार्टी वालों को गल्ले की दूकानें बांट रहे हैं। पंचायतों में सभापति प्रत्यक्ष रूप से सबसे आगे थे कि उसकी पार्टी के, उसके रिश्तेदारों अथवा लड़कों को गल्ले की दूकानें मिलें।

(इस समय ३ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

किसी कलेक्टर ने अगर भ्रष्टाचार से ऊब कर दूकानों को खत्म किया तो सबसे ज्यादा जोर से आवाज उसके खिलाफ उठाई गयी। जो जितना ईमानदार अफसर होगा उसके खिलाफ उतने ही जोर से जनप्रतिनिधि शोरगुल करते हैं। मेरे यहां जिला परिषद् के अध्यक्ष के लड़के ने दूकान ली और हजारों रुपया कमाया लेकिन कौन अधिकारी है जो उसके द्वारा ब्लेक की कमाई को पकड़े? अगर कुछ करे तो उसके ऊपर आफत आ जाय और उसकी छीछालेदर हो। सरकारी अधिकारी उतने भ्रष्ट नहीं जितने कि हम जनप्रतिनिधि हैं। सप्लाई आफिसर तथा इन्सपेक्टर रिश्वत लेते हैं, यह ठीक है। मेरा जिला फतेहपुर, चावल में सरप्लस था और वहां से चावल प्रतापगढ़, रायबरेली को जाता था लेकिन आपने जोनल प्रतिबन्ध लगा दिया तो ब्लैक में बेचा जाने लगा और उस पर न तो लेवी सरकार को मिली और इनकम टैक्स का सरकार को अलग नुकसान हुआ। मैंने सरकार को लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब पार्टी के लीडर रुपया ले कर एलेक्शन की बात करते हैं तो यह चीजें कैसे रुक सकती हैं? एलेक्शन ही इस युग का नारा है। तो किसान तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा दाम ले कर अपना गल्ला बेचे और आप आलू खिलाना चाहते हैं। आप मजाक मत करिए। रियलिटीज और फैक्ट्स से मत लड़िए। मैं साफ कहता हूं कि हम सब एक नाव में बैठे हुए हैं। इसलिए हम सब को शुद्धीकरण की तरफ चलना होगा। मिट्टी का तेल नहीं है, यह आप गलत बयानी कर रहे हैं। मिट्टी का तेल धड़ाधड़ ब्लैक में बिक रहा है। आप मिट्टी का तेल दे कर रोशनी लाइए। आप गांवों में पैदा करने वाले किसानों की कमेटियां बनाइए। गल्ले का सीमेंट से मतलब, गल्ले का शकर से मतलब, गल्ले का मिट्टी के तेल से सम्बन्ध है। अगर आप यह नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ दीजिए। अगर आप किसानों को दबाइएगा तो जो हालत घाना में हुई है, जो इंडोनेशिया में हुई है वही हालत एक दिन हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में होगी। मैं तो क्रान्ति का आवाहन करता हूं। जो गवर्नमेंट १८ साल तक बेकारी, भुखमरी और भ्रष्टाचार बढ़ाती रही हो उसे खत्म होना ही चाहिए। चीन वालों ने आप पर हमला किया। उन्होंने आपको दुनिया के सामने नंगा करके दिखा दिया कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसको जिस तरह चाहो मरोड़ दो। जापान ने चीन को तबाह किया। जापान ने अमरीका को लटका दिया। अगर जापान अमरीका को लटका सकता है तो आप अमरीका, चीन और पाकिस्तान, तीनों को लटका सकते हैं। आज ठाकुर साहब राज कर रहे हैं। अगर आज चमार के पास ५०० बीघे जमीन होती तो वह राज करता। आज आर्थिक लड़ाई है। यह युग की पुकार है। यह वितरण की प्रणाली दूषित है। आज उत्पादन और श्रम का मूल्य नहीं है। आप मंहगाई भत्ता बढ़ाते हैं, कहां तक बढ़ायेंगे? हर साल प्रदर्शन होते हैं। आप मंहगाई को रोकिए। आप अपने जिलों में सी० आई० डी० बिठाइए। आप हर दफ्तर में जाइए और करप्शन को दूर कीजिए। सरकारी कर्मचारी दूषित हैं, हम भी दूषित हैं लेकिन जो लोग ब्लैक करते हैं वे मजा करते हैं। उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता, ब्लैक करने वाले लोग जो चाहें करें। यह कहा जाता है कि लोग ब्लैक से चीजें न खरीदें तो फिर चीजों के ब्लैक होने की गुंजायश नहीं रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि कौन बाप ऐसा है जो दवा के अभाव में अपने बच्चे को मर जाने

देगा। वह तो बिचारा मजबूर होकर ब्लैक में खरीदेगा ही। आप आदर्श अपने पास रखें रहिए। साफ बात, माननीय नेगी जी, आप इस चीज को रोक नहीं सकते हैं। आप उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दे नहीं सकते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि आप कन्ट्रोल बिल्कुल ही खत्म कर दें। या तो आप पूंजीवादी सिस्टम चलाइए या समाजवादी सिस्टम चलाइए। लेकिन जो भी सिस्टम चलायें उसे सही तरीके से चलाइए। लेकिन मिक्सचर नहीं चल सकता है। या तो शुद्ध देशी घी चलाइए या फिर प्योर डालडा ही चलाइए लेकिन शुद्ध घी और डालडा का मिक्सचर नहीं चल सकता है।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं उन तथ्यों की तरफ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जिनको मन्त्री जी को अपने प्रारम्भिक भाषण में या तो समयाभाव के कारण या किसी और कारणवश कहने का अवसर नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश में आगरा तथा ५, ६ जिले ऐसे हैं जहां पर खंडसारी और गुड़ का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था और वहां की यह एक बड़ी भारी और पुरानी इंडस्ट्री थी। इस पुरानी इंडस्ट्री को खत्म करने में सरकार ने अपनी शान समझी। मैं जानता हूं कि मन्त्री जी यह आड़ लेना चाहेंगे कि यह केन्द्र का अधिकार है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि उनके अधिकारियों ने इस मामले में क्या किया और आज भी जब परमिट की बात आती है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां सबसे ज्यादा खपत थी वहां से न मिलकर गुजरात और पंजाब की बात की जाती है।

माननीय मन्त्री जी ने जी० सी० शीट्स की कमी के बारे में सदन में कहा और अन्य साथियों ने मिट्टी के तेल की कमी की ओर ध्यान दिलाया। यदि उनके पास जी० सी० शीट्स नहीं हैं तो यह कौन-सी बात है कि कानपुर में ज्यादा कोटा दिया जाय और आगरे को कम दिया जाय। कानपुर में यदि दो टन का कोटा मिलता है तो आगरा में मुश्किल से १०,२० मन का मिलता है। कमी है तो सब जगह कमी होनी चाहिए। कबाल टाउन्स में एक ही सी व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी के तेल के बारे में एक समय आया था जब हम देखते थे कि किसी तरह से सप्लाई आ जाय। उस समय वह किसी भाव नहीं मिल रहा था और वही परिस्थिति आज भी चली आ रही है। लोगों को दीपक जलाने तक के लिए तेल नहीं मिल रहा है। आज किसान चाहता है कि उसको क्रूड आयल ट्रैक्टर चलाने के लिए मिले। उसके परमिट कट रहे हैं लेकिन किसान को नहीं मिल पाता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि परमिट कलेक्टर देता है, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं कि छोटी-छोटी बातों की तरफ मन्त्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए जिस के लिए आज देश में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

माननीय मन्त्री जी के यहां खाद्य के साथ-साथ अपील का भी काम बहुत ज्यादा है। मन्त्री जी के पास दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल की मकानों की अपीलें पड़ी हुई हैं। यह कौन-सा न्याय है कि सन् ४६ तथा सन् ५२ तक के मकानों पर कन्ट्रोल है और उसके बाद के बने मकानों पर कन्ट्रोल नहीं जब कि अब भी मकानों की समस्या वैसी ही है जो २० वर्ष पहले थी। यह जो नियम उन मकानों पर लागू है तो यह नए मकानों पर क्यों नहीं लागू कर दिया जाता। जो कि मकानदार थोड़े से हैं उनके बारे में आप सोचें। सन् ५२ से पहले जो मकान बने थे, उससे अब उनकी संख्या में औसतन कितनी वृद्धि हुई है, इस चीज को आप देखें। तो आप पाएंगे कि इन दिनों मकान ज्यादा बने हैं।

एक बात, माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के अन्दर बड़े जोर से कही गयी जोकि इस डिपार्टमेंट में है---भ्रष्टाचार। वह तो एक ऐसी बीमारी है जो एक कोने से दूसरे कोने तक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

बराबर से फैली हुई है। उसके बारे में क्या आपने, मन्त्री जी, कभी सोचा है कि विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उसका मूल कारण क्या है? सोचने से पता लगता है कि यह जो डिपार्टमेंट है यह पिछले २५ साल से अभी तक टेम्पोरेरी चला आ रहा है यह अभी तक परमानेन्ट नहीं किया गया है। न इसे परमानेन्ट करने की कोई बात ही सोची गयी है, जबकि यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी आवश्यकता अब किसी से छिपी नहीं रह गयी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसमें अधिकारी लिए गए, लेकिन मजे की बात यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो अधिकारी आए उनके पे स्केल अलग हैं, इस विभाग के अधिकारियों से। दोनों के पे-स्केल में काफी अन्तर है। जो एग्रीकल्चर विभाग वाले अधिकारी हैं, उन्हें ज्यादा मिलता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट परमानेन्ट हो गया, उसके अधिकारी परमानेन्ट हो गए, लेकिन यह विभाग टेम्पोरेरी ही चला आ रहा है क्योंकि पे-कमीशन ने लिखा है कि यह टेम्पोरेरी है, इसकी आवश्यकता नहीं है परमानेन्ट करने की। इस विभाग की जिम्मेदारी कितनी है, इसका, श्रीमन्, कुछ अन्दाजा आप लगाएं। श्रीमन्, जो एस० एम० आई० होता है, जो २०० से ३०० रुपए के पे स्केल में होता है, वह विभाग के लिए करोड़ों रुपए का सामान खरीदता है। इसके अधिकार कितने बड़े हैं, इसे देखें। एक आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के अधिकार भी इतने ज्यादा नहीं होंगे। इसके बारे में कहा जाय कि इसके अन्दर भ्रष्टाचार न आ जाय, तो मैं समझता हूं कि यह विडम्बना की ही बात है, क्योंकि किसी की गर्दन पर आप तलवार लटका दें और उससे यह उम्मीद करें कि वह विचलित न हो, अपने ध्येय पर सच्चाई से लगा रहे, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है? जिस अधिकारी की नौकरी टेम्पोरेरी हो और उसे यह भय हर समय लगा रहे कि किसी भी समय उसे निकाल बाहर किया जा सकता है, वह अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर सके, ईमानदारी से काम कर सके, यह कैसे सम्भव हो सकता है। उससे ईमानदारी और अच्छी प्रकार से काम लेने के लिए आवश्यक है कि उसकी सर्विस परमानेन्ट हो जिससे कि वह एक निष्ठ होकर अपने दायित्व का पालन कर सके।

यहां पर कुछ अधिकारी जिनकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल थी या जो कि केवल क्लर्क थे दूसरे डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में अब वह क्या पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एम० एम० आई० बन गए तो बन गए और ऊंचे बढ़ते जा रहे हैं, मैं नहीं समझ सकता कि क्या क्राइटेरिया है इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन देने का। आपने छटनी की और उनमें से शुरू से ए, बी, सी जो भी पसन्द आ गया तो उनको आगे बढ़ा दिया और जो एक्स, वाई, जेड थे उनको वहीं का वहीं रहने दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उनको प्रमोशन दे दिया गया।

श्री लखीसिंह—

समझ तो आप सब कुछ रहे हैं।

श्री छत्रपति अम्बेश—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और फ्लावर मिल्स के बारे में कहना चाहता हूं, जो कि हर साल दो एक खुलती रहती हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी दो मिनट का और समय मुझे दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

बोलिए, अभी दो मिनट आपका समय है।

श्री छत्रपति अम्बेश—

फ्लावर मिल को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हजार टन का यदि परमिट, कोटा लाइसेन्स मिलता है तो जिसके बारे में मन्त्री जी कहते हैं कि इसमें मेरा कोई वश नहीं है, उसके बारे में मिल

मालिक कह देते हैं कि १०० टन छीजन चला गया मेंऔर इस १०० टन को बचाकर वह सूजी, मैदा बना लेते हैं, जो कि ब्लैक में बेचा जाता है। यह जो ब्लैक में बिकता है, कहां से आता है? आगरा में कोई काटेज इंडस्ट्री है या पूर्व में कोई काटेज इंडस्ट्री है जहां पर मैदा या सूजी बनाया जाता हो तो मैं नहीं जानता। इसके अलावा आपके पास ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं जो पहचान सके कि यह जो आटा मिल बनाते हैं यह देशी गेहूं का बना है या दिल्ली से कोटे में जो मिलता है उससे बना है। आखिर इन आटा मिलों के बारे में सरकार कोई भी कदम उठाने से क्यों डरती है? इन आटा मिलों को अगर नेशनलाइज्ज कर लिया जाय तो कौन-सी सरकार की परेशानी है? मेरे कहने का मतलब यह है कि इस करप्शन को रोकें वरना इनको नेशनलाइज्ड करें। इन छोटी-छोटी बातों की तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाकर यह चाहता हूं कि सरकार इस करप्शन को दूर करने का प्रयास करे और यह आसानी से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले मन्त्री जी यह कहें कि अफसरों के अन्दर जो धांधलेबाजी है उसको दूर किया जाय। एग्रीकल्चर विभाग से जो लोग इस विभाग में आए हुए हैं लीयन पर वह वहां पर तो परमानेन्ट हैं और यहां पर परमानेन्ट नहीं हैं। वहां पर तो उनका पे आफ स्केल १०० रुपया है और यहां पर उनको १५० रुपया मिलता है। (यह आश्चर्य की बात है कि वह अपने पुराने विभाग में लौटकर नहीं जाना चाहते हैं या मन्त्री जी उनको वापस भेजना नहीं चाहते हैं। उनके स्थान पर एग्रीकल्चर विभाग में जो आदमी काम कर रहे हैं उनको परमानेन्सी का मौका नहीं मिलता है। चूंकि वह इस विभाग में टेम्पोरेरी हैं, अपने परमानेन्ट जाब पर जाना नहीं चाहते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैं नहीं जानता क्या बात है लेकिन कुछ कारण जरूर है। इसको मन्त्री जी विचारें और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करें। यदि हमने इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो यह छोटी-छोटी बातें अपना उग्र रूप धारण कर सकती हैं।

एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि अखबारों में जो शिकायतें निकलती हैं, वह अखबार वाले ज्यादा गलती नहीं करते हैं। मैं आगरा की बात जानता हूं। आगरा से करीब ४, ५ अखबार निकलते हैं जो डेली खबर देते हैं। वे अखबार मथुरा, एटा और पास के जिलों में जाते हैं। वे अखबार वहां पर उतने ही पापुलर हैं जैसे यहां लखनऊ में नेशनल हेराल्ड और पायनियर हैं। उन पत्रों में कई बार ऐसी खबरें अधिकारियों के खिलाफ निकलीं कि अगर उन पर इंक्वायरी कराई जाय तो कुछ न कुछ तथ्य सामने आ सकता है। ऐसी खबरें यदि निकालते हैं तो सोच-समझ कर निकालते हैं। पता नहीं माननीय मन्त्री जी के पास उनकी कटिंग आई या नहीं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, समाचार पत्रों की कटिंग सम्बन्धित मन्त्री के पास सम्बन्धित अधिकारी भेजते हैं। अगर उनके पास आई तो उनके ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। चूंकि आगरा में वे बदस्तूर कायम हैं तो मैं इस बात को समझता हूं कि यदि उनके पास कटिंग आई होगी तो उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया होगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर वे चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में सुधार हो तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाय और कम से कम वह एक शब्द इस सम्बन्ध में अपने उत्तर भाषण में कहने की कृपा करें तो अच्छा होगा।

*श्री लखीसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं इसलिए कि पहले पहल आप इस गद्दी पर गए हैं और आप ने मुझे समय दिया है। मैं सुबह से इस बहस को सुन रहा था और पहला भाषण मन्त्री जी का सुना। मन्त्री जी ने केन्द्रीय सरकार की आड़ में बचना चाहा है, लेकिन मैं इस के लिए न मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं न सरकार को। मैं तो प्रदेश के गरीब और भूखे उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जो बगावत नहीं कर रहे हैं और इस के साथ ही विरोधी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो उन से बगावत करा नहीं रहा है। मन्त्री जी की तरफ से कहा गया आलू खाओ, शकरकन्द खाओ, क्या-क्या खाओ। स्वयं मन्त्री जी को ज्ञान नहीं है, मन्त्री जी और सरकार आज से २०, २५ साल पहले जनता की हालत जानते थे, आज उन को उसका ज्ञान नहीं है। जो आज भूमिहीन हैं, गरीब हैं, अलाभकर जोत वाला है वह अक्तूबर से फरवरी तक क्या १५ मार्च तक दो हिस्सा बथुआ खाता है। जानते हो बथुआ? पश्चिमी जिलों के लोग जानते हैं और मैं आप को बताता हूं कि केन्द्रीय सरकार के और इस सरकार के मन्त्री अगर दो दिन उस बथुए की रोटी खा लें तो फिर उन को बचाने वाला डाक्टर नहीं मिलेगा। अखबार वाले मेरी बात न लिखें तो न लिखें, लेकिन मैं तो वही कहूंगा कि जो गरीब पर बीत रही है। क्या केन्द्रीय सरकार की आड़ में मन्त्री जी बच सकते हैं? इस विभाग को मैं सप्लाई विभाग न कह कर डंडीमार विभाग या ब्लैकबाज विभाग कहता हूं और यह बात अम्बेश जी के भाषण से सिद्ध हो गयी है। यह डंडी मारों का एक गिरोह है जो आपको भी हरगोविन्द सिंह की तरह बदनाम कर रहा है और आप इस पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते। आप में दम नहीं है, ताकत नहीं है। मेरे जैसा सूखा आदमी हो तो एक-एक ब्लैकबाज को पकड़ कर उन सींखचों में बन्द कर दे जिन में अंग्रेजों ने हम को बन्द किया था। सुबह आप कह रहे थे यह जनतन्त्र है, यह जनतन्त्र है। श्रीमन्, यह लाल बत्ती बन्द करो। टम्बेश्वर जी अपने हिस्से में से कुछ समय मुझे दे देंगे। आप ने अभी सीमेंट पर कन्ट्रोल खत्म कर दिया। अभी तक दो एक बोरी सीमेंट परमिट से मिल भी जाती थी, अब हालत यह है कि उन की दुकानें देहातों में दस, पन्द्रह मील की दूरी पर हैं। आप सब लोग जानते हैं। टिकट मिले या न मिले——कह दो खुल्लम-खुल्ला। मैं दो तीन सुझाव देता हूं, कम से कम इन्हीं को मान लो। सस्ते गल्ले की दूकान हर न्याय पंचायत में खोलो। आपके पास गल्ला तो है ही, चाहे अमरीका का ही हो, जिसे वहां के सुअर और गधे भी नहीं खाते लेकिन बदकिस्मती है कि अमरीका को गोदाम खाली करने हैं और इधर हिन्दुस्तान की गरीब जनता की भूखी आत्मा को भरना है, तो उस गल्ले की दूकान हर न्याय पंचायत में खोलो और उसी दूकान पर सीमेंट का भी कोटा हो, उसी पर मिट्टी के तेल का कोटा दो——तब तो ठीक-ठीक मिल जायगा वरना ये ब्लैकबाज, ये डंडीमार कुछ भी जनता के पास नहीं जाने देंगे। गरीब आदमी तो अपनी चक्की पर खुद पीस लेता है, इंजन पर नहीं भिजवाता, तो तुम मिल वालों को गेहूं क्यों देते हो और उससे आटा बनता है और उसको फिर जनता को देते हो। यह सरासर बेईमानी है इस सरकार की। क्योंकि उन मिल मालिकों से चुनाव के लिए पैसा ऐंठेंगे, इसलिए यह गेहूं दिया जाता है। उस आटे में मिट्टी और जाने क्या खाक धूल मिली होती है।

यही एक बीमारी नहीं है। सन् ४०–४१ के आन्दोलन में हम भी जेल में थे, नेगी जी थे और हुकुमसिंह भी थे। बंगाल की सरकार ने, फजलुलहक की सरकार ने, जनता को भूखा मार दिया था, हम जेलों में पड़े हुए थे। यही हालत हो, अगर विरोधी पक्ष न हो, सोशलिस्ट पार्टी न हो। हमने सत्याग्रह किया, पता है आपको? "बड़ा निकम्मा शासन है, एक किलो का राशन है"; "कोर्ट कचेहरी बन्द करो, राशन का प्रबन्ध करो"। इस सरकार ने हमको पकड़-पकड़ कर जेल में डाल दिया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी फिर भी जनता को सांत्वना देती है और बाहरी जनता, बाहरी प्रदेश की गरीब जनता, जंग के जमाने में जो पाकिस्तान से चल रही थी तो हमसे लोग कहते थे "एम० एल० ए० साहब, चाहे हम भूखे मर जायं, लेकिन दुश्मन को हराओ"। लेकिन आज नेगी जी, हम क्या जवाब दें? आज हम पर कोई जवाब नहीं है। एक काश्मीर काट कर दुश्मन को दे दिया, ताशकन्द में समझौता कर लिया, इधर ब्लैकबाजों ने समझौता कर लिया, इधर सरकारों ने——केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार ने समझौता कर लिया। इतनी विषमता फैल रही है और जनता की खबर नहीं। याद रखिए, अगर विरोधी पक्ष का सुझाव नहीं माना, अगर कटौती के प्रस्ताव को नहीं मानेंगे बड़े-बड़े विद्वानों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, तथा अन्य पार्टी के लोगों ने जो सुझाव दिये, अगर उनको

न माना गया तो हमें भय है कि कहीं हमारे यहां भी, जो एक शांतिप्रिय प्रदेश है, बंगाल और पंजाब जैसी आग न फैल जाये। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरे सुझावों का समर्थन किया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी तमाम बातों को तो पूरी करने में अपनी असमर्थता समझते हों, मगर कुछ बातें ऐसी हैं, जिन पर उन्हें गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये। माननीय हरीसिंह जी ने अपने भाषण में जो कहा कि इस प्रदेश का बटवारा होना चाहिये, चाहे दूसरी जगह के लोग भूखों मर जाये, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं किसी भी अभावग्रस्त इलाके का सदस्य नहीं हूं, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी अगर यह हो तो। कांग्रेस बल ही इस तरह की बातों को पचा सकता है। मैं समझता हूं कि उनकी यह बात केवल एक सनक थी।

श्री हरीसिंह—

सनक नहीं थी, ठीक बात थी, हम लोग कमा कमा कर मर जायें, और आप लोग खेलते रहें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं कहता हूं कि यह माननीय हरीसिंह जी के लिये नहीं बल्कि उनके दल के लिये बड़े शर्म की बात है। यह केन्द्रीय सरकार के लिये भी शर्म की बात है। हम सब इस देश के नागरिक हैं। केवल कोई छोटी सी कुर्सी मिल जाय, उसके लालच से ऐसी बात कहना ठीक नहीं है (व्यवधान)। मैं माननीय हरीसिंह जी को या उनके समर्थकों को बता दूं कि उनके जिले वालों को जो गल्ले के अच्छे दाम मिलते हैं वह इस प्रदेश की भूखी और नंगी जनता से ही प्राप्त होते हैं। उनके बार्डर पर तो २० रुपये मन गेंहूं का भाव है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में आज इस प्रकार की कोई भावना नहीं है कि प्रदेश का बटवारा हो। यह बात माननीय हरीसिंह जी तथा किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग की ही खोज हो सकती है। इस प्रदेश के लोग एक दूसरे की जान में जान डालने के लिये हमेशा तैयार रहेंगे, सारे प्रदेश में ही नहीं, सारे भारत में किसी को भूख से नहीं मरते देखेंगे। केरल में हमारे प्रान्त से चावल भेजा गया हमने कभी विरोध नहीं किया कि क्यों भेजा गया। माननीय हरीसिंह जी कहते हैं कि पूर्वी जिलों के लोगों को भूख से मर जाने दें, यह बड़े शर्म की बात है उस दल के लिये भी जिस दल के वे सदस्य हैं। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं क्योंकि मैं यह समझता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बात यहीं समाप्त हो जानी चाहिये।

माननीय नेगी जी से मेरा निवेदन है कि वे सदन की भावनाओं से ठीक प्रकार अवगत हुये होंगे। शहर हो या ग्राम हो, दैनिक आवश्यकता की वस्तुऐं सबको समान रूप से प्राप्त होनी चाहियें। उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिये। उसकी उपलब्धता में किसी को बाधा नहीं होनी चाहिये। मैं एक समाचार पढ़ रहा था। एक ग्रामीण ने उसमें एक कार्ड का जिक्र किया था। उसमें कुल ब्योरा लिखा हुआ था और वह पत्र माननीय पूर्त्ति मंत्री के नाम से लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि जब मेरा कार्ड खो गया तो किस तरह से उसको पांच रुपये कार्ड के बनवाने के लिये देने पड़े सप्लाई आफिस में जाना पड़ा। प्रार्थना पत्र में बीस आने का टिकट लगाना पड़ा और उसके साथ साथ उसको लिखाने के लिये चार रोज तक परेशान होना पड़ा। लेकिन वह क्या करता। उस कार्ड पर उसकी मिट्टी का तेल व शक्कर ही मिलता था। उसे अकेले कार्ड को बनाने के लिये १५ रुपये खर्च करने पड़े। आज उनको गौर करना पड़ेगा इस बात पर कि एक ओर तो उनके विभाग की कृपा से लाखों की तादाद में जाली कार्ड बना लिये और दूसरी तरफ करीब आदमी को एक बोतल मिट्टी का तेल भी न मिले अपने बच्चों की पढ़ाई के लिये इस पर उनको गौर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसके बिना सरकार चल नहीं सकती। कोटा परमिट की बात, अधिष्ठाता महोदय, क्या की जाय? उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव ही कोटा परमिट से बदलता है, इतना आवश्यक हो गया है यह। इतनी दूर तक प्रभावी हो गया है और उस कोटा परमिट के अलावा वही एक परमिट नहीं सरकार हर चीज को इतना केन्द्रित कर लेती है कि क्या कहा जाय। मकान का ही मसला ले लीजिये। सब कुछ हो जाने के बाद भी वह मकान का मसला सरकार में सेक्शन सात में बदल जाता है। वह मकान का मसला नीचे स्तर पर दिया जा सकता है।

आप देखिये, आपने प्राइस कन्ट्रोल आर्डर निकाल रक्खा है। दूरस्थ स्थानों पर तो जाने दीजिये, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। केन्द्र के स्थानों में भी निकल कर देखें न भावों की सूची है और न भावों पर कुछ मिलेगा। मैं यह कहता हूं आपने जो नियम बनाये हैं वे तो नियम बनाने वाले के लिये एक अभिशाप सिद्ध होते हैं और मुनाफाखोरों के लिये वही एक वरदान सिद्ध हो रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि उचित दामों पर वस्तुयें नहीं मिलनी चाहियें। आपके विभाग में स्वर्णकारों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी दी गई हैं। मैं समझता हूं कि आपके अपने भाषण में उनके लिये भी कुछ जिक्र करना चाहिये। इतने बड़े जन समाज के लोग जो छूट गये हैं या इस सरकार की नीतियों के कारण प्रभावित हैं उनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये। इसमें उनके लिये न पर्याप्त अनुदान है और न पर्याप्त व्वयस्था है। आपका ७२ करोड़, ७२ क्या ९० करोड़ के लगभग का बजट है और तीन सौ करोड़ में एक तिहाई बजट आपका है। पूरे बजट में से इसमें कोई पर्याप्त व्यवस्था उनके लिये नहीं है। उनकी ओर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि उससे प्रभाव पड़ता है हमारे जन समाज पर। आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सभी व्यवस्था करनी चाहिये, क्योंकि आने वाला वर्ष बड़े संघर्ष का वर्ष है। खरीफ की फसल मारी जा चुकी है और रबी की फसल कोई विशेष अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर नीति निर्धारण की समस्या भी न हल हुई और सरकार उन्हीं ढुलमुल नीतियों पर चलती रही, और मैं तो समझता हूं कि अक्तूबर के बाद से आपकी नीतियों में बड़ा भारी परिवर्तन होगा, पर यदि उससे पहिले आपकी नीतियां निर्धारित नहीं हो जातीं तो यह प्रदेश अवनति के गर्त में जाने वाला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे भी अपने करप्ट विभाग के साथ ऐसा न हो कि उसी में सम्मिलित हो जायं। इसके अलावा, इस करप्लन को रोकने का एक-मात्र उपाय यह है कि इन करप्ट आदमियों को दंग मिले। जहां जहां ऐसे करप्शन के छिद्र हों उनको कड़ाई के साथ भरने की चेष्टा करें। इन शब्दों में साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं और आशा करता हूं कि इसको समर्थन प्राप्त होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का इसलिये आभारी हूं कि उन्होंने बड़े अमूल्य सुझाव हमें दिये और साथ-साथ जिस उदारता के साथ में उन्होंने इस अनुदान में अपना उदारपन भी दिया, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं यथासंभव और यथाशक्ति इस बात की पूर्ण चेष्टा करूंगा कि जो कुछ भी खराबियां आपने बताई हैं, उसको ठीक कर सकूं और उसको मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैंने तो कहा कि गड़बड़ न होने का श्रेय जन प्रतिनिधियों को और जनता को है। सत्य नारायण जी से तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हे, सत्य-नारायण भगवान, तेरे सामने अगर कोई भूखों मरता है तो मनुष्य कहां जायगा। लखीसिंह जी ने और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि मैंने केन्द्रीय सरकार की आड़ में बचने की चेष्टा की। मैं केन्द्रीय सरकार को कतई दोषी नहीं बता रहा हूं। जब उनका दोष था तो मैंने कहा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि तुम अपना इन्तजाम न करो, हम पूरा देंगे। उन्होंने १ लाख ५ हजार टन में ५० हजार टन दिया, तो भी हमने अपना काम चलाया और कम करते तो भी काम चलता। अब उन्होंने ७० हजार टन देना शुरू कर दिया है तो हम उनका आधार जरूर मानेंगे। किसी चीज को मेरे मुंह में डालना मेरे साथ ज्यादती करना है और मैं समझता हूं कि आप ऐसा

बलात्कार करने के हामी भी नहीं हैं (हंसी)। दीपनारायण जी में मिक्सड इकानामी की बात कही। हम सब जनता है और जनता की दुहाई देते हैं और ठीक भी है। जनता क्या है? बहुमत। जब जनता शुद्ध घी खाने से इन्कार करती है और कहती है कि डालडा खाओ, तो हम क्या कर सकते हैं, केन्द्रीय सरकर ने तो बारम्बार स्थायी नीति बनाने की चेष्टा की, मगर हर बार जनता ने या बहुमत ने या नुमाइन्दों ने, उनको उससे हटा दिया। पहले उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग का दावा किया। उसमें फिर से किदवाई साहेब की याद आ गई तो डिकन्ट्रोल हुआ। कंट्रोल की सभी बुराई करते हैं। उसे भ्रष्टाचार की जननी बताते हैं। करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों का ऐसा विचार मालूम हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने भुवनेश्वर के रिजोल्यूशन पर भी अमल नहीं किया। फिर अब उन्होंने प्रयत्न करना चाहा था कि बड़े बड़े शहरों में स्टेटूटरी राशनिंग कर दी जाय, चूंकि लोग कहते कि बढ़िया माल शहर के लोग खाते हैं, इसलिये इन्हें सड़ा हुआ बाहर का गल्ला खिलाया जाय। लोग कहते हैं कि घोड़ा कमाता है बैल खाता है, पैदा करता है देहात का और खाता है शहरवाला। तो उन्होंने कहा कि इनको सजा दो और इनको अमरीका का गेंहूं खिलाओ इस पर कहा जाता है कि यह है हमारा इन्तजाम।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपने कहा कि इनको सड़ा हुआ गेंहूं खिलाओ....

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं। आप में तो बड़ा फर्क है। आपके और वहां तक (कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ इशारा करते हुये) हजारों मील का अन्तर है विचारों में इस तरह से नियंत्रण किया जाय और आपका कहना भी ठीक है और मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ठीक है कानून जो भी बनाया जाय उस पर सख्ती से अमल होना चाहिये। लेकिन फिर कानून को अमल में लाने के लिये उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। उसी व्यवस्था को लाने के लिये कोशिश की गई कि १ लाख से ऊपर के अभी और अन्ततोगत्वा ५० हजार से ऊपर के शहरों में टोटल राशनिंग की जाय और उनको पूरा राशन दिया जाय और बाकी जो कुछ प्रदेश में पैदा हो रहा है वह देहाती क्षेत्रों और छोटे कस्बों के जो लैंडलेस लेबरर हैं उनके लिये छोड़ दिया जाय। अब इस के बाद आप यह भी देख रहे हैं कि सब को इस बात का भी बड़ा क्षोभ है कि अमरीका का गेहूं हम लाकर लोगों को खिलाते हैं लेकिन फर्ज कीजिये कि हमें राशनिंग जारी रखनी पड़े और अमरीका या विदेश से अनाज न मिले तो क्या होगा? या तो सरकार सीधे काश्तकार से खरीद करे या सरकार मध्यवर्तियों के द्वारा अन्न संचय करे। लेकिन अगर मध्यवर्तियों के द्वारा करते हैं तो हमें जोनल सिस्टम को लाना पड़ेगा, डायरेक्ट लें किसान से तो बात दूसरी है। हालांकि मैं स्वंय जोनल सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं।

एक बात मैं कह दूं कि हमारे शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा था कि किसी बात को तय करने के लिये शास्त्रार्थ हो लेकिन आज शास्त्रार्थ होता नहीं, अब कलयुग में तो वाद विवाद होता है। लेकिन वाद विवाद में अपनी ही बात को काटते चलें जाइये तो कहां पहुंचियेगा मैं भी इस चीज का इस रोग का रोगी हूं आप हम सब हैं। मैं डाक्टर रघुनाथ जी की बड़ी इज्जत करता हूं और उन से कहना चाहता हूं कि हमने पिछले साल कोशिश की कि लखनऊ फैजाबाद में और सब जगह चावल के भावों में अधिक फर्क न हो। इस बात की कोशिश बंगाल और एक आध प्रदेश ने भी की लेकिन उन को वापस लेना पड़ा और जनता खिलाफ हो गई और आखिर में वह आर्डर वापस लेना पड़ा, चूंकि चावल बाहर से गायब हो गया। लोग अब कहने लगे कि आपने प्राइस कंट्रोल कर के सब खराब कर दिया। गेंहूं में तो ज्यादा अन्तर नहीं है लेकिन चावल के भाव में कहीं कम कहीं ज्यादा बहुत अन्तर होने लगा। यह ठीक है कि धान की पैदावार इस साल बहुत कम हुई है और कभी चावल की रही। अब सवाल यह है कि अगर चावल को नहीं खरीदते हैं तो काम कैसे चलायें और खरादें तो कैसे खरादें। लैवी लगानी पड़ी। गेंहूं का बत अलग है उसका तो मार्केट फ्री है, किसी

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

तरह कोई कंट्रोल नहीं है। जो त्रुटि है और जो इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्यों ने बताई वह यह है कि इस राशनिंग से पहले कानपुर में राशन कार्डों की संख्या १४ लाख थी और वहां पर इंसपेक्टटोरेट में जो कार्ड बनाने वाले सब कर्मचारी थे उनकी संख्या १५ से २० के अन्दर थी और अब वह कार्ड साढ़े १३ लाख हैं और इंसपेक्टरेट ८०० का हो गया। अब यह फेलेसी है। तो आज जो कार्ड नहीं बने, उसके लिये लोगों को पैसा देना पड़ा। मुझे इस बात का दुःख है। मगर करूं क्या। हमारे यहां एक मसल है मंगनी के डंगरों के दांत नहीं होते। तो यह व्यवस्था है, चूंकि स्टेट्टरी राशनिंग नहीं है, केवल फेयर प्राइस शाप्स हैं, मैं तो समझता हूं कि १४ लाख आदमियों की व्यवस्था १५ आदमी करते रहे और कोई अनर्थ नहीं हुआ तो यह बड़ी भारी बात थी और अगर आप बारीकी से देखें तो बगैर तारीफ किये नहीं रह सकते।

मैं कह रहा था कि हमने इस बात की चेष्टा की कि जितनी भी शक्ति हमारे अन्दर है, एक बात बीच में कह दूं, मुझे लखी सिंह पिछले साल मिले थे, मैंने कहा कि कहिये हमारा विभाग कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा कि यही बात सदन में क्यों नहीं कहते तो कहने लगे कि वहां की दूसरी बात है। एक स्थायी नीति केन्द्रीय सरकार ने बनाई है कि ४० हजार के ऊपर आबादी वाले शहरमें स्टेटटुयरी राशनिंग हो जायगी तो मैं समझता हूं कि अगर कोई खराबी रहती है, देहात में लोगों को नहीं मिलता, प्राइसेज एबनार्मली फलक्चुएट करती हैं तो जरूर कहीं दोष है कोई बड़ा भारी दोष है, मगर यह हम नहीं होने देंगे और इसके पूर्व मुझे दिखाई दे रहे हैं। माननीय ब्रजमोहन सिंह जी बांदा के हैं, मैं उनके बताता हूं कि स्टेटटुयरी राशनिंग इंट्रोडयूस करने के लिये १२ डी० एस० ओज० और ए० टी० आर० ओ० भेजने पड़े। १२ जिलों के कुछ एम० एल० ए० हमारे पास आये और कहने लगे इससे बढ़िया और कोई डी० एस० ओ० नहीं है। ५० जिलों में से १२ जिलों वालों ने तो कह दिया कि ऐसा डी० एस० ओ० कहीं नहीं है जैसा उनके यहां है, और मुझसे कहा कि मैं उस को वहां न भेजूं, बांदा के भी एम० एन० एज० डेप्युटेशन में आये। तो मैंने उन से कहा कि असेम्बली में कहूंगा कि १२ तो ऐसे पवित्र हैं, सत्य नारायण से भी बढ़कर हैं, मगर यहां आज भाषणों में सभी को ले डूबे। लोगों ने कहा कि हमारे जिले पर आप की कुदृष्टि है, जब बढ़िया आदमी आया तो उस को मैं वहां से हटा रहा हूं। आप के विश्वास पर हम यहां हैं, भले आदमी हो कर के सभी हम यहां नहीं रह सकते अगर आप का विश्वास न हो। हम तो डेमोक्रेटिक सेट अप में हैं तो प्रजा राज्य का नाम लेना पड़ा है। आपने जितनी बातें कहीं हैं सब बातें तो अभी नहीं देख पाऊंगा, मगर जितनी आप ने बातें कहीं हैं और जहां तक उत्तर देने का सवाल है, वह मैं सरसरी तौर पर बता रहा हूं। आपने कहा कि अरहर की दाल ४० रुपये मन बिक रही है। मेरे पास अभी तक कोई बात इस तरह की नहीं आयी है। अगर आयेगी तो उसको मैं देख लूंगा। हमने अरहर मद्रास को दी है और यह भी सही है कि हमने केरल को ५ हजार टन चावल भेजा है। हम लोग गेंहूं खाने वाले हैं और गेंहूं खा सकते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

चावल के बफर स्टाक बनाने की बात मैंने कही है। हम एक बफर स्टाक बना सकते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कानपुर के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां पर मोटा अनाज नहीं है। इसके बारे में निवेदन कर दूं कि मोटे अनाज पर कोई पाबन्दी नहीं हैं। उस पर तो छूट है और जितना वे चाहें, आ सकता है। हां जो हैवी इन्डस्ट्रीज में मजदूर लोग काम करते हैं, उनके लिये हमने अभी हाल में आर्डर भेज दिये हैं कि उन्हें ४ औंस मोटा अनाज और दिया जाय। इसलिये जहां तक मजदूरों की बात है, उनकी मात्रा को हमने बढ़ा दिया है। हम वहां पर ८ औंस देते हैं। इसमें चावल की मात्रा बहुत कम है। इसमें आधा किलोग्राम चावल है और बाकी गेंहूं है।

अभी माननीय हमीद साहब ने बताया कि वहां पर मैदा बहुत बचा हुआ पड़ा है लेकिन यह नहीं दिया गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे यह मालूम होता है कि शासन का अच्छा काम नहीं है। जब उनको मालूम था कि वहां पर मैदा बचा हुआ है तो उन्हें दे देना चाहिये था। मैंने इसको नोट कर लिया है और मैं इसकी पूछताछ भी करवाऊंगा।

जहां तक कोयले की बात माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कही है, मैं निवेदन कर दूं कि जितनी हमारे पास प्रार्थनायें आती हैं उतनी हम रिकमेन्डेशन कर देते हैं।

कुछ बातें हमारे साथी ने लखनऊ के बारे में कहीं, उनकी भी मैं जांच करवा लूंगा।

जहां तक ३० हजार तक वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक का सवाल है, उनमें आटे के वितरण की व्यवस्था कर दी है। जहां तक आटे की बात उन्होंने कही कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदमी आये थे और उन्होंने हमसे कहा कि गेंहूं कतई न बांटिये, आटा बनवाइये, हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में ऐसा करने जा रहे हैं और इससे होर्डिंग नहीं होती। माननीय सदस्यों की भावनाओं को मैं भी जानता हूं। मैंने वह एक्सपेरीमेन्ट यहां नहीं कराया। हमने कहा जितना कोटा है देते जाइये। अब यह कहा जाता है कि मिलों को कोटा क्यों दिया जाता है। गंगा प्रसाद ने यह भी कहा कि उनके यहां मिल वालों को लाइसेन्स ही नहीं मिलता। कहा जाता है कि इससे इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि ऐसी सिफारिश मत कीजिये। यह हो सकता है कि कल को भाव गिरें लेकिन कोई ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि इम्पोर्टेड व्हीट देना शुरू करें तो हमारी दुकानों से गल्ला कम हो जाता है। बाजार में खरीदने के लिये कह सकते हैं तो भाव बढ़ सकते हैं और वह मनमानी करेंगे। अब नहीं खरीदने देंगे तो फिर इम्पोर्टेड व्हीट देंगे ही।

एक बात कही जाती है कि नेशनलाइज कर लो। रुपया हो तो फ्लोर मिल, राइस मिल और सभी बैंक हम नेशनलाइज कर लें। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा। कहा जाय कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी पर बहस हो जाय तो यही कहा जायगा कि मोस्ट मिसमेनेज्ड है। राशन की व्यवस्था को कहा जाता है कि मोस्ट मिसमेनेज्ड है। एक ओर कहा जाता है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और दूसरी ओर कहा जाता है कि नेशनलाइज करो। दोनों बातें कैसे चलेंगी? एक तरफ हम नाकाबिल हैं और इन्तजाम नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार हम मिटा नहीं पाते और दूसरी ओर कहते हैं कि सबको नेशनलाइज कर लो। सभी बैंक गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी के मातहत काम करते हैं। मैं उनको दोष नहीं देता और न अपने को दोष देता हूं, मैं तो लखी सिंह की बात लेता हूं।

दीपनारायण सिंह जी ने कहा कि सब लोगों ने फेयर प्राइस शाप्स ले लीं। यह सबको मालूम है कि मैं दूकान नहीं बांटता। न सेक्रेटेरियट बांटता है। जिलों में बंटती हैं। लेकिन एक सुझाव था जहां तक स्थान की बात है, जहां नहर का पानी है वहां दूकानें न खोली जायं। बात ठीक है कि जहां गल्ला पैदा होता है वहां दूकानें न खोली जायं। ३ एकड़ के ऊपर वालों को गल्ला न मिले, लैंडलेस को मिलना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

तो फिर भूमिहीनों को कार्ड मिल जायं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पूरी बात सुन लीजिये। मैं कह रहा था कि अगर शहरों में न दिया जाय तो उस समय यह होगा कि यह क्या हो गया, नेगी जी भेदभाव करने लगे। मैंने खाद्य समितियों को अधिकार दे रखा है कि वे जो व्यवस्था करना चाहें कर दें। अगर आपकी बात न मानी जाय तो आप समिति की मीटिंग रिक्वीजीशन कीजिये और बहुमत से पास कीजिये।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक बात मैं देवरिया की कहता हूं कि कलेक्टर बुलाने से आयेगा नहीं ?

श्री लखीसिंह—

वह कहता है सरकार कोटा नहीं देती है। यह तो पुराना कोढ़ है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दूसरी बात यह है कि जहां तक कलक्टर का सवाल है उसको भी कैसे मानें ? आपके साथी माननीय दीपनारायण सिंह जी कह रहे थे जो भले कलेक्टर हैं उनके खिलाफ ही जन प्रतिनिधि शिकायत किया करते हैं। उनके ये शब्द थे। देखिये सत्यनारायण जी, आपकी बात न मानें तो जो चाहे आप कह दें माननीय दीपनारायण सिंह जी कुछ कहते हैं और दूसरे आदमी कुछ कहते हैं। इसके माने यह हैं कि अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कहते हैं। सुबह भी मैंने कहा था और अब भी कहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी को हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यह सब से अच्छी चीज है। इसकी भी लोगों ने कई परिभाषायें कीं। किसी ने कहा कि, डेमोक्रेसी इज नो सब्स्टीटयूट्स फार गुड गवर्नमेंट, और किसी ने कहा कि इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कन्सिस्ट्स आफ फूल्स, इसमें तो सभी आयेंगे जितने यहां बैठे हैं। मैं कह रहा था कि अगर आप सही कदम उठायेंगे और यदि आप ठीक तरह से इन्तजाम करेंगे तो फिर उसके लिये आपको मशीनरी सैट अप करनी होगी और मशीनरी आप उसी समय सेट आप करेंगे जब उसके पास करने के लिये काम होगा। आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि इंस्पेक्टर के पास कुछ काम नहीं होता है। वैसे मैंने तो कहा कि उसके पास काम है। जब काम नहीं है तो मशीनरी कैसे सेट अप करेंगे ? आप लोग कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग करनी नहीं है, प्राइस फिक्सेशन करना नहीं है और यह सारे कंट्रोल हटा लिये जायं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है। एक चीज तो आपको अपनानी ही पड़ेगी। एक दम कंट्रोल कैसे हट सकते है। धीरे धीरे कंट्रोल भी हट रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं तो वस्तुस्थिति को बता रहा हूं। अगर माननीय लखीसिंह जी खुदा न खास्ता मिनिस्ट्री में आ जायं...

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, खुदा न खास्ता का मतलब होता है कि खुदा ऐसा न करे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वस्तुस्थिति ऐसी है कि उसको देखते हुये हम कह रहे हैं कि या तो आपको यह करना पड़ेगा कि डिक्टेटरशिप का माद्दा लाना पड़ेगा और अपने मन की आपको चलानी पड़ेगी और डिक्टेटरशिप आप उस तरह से चलायेंगे जिस तरह से कम्युनिस्ट भाई चलाते हैं या तो साफ कहेंगे कि हमें तो तोड़फोड़ करना है और इस तरह से स्थिति अपने हाथ में लेकर चलाना है। मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग उन गुरम्बों में क्यों फंसे हो। तुम हमसे मिलकर चलो। एक रंगवालों मिल कर चलो यदि उनसे बचना है, लेकिन तुम तो उल्टे चल रहे हो।

श्री उग्रसेन—

उल्टे चलने वाले गेंदासिंह जैसे तो उधर चले गये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

तुम हम चचेरे भाई हैं, लेकिन तुम इनसे और उनसे मिल कर चल रहे हो। यदि वास्तव में ऐसी बात नहीं है तो अभी कट मोशन के समय पता चल जायगा कि तुम किधर हो।

मिट्टी के तेल के बारे में मैं आपसे बताता हूं। जैसा कि टम्बेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि हम सख्ती से काम नहीं करते। हमने सख्ती से बहुत काम किया, लेकिन सख्ती लगाने को जितनी बारूद होगी उतनी ही तो सख्ती लगेगी। यह देखें। टोटल नम्बर आफ केसेज पेंडिंग फार इनवेस्टीगेशन—२९, केसेज टेकन आप फार इनवेस्टीगेशन—६१ केसेज फार ट्रायल जो गये—१५। डिपार्टमेन्टल ऐक्शन २७ पर हुये, कन्विक्शन ३ में हो चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्री जी, अभी आप कितना समय बोलनें के लिये लेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

बस, मैं केवल पांच मिनट में खत्म कर रहा हूं, बल्कि ३ मिनट में ही ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

कानपुर में ६ लाख टिन किरोसीन आयल है, फिर भी आप उसे क्यों बन्द किये हुये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसे मैं अभी बताता हूं ।

श्री उग्रसेन---

बर्मा शेल, काल्टेक्स और एसो आदि जो बड़ी बड़ी फारेन कम्पनियां है, वह जो तेल देती हैं और जैसे चाहती हैं वैसे मंत्री जी बंटवा देते हैं । इसके लिये इन मंत्री जी की क्या जिम्मेदारी हैं ? मिट्टी के तेल के लिये मंत्री जी थोड़े जिम्मेदार हैं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह ठीक है जो आपने कहा, बहुत खूब, जो कुछ आना है वह हम बांट देते हैं । मैंने यह आर्डर कर दिये हैं कि शहरों में जहां पर बिजली है वहां पर कम ध्यान देकर जहां पर बिजली नहीं है देहातों में वहां पर खास तौर से ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का तेल सप्लाई किया जाये, जिससे कि लोगों को प्रकाश व्यवस्था के लिये सुविधापूर्वक तेल मिलता रहे । आप लोग इस पर ध्यान देकर देखिये कि यह व्यवस्था हमारी ठीक से चल रही है या नहीं । जहां पर ठीक न हो वहां की मुझसे शिकायत कीजिये, मैं देखूंगा । बलवानसिंह जी जो कह रहे हैं वह भी वह लिखकर दे दें, मैं उसके बारे में जानकारी कर लूंगा । जो भूले भटके थे वे भी रास्ते पर आ रहे हैं । पुनः मैं सब माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं । कहने की बहुत बातें हैं और अगर मैं कहता ही रहूं तो एक भृगु संहिता बन जायगी । जितनी बातें आपने कहीं हैं उनको नोट कर लिया गया है और उनपर यथा समय ध्यान दिया जायगा । मुझे आशा है कि इस कटौती के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से विरोध किया जायगा और इन अनुदानों को स्वीकृत किया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अनुचित धन संचित करने वाले कितने विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ विजिलेन्स कमीशन में मामले भेजे हैं ?

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर छोटे-छोटे किसान अपनी खेती के संबंध में एक ट्यूबवेल लगाये हुये हैं और उसी ट्यूबवेल के सिलसिले में अपने धान की कुटाई, आटा पिसाई, तेल पिराई और चारे काटने का काम उसी से कर लेते हैं लेकिन आपके मारकेटिंग इन्सपैक्टर के जरियें से ऐसा प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि वह किसानों को मशीन चलाने नहीं देता है, तो माननीय मंत्री जी उस प्रतिबन्ध को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने जैसा कि निवेदन किया था, इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं अगर उनका उत्तर दिया जाय तो समय लग जायगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन बातों को नोट कर लिया गया है और उन सब बातों पर गौर किया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५—खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत १,३७,७५,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनदान संख्या ५४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत ७२,५६,४९,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१४ मार्च, १९६६ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५ एल० ए०—१९६६—८६२ ।